तृतीय माला, खण्ड २३—अंक १९

गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९६३
२१ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया

विषय सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न* संख्या ५२५ से ५३३, ५३५ से ५३७ और ५३९ . २२४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३४, ५३८ और ५४० से ५४९ . . . २२६५–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १५११ से १५५९ और १५६१ से १५६९ . . २२७१–

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

(१) गुटों से अलग रहने वाले राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाये जाने का प्रयास

(२) पाकिस्तानियों द्वारा लाठीटिला और डूमाबारी क्षेत्रों में गोली चलाये जाने की कथित घटना ।

अमरीका के राष्ट्रपति का सन्देश . . २३०३–०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २३०४–०

श्री मौर्य की गिरफ्तारी . . २३०५–०

स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न २३०८–१

तारांकित प्रश्न संख्या ७६० के उत्तर में शुद्धि २३१

तारांकित प्रश्न संख्या ९९ के उत्तर में शुद्धि २३१०–१

गन्ने के मूल्यों के बारे में वक्तव्य

श्री स्वर्ण सिंह २३

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री राध लाल व्यास २३१

श्री कछवाय २३१४–२

श्री ब० रा० भगत २३२२–२

गणपूर्ति के बारे में

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव :

श्री मनुभाई शाह १३२९–३१

श्री वारियर . १२३१–३२

श्री व० बा० गांधी . १३३२ ३३

श्री सोलंकी . २३३३

श्री श्याम लाल शर्राफ . २३३३–३४

श्री बड़े २३३४–३५

दैनिक संक्षेपिका २३३६–४२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

गरुवार, १२ दिसम्बर १९६३

२१ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद्

*†५२५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६३ में नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद् तथा नगरीय और ग्राम्य आयोजन मंत्रियों की संयुक्त बैठक में कोनसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं तथा सुझाव दिए गये ;

(ख) क्या उन पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** (क) केन्द्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद् की ९ वीं बैठक तथा शहरी और ग्रामीण आयोजन सम्बन्धी राज्य मंत्रियों के चौथे सम्मेलन के संयुक्त अधिवेशन में पारित प्रत्येक संकल्प की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २०९३/६३**]

(ख) और (ग) इन संकल्पों को क्रियान्वित करने के हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये संकल्पों की प्रतियां ४ अक्तूबर, १९६३ को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सभी सम्बन्धित विभागों को भेजी गईं थीं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : प्रश्न के भाग (ख) के बारे में माननीय मंत्री ने उन संकल्पों के बारे में कुछ नहीं कहा है जिनका मुख्य सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने उस पर विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में उसके क्या निर्णय हैं ?

†**डा० द० स० राजू** : केन्द्रीय सरकार का मुख्य काम ऐसी तकनीकी सहायता देना है जिसकी जरूरत होती है परन्तु क्रियान्विति करने वाला प्राधिकार राज्य सरकार ही है । हम सभी तकनीकी सहायता और सलाह देते हैं तथा गोष्ठियों, शिक्षावृत्तियों और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करते हैं । ये सभी संकल्प के भाग हैं । हम उन्हें यथासंभव सहायता देने का प्रयास करेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** : ो संकल्पों का योजना आयोग से कुछ सम्बन्ध है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ोजना आयोग ने ये संकल्प केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों पर किए हैं और यदि हां, तो सिफारिशें क्या हैं ?

†**डा० द० स० राजू** : संकल्प योजना आयोग को भी भेज दिए गए हैं और हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का आगामी ढांचा ऐसा होगा कि वे एक रूप ढंग से कार्य करेंगी तथा क्या उस प्रश्न पर सम्मेलन में विचार किया गया था और यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० द० स० राजू** : इस विशेष पहल पर चर्चा नहीं की गई थी। अन्य इतने संकल्प हैं, ८ से १२ तक हैं।

काठमांडू-त्रिशूली सड़क

\+

*†५२६. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २६ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काठमांडू त्रिशूली सड़क के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसके कब तक बन जाने की संभावना है ; और

(ग) इस परियोजना में भारत का अंशदान क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जो ९२ आड़ जल-निकास ढांचे बनाये जाने हैं उनमें से सितम्बर, १९६३ के अन्त तक २९ बनाये गये थे। ताडी नदी पर २०० फुट पाट का स्पात की कड़ियों का पुल तथा त्रिशूली बाजार में त्रिशूली नदी पर १२६ फुट पाट का स्पात की कड़ियों का पुल मई १९६३ के अन्त तक पूरे हो गये थे। कई जगहों पर सड़क को चौड़ा करने तथा सुधारने का काम हो रहा है।

(ख) शेष के ६३ आड़े जल-निकास ांचों का निर्माण मई, १९६४ से पहले पूरा हो जाने की आशा है। कमजोर हिस्सों में ोड़ी भरने के काम की जून, १९६५ तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) उपरोक्त सुधार कार्यों तथा दिसम्बर, १९६५ तक सड़क की देख रेख की भी कुल लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जानी है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शांति तथा मैत्री समझौते के अधीन, जो हमने नेपाल से किया है, स सड़क को सैनिक महत्व का समझा जाता है और यदि हां, तो इस सड़क को किस स्तर तक विकसित किया जायेगा तथा भविष्य के लिये भी स सड़क की देखरेख का भार किस पर होगा ?

†**डा० कु० ल० राव** : यह सड़क उस त्रिशूली परियोजना के निर्माण के लिये बड़े महत्व की है जो हमने भारत-नेपाल योजना के अधीन बनानी स्वीकार की है और संयोगवश यह उस क्षेत्र के विकास के लिये भी है। सड़क की दिसम्बर, १९६५ तक देखरेख करने के लिये हम बचन बद्ध हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: इस सड़क के निर्माण की लागत हमारे देश में अन्य सड़कों के निर्माण की लागत की तुलना में कितनी है ?

†**डा० कु० ल० राव** : जिस काम के लिये अब वचनबद्ध हैं उसकी लागत लगभग **५१ लाख** रुपये है। सड़क को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि रोड़ी डालने का पूरा काम हम नहीं कर रहे हैं। हम केवल कमजोर स्थानों को पक्का कर रहे हैं जो कुल ४१ मील में से १४ मील हैं। लागत बहुत ज्यादा नहीं है। सकी तुलना हमारे देश में ऐसी ही सड़कों की लागत से ठीक से हो सकती है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सड़क के निर्माण के मूल प्राक्कलन में कोई वृद्धि हुई है ?

†**डा० कु० ल० राव** : मूलत: यह सड़क क्षेत्रीय परिवहन बोर्ड द्वारा बनाई जा रही थी जिसे अमरीका, नेपाल और भारत के तत्वावधान में संगठित किया गया था और वह अधिक प्रगति नहीं कर पाया था। इस वर्ष फरवरी में इसे त्रिशूली परियोजना प्रशासन को सौंप दिया गया था और अब काम उस प्रशासन के अधीन हो रहा है।

†**श्री म० प० स्वामी** : क्या मैं इस सड़क की लम्बाई जान सकता हूं ?

†**डा० कु० ल० राव** : इस सड़क की लम्बाई ४१ मील है।

श्री यशपाल सिंह: क्या सरकार बतला सकती है कि इस सड़क का उपयोग केवल डिफेंस पर-पजेज के लिये ही किया जाएगा या इस से हमारा वह सामान भी ोया जा सकेगा जो कि नेपाल को जाता है ?

†**डा० कु० ल० राव** : इसे पूर्णत: त्रिशुली जल-विद्युत परियोजना की खातिर बनाया जा रहा है जो हम नेपाल सरकार के लिये बनाने को वचन बद्ध हैं।

विश्व बैंक से सहायता

\+

†*५२७. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष विश्व बैंक ने भारत को ऋण के रूप में कितनी सहायता देने का वचन दिया है ;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग अलग ऋण के रूप में कितनी सहायता उपलब्ध होगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या बैंक के ऋणों के सम्बन्ध में उधार-ग्राही लागतों का विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो अन्य अन्तर्राष्ट्रीय साधनों से प्राप्त ऋणों की उधार-ग्राही लागतों की तुलना में ये कैसी हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). विश्व बैंक तथा उससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने हमारे द्वारा पुरोनिधान उपयुक्त परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर, वर्ष १९६३-६४ के लिये २४५० लाख डालर की राशि तक, विचार करना मान लिया है। बातचीत चल रही है और इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग कितनी राशि उपलब्ध होगी ।

(ग) विश्व बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर उस औसत दर से सम्बन्धित है जो स्वयं बैंक को ऋण देने के समय रुपया मांगने के लिये देनी पड़ेगी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ कोई ब्याज नहीं लेता बल्कि ¾% प्रति वर्ष की दर पर केवल सेवा प्रभार लेता है। बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कामों में अन्तर्ग्रस्त आदेशों पर विकास ऋण देने वाली और कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है तथा इसलिये कोई सारभूत तुलना संभव नहीं है।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : हाल ही में वाशिंगटन में हुई विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के प्रबन्धक मंडल ने विकासनोन्मुख देशों की सहायता के लिये अपना उधार देने की शर्तों को उदार करने के कतिपय प्रस्ताव रखे थे और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वे उदार शर्तें क्या हैं तथा क्या भारत सरकार उन से सन्तुष्ट है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : समय समय पर विश्व बैंक हमारी आर्थिक दशा का अध्ययन करने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल अवश्य भेजता है क्योंकि वह हमें काफी ऋण देता है और वे बड़े मूल्यवान सुझाव देते हैं जिनका हम सदा अध्ययन करते हैं।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह सच है कि विश्व बैंक के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि कृषि क्षेत्र को ऋण देने का उनका मापक्रम उस क्षेत्र के महत्व के अनुकूल नहीं है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय कृषि को सहायता देने के संबंध में उन्होंने क्या प्रस्ताव किए हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : देश में सामान्य आर्थिक प्रवृत्तियों के बारे में बताते हुए उन्होंने अवश्य कहा है कि कृषि में उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी होनी चाहिये थी। उन्होंने कृषक को ऋण देने की दर तथा भूमि के इस्तेमाल पर भी टीका-टिप्पणि की है। इसका सदा ध्यान रखा जाता है—इसे वास्तव में कैसे सुधारा जाए, और इस बारे में हम कुछ कर रहे हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण अमरीका द्वारा दिए गए कुल ऋणों में सम्मिलित हैं जिनके आंकड़े समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं या वे अमरीकी ऋणों से अलग होते हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अमरीकी अभिकरण सर्वथा अलग संगठन हैं। जो ऋण हमें अमरीका सहायता अभिकरण विकास निधि से मिलते हैं वे सर्वथा अलग हैं। इस ऋण में वे सम्मिलित नहीं हैं। यह विश्व बैंक तथा उससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

†मूल अंग्रेजी में

का ऋण है : अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भी हमें कुछ ऋण दिया जाता है और वह भी विश्व बैंक से सम्बद्ध है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** हमारी कृषि परियोजनाओं के बारे में विश्व-बैंक की टीका-टिप्पणी की देखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सहायता मांगते समय हमारी कुछ ऐसी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये कोई प्रार्थना की गई है जो अधिक लाभप्रद हैं और जिनसे सरकार को राजस्व भी अधिक मिलता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** यह प्रश्न, जो सिंचाई ऋणों से तथा परियोजनाओं अथवा परियोजना अतिरिक्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले सभी ऋणों से सम्बन्धित है, विचाराधीन है और उस पर बातचीत चल रही है। यह ब्योरा देना मेरे लिये संभव नहीं है कि कृषि क्षेत्र में कितना दिया जाएगा क्योंकि मुख्य प्रश्न इस वर्ष के ऋणों से सम्बन्धित है।

श्री यशपाल सिंह : इस लोन में से कितना स्टील इंडस्ट्री पर खर्च हुआ है और कितना प्राइवेट सेक्टर पर खर्च हुआ है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जो सारा लोन मिला है उसके बारे में आपका सवाल है, या जो लोन इस साल मिला है उसके बारे में ?

श्री यशपाल सिंह : जो सारा लोन मिला है उसके बारे में।

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल में तो हम इस साल के लोन का जिक्र कर रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बार जो लोन मिला है, वह अभी बांटा तो नहीं है, पर उसके लिए ख्याल किया जाता है कि वह स्टील इंडस्ट्री, रेलवे और कैलकटा की इंटेरिम वाटर सप्लाई स्कीम पर खर्च किया जाए। यह चीज अभी जेर ग़ौर है। और फिर कुछ नान-प्राजेक्ट लोन के बारे में भी बातचीत चल रही है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेने के लिए, और कुछ कमरशियल वैहिकिल्स के बारे में भी बातचीत चल रही है। पर अभी यह बातचीत चल रही है इन चीजों के बारे में, कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है।

श्री यशपाल सिंह : प्राइवेट सेक्टर को तो नहीं मिला ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अब मान लीजिये टिस्को को कोई लोन मिलेगा तो वह प्राइवेट सेक्टर को तो ही मिलेगा।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब सरकार ने इतनी बड़ी राशि के विदेशी ऋणों के लिये पहले संसद की स्वीकृति लेने के औचित्य पर पुनर्विचार किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** मेरे विचार में इससे यह बात पैदा नहीं होती। अन्ततः तो संसद् द्वारा ही समस्या के गुण दोषों के आधार पर प्रश्न का निर्णय किया जाना है ?

†**श्री वासुदेवन् नायर :** क्या यह सच है कि सरकार के विचार में भारत जैसे विकास-शील देशों के लिये विश्व बैंक के ऋणों की शर्तें बहुत कड़ी हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही के किसी सम्मेलन में हमारी सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा यह विषय विश्व बैंक के सामने उठाया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : कड़ापन केवल ब्याज की दर के प्रश्न में हो सकता है। ब्याज की दर अधिकतर बैंकों की ब्याज की कम दर पर उधार लेने की योग्यता के अनुसार निर्धारित होती है। वायदा प्रभारों की समस्या हमने निश्चय ही उठाई थी जिन्हें अब काफी कम कर दिया गया है। मैं नहीं समझती कि भारत को, जो विश्व बैंक से सबसे अधिक उधार लेता है, कोई शिकायतें हो सकती हैं।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी बैंक और गैर-सरकारी बैंकों से जो लोन दिया गया है उसका प्रति वर्ष कितना ब्याज हमको देना पड़ता है और ऐसे प्राइवेट बैंक इस देश में कितने हैं जिन्होंने कि यह कर्जा दे रक्खा है और उस पर कितना ब्याज आता है ?

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो अलहदा है।

श्री कछवाय : इंटरैस्ट क्या आता है?

अध्यक्ष महोदय : इस साल के कर्जे से यह सवाल सम्बन्धित है कि इस साल हम कितना कर्जा ले रहे हैं, अब यह बात कि कितना ब्याज हम देते हैं सारी दुनिया को या कितना ब्याज हम लेते हैं यह तो बिल्कुल एक अलहदा बात है।

†श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये ये ऋण औद्योगिक वित्त निगम जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं के द्वारा दिये जायेंगे या सम्बन्धित पक्ष को सीधे ही दिये जायेंगे ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : विश्व बैंक के ऋण सामान्यतः सीधे ही दिये जाते हैं।

बर्ड एण्ड कम्पनी

+
†*५२८. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्ड एण्ड कम्पनी कलकत्ता के कार्यालयों में कुछ महीने पहले तलाशी हो जाने के पश्चात् उन पर कई अभियोग चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध लगाये गये विशिष्ट आरोप क्या हैं ; और

(ग) क्या सीमाशुल्क विभाग द्वारा उन पर भारी जुर्माने किये गये हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). अभी तक कोई अभियोग नहीं चलाये गये हैं। इस कम्पनी से सम्बन्धित मामलों की जांच हो रही है या न्याय-निर्णयन हो रहा है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कलकत्ता के सीमा-शुल्क विभाग ने ३० नवम्बर को रेलिस को करोड़ों रुपयों के निर्यात के बीजकों में हेराफेरी करने

†मूल अंग्रेजी में

पर कारण-बताओ नोटिस भेजा है और यह उस नोटिस के अतिरिक्त है जो एक करोड़ रुपये के लिये जारी किया गया था? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस फर्म के विरुद्ध इसके इलावा और क्या आरोप हैं?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं राशि नहीं बता सकूंगा। दो तरह की जांच हो रही है, एक सीमा-शुल्क अपराधों के बारे में और दूसरी विदेशी मुद्रा अपराधों के सिलसिले में। सीमाशुल्क अपराधों के बारे में जांच काफी आगे बढ़ चुकी है और एक कारण-बताओ नोटिस भेज दिया गया है। जांच एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा की जायेगी। विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपराधों के बारे में मेरा विचार है कि हम सीमा-शुल्क सम्बन्धी अपराधों की जांच पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस विशेष फर्म के विरुद्ध एक दूसरा आरोप यह है कि बीजक में हेराफेरी करने के इलावा इस पर समवाय विधि का उल्लंघन करने का भी कुछ आरोप है तथा एक ऐसा आरोप यह है कि स्वयं सर एडवर्ड बेन्थाल ने बहुत बड़ी राशि ली है और उसे विदेशी मुद्रा के रूप में अपने देश भेज दिया है? क्या मैं जान सकता हूं कि यह कहां तक सच है?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं अभी उनसे मिला नहीं हूं।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के एक बहुत बड़े रिटायर्ड अफसर भी इसमें मौजूद हैं और उन्हीं की सहायता से यह कम्पनी गैर-कानूनी काम करने में सफल हुई है?

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या कोई सेवानिवृत्त उच्च सरकारी पदाधिकारी भी इसमें अन्तर्ग्रस्त और क्या उसकी सहायता से यह संभव हो सका है?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : बर्ड एण्ड कम्पनी के बारे में पहले के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि इस कम्पनी से जो बही-खाते पकड़े गये थे उनमें किन्हीं व्यक्तियों के नाम नहीं थे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तलाशी के दौरान इस कम्पनी से जो पत्र बरामद हुए हैं उनमें भारत के भूतपूर्व महालेखा-परीक्षक तथा उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के नाम हैं और इस मामले में क्योंकि न केवल बीजकों में हेराफेरी की गई है बल्कि समवाय अधिनियम का भी उल्लंघन किया गया है क्या सरकार जांच का काम विशेष पुलिस संस्थान को सौंप देना उपयुक्त समझती है?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस बारे में कानून के अनुसार कतिपय कार्यवाही की गई है। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न के पहले भाग का क्या उत्तर है?

†अध्यक्ष महोदय : इसकी जांच हो रही है कि क्या उसमें किन्हीं विशेष व्यक्तियों के नाम भी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : पहले उन्होंने कहा था कि जो बही-खाते बरामद हुए हैं उनमें कोई नाम नहीं हैं। यह एक अलग प्रश्न है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसे पत्र बरामद किये हैं जिनमें ये नाम हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पत्र जांच प्राधिकार के पास होंगे।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : उन्होंने कहा है कि बही-खातों में कोई नाम उल्लिखित नहीं हैं। ससे भ्रांति पैदा होती है।

†**ध्यक्ष महोदय** : इसका पता जांच के बाद चलेगा।

श्री राम सेवक यादव : इस बर्ड ऐंड कम्पनी के खिलाफ़ कम्पनी कानून को तोड़ने के और अनेक भ्रष्टाचारों के आरोप हैं, क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि इस कम्पनी की हिम्मत कानून तोड़ने के लिए इसलिए हुई कि राज्यों और केन्द्र के मंत्रियों के लड़के जिनकी कि बाज़ार क़ीमत कम है वहां ज्यादा रुपयों पर नौकरी कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो आप इनफ़ार्मेशन दे रहे हैं।

†**श्री बड़े** : भाग (ग) के बारे में कि क्या सीमा-शुल्क विभाग ने उनको कोई भारी जुर्माना किया है, आपने कहा है कि मामले की जांच हो रही है या न्याय-र्णियन हो रहा है और कारण-बताओ नोटिस भेज दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न भी अध्यक्ष को सम्बोधित होना चाहिये।

†**श्री बड़े** : श्रीमान्, मुझे खेद है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण-बताओ नोटिस में किसी जुर्माने का भी उल्लेख है और यदि हां, तो कितना ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जुर्माने का प्रश्न, यदि वह आवश्यक हुआ, न्याय-निर्णयन के बाद हो उठेगा। मैंने बताया है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले की जांच के लिये लगाया जा रहा है।

†**श्री बूटा सिंह** : इस कम्पनी के क्योंकि कई भारसाधक अधिकारी आते-जाते रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कौन सा व्यक्ति अथवा कौन-कौन से व्यक्ति इस के काम को चला रहे हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरा अनुमान है कि प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक बोर्ड।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने पता लगाया है कि क्या कुछेक केन्द्रीय या राज्य मंत्रियों के कुछ निकट सम्बन्धी इस फर्म में काम पर रखे गये हैं ? क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं न तो इस आरोप की पुष्टि कर सकता हूं और न खंडन। मेरे विचार में हम ४७ या ४८ व्यक्ति हैं और हम में से बहुतेरों के बच्चे हैं। हो सकता है वे काम पर लगे हों, मैं नहीं जानता।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हम समझ नहीं सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि वह न तो इस आक्षेप की पुष्टि करने की स्थिति में हैं और न ही खंडन करने की । ४७ या ४८ . . . . .

†**श्री स० मो० बनर्जी** : : श्रीमान्, आपको याद होगा कि इस सदन में . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक सदस्य से बात कर रहा हूं और दूसरे सदस्य बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं। नहीं; मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य इस चीज़ का पालन करें कि जबकि किसी माननीय सदस्य को पुकारा न जाये, वह बोलना शुरू न करे और जब एक सदस्य बोल रहा है तो दूसरे को खड़ा नहीं होना चाहिये । सका कृपया ध्यान रखा जाये ।

†**श्री बूटा सिंह** : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या वह पता लगाकर सदन को बतायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह कृपया पता लगायेंगे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं नहीं जानता हूं । हो सकता है कोई काम पर लगा हो। हो सकता है कि कोई काफी लम्बे समय से वहां लगा हुआ है। मैं सामने बैठे माननीय सदस्यों को केवल इतना ही बता सकता हूं । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, कानून को बिना पक्षपात या डर के, बिना किसी प्रकार के प्रभाव में आये लागू किया जायेगा । इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य उत्सुक हैं कि यह जानकारी एकत्रित करके उन्हें दे दी जाये ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रयत्न करूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमान्, आपको याद होगा कि इस सदन में चर्चा के दौरान निश्चित रूप से यह बताया गया था, और हम इसे पूरी तरह से जानते हैं, कि एक मंत्री का लड़का वहां नौकर है। इस विशेष मामले में हमारा कहना यह है कि क्योंकि एक मंत्री का लड़का अन्तर्ग्रस्त था, उन्हें फंसाया गया। इसीलिए हम मंत्री का नाम जानना चाहते थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी ने कहा है कि जांच चल रही है और वह जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मंत्री के लड़के के आचरण की कोई जांच नहीं है।

†**श्री बागड़ी** : यह तो बहुत दिनों का पुराना किस्सा है। उनको पता होना चाहिये था मिनिस्टर्ज के छोकरों के बारे में।

†**श्री नाथपाई** : क्या मंत्री महोदय को कम्पनी के अध्यक्ष, या प्रबन्ध निदेश या ऐसे ही उच्च पद पर आसीन प्रवक्ता के इस आशय के वक्तव्य का पता है कि उन्हें किसी तरह का कारण-बताओ नोटिस या उनके विरुद्ध किसी तरह का कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ है जैसाकि समाचारपत्रों में छपा है, परन्तु जब भी या यदि उन्हें ऐसी कोई चीज़ प्राप्त होगी तो वह उसका उचित उत्तर देंगे ? क्या उनके इस कथन

---

†मूल अंग्रेजी में ।

में कोई सच्चाई है कि शासकीय रूप में उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई या जांच नहीं की गई ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं जानता हूं कि कलकत्ता स्थित सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच की गई है। यह मामला . . . **(अन्तर्बाधा)** माननीय सदस्य कृपया मुझे सुनें। यदि उनकी कोई रुचि नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं माननीय सदस्य की खातिर ठहरा देता हूं ताकि वह कोई और प्रश्न न पूछें। सारे मामले की कलकत्ता के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी। यह ऐसी अवस्था में पहुंच गई कि न्याय-निर्णयन कार्यवाही आरम्भ करनी पड़ी थी। मेरे सचिव ने इस बारे में मुझ से परामर्श किया था और मैंने सुझाव दिया है कि उस प्रयोजन के लिए केन्द्र से कोई बड़ा अधिकारी भेजा जाए ताकि कोई यह न कह सके कि उन पर किसी तरह का प्रभाव डाला गया है। मैं तो इतना ही जानता हूं। मैंने अपने सचिव को बता दिया है कि एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाए।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** दो कारण-बताओ नोटिस पहले ही जारी किये गये थे।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मुझे अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए। बात यह है कि सम्बन्धित व्यक्ति मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने कह दिया कि इस सम्बन्ध में मिलने के लिये उपयुक्त व्यक्ति विभाग के सचिव हैं। मेरा विचार है कि विभाग के सचिव फर्म से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति से मिले थे उन्हें बता दिया गया है कि इस अधिकारी को नियुक्त किया गया है और वह शीघ्र ही न्याय-निर्णयन की कार्यवाही शुरू करेगा इसके अतिरिक्त मैं कुछ और कहने की स्थिति में नहीं हूं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या एक अन्य यूरोपीय फर्म के विरुद्ध जांच आरम्भ की गई है जिसके बारे में हाल ही में पता चला है कि वह भी ऐसा ही काम कर रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** जांच के दौरान, सीमा-शुल्क तथा विदेशी मुद्रा दोनों से सम्बन्धित अपराधों के बारे में, बहुत सी फर्मों का नाम आया है। मेरे विचार में कुल संख्या लगभग १७ है। उनमें से कुछ यूरोपीय हो सकती हैं तथा कुछ के नाम यूरोपीय हो सकते हैं। जहां तक मुझे पता है—शायद मैं बिल्कुल ठीक न हूं—१७ फर्मों के विरुद्ध जांच चल रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न। श्री प्रकाशवीर शास्त्री।

†**श्री बड़े :** श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। समाचार पत्रों में ११ करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख है परन्तु मन्त्री जी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। श्रीमान्, इसमें मैं आपसे पक्ष-प्रदर्शन चाहता हूं कि हम अखबारी टिप्पण पर विश्वास करें या मन्त्री जी पर ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उनके पास केवल अखबारी टिप्पण है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने कुछ करने का आदेश दिया है। हो सकता है वह कर दिया गया हो।

†**श्री बड़े :** राशि का उल्लेख है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के स्नातक

***५२९. श्री प्रकाश बीर शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के स्नातकों के सम्बन्ध में महाबलेश्वर कांफ्रेंस में किए गए निर्णय को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि मिश्रित चिकित्सा पद्धति की शिक्षा देने वाले कालिजों में छात्रों की संख्या कम हो गई है ;

(ग) क्या मिश्रित चिकित्सा पद्धति की शिक्षा देने वाले कालिजों को बन्द करने के विरुद्ध सरकार को कुछ ज्ञापन मिले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--२०६४/६४]।

(ख) सूचना राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों से प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जो पाठ्यक्रम कालेजों में चल रहे होते हैं जब उनमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो जो विद्यार्थी दूसरे या तीसरे या चौथे वर्ष में पढ़ रहे होते हैं, उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहले साल से जो प्रवेश लेना चाहते हैं, उन पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। महाबलेश्वर में इस प्रकार का निर्णय लेते समय सरकार ने क्या विचार किया है कि जो सेकिन्ड, थर्ड या फोर्थ ईयर के विद्यार्थी हैं, वे इससे एफेक्ट न हों ?

†**डा० द० स० राजू :** महाबलेश्वर अथवा मद्रास सम्मेलन में चिकित्सा की एकता पद्धति के बारे में चर्चा नहीं हुई थी । केवल शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में चर्चा हुई थी । अतः यह प्रश्न नहीं उठता है । सम्भवतया प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपनी स्वीकृत पद्धति का कार्यक्रम पूरा करना होगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मिश्रित चिकित्सा पद्धति का जो कोर्स चल रहा है उसको आयुर्वेद और एलोपैथ में अलग-अलग कर दिया जाए, यह निर्णय महाबलेश्वर में लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा निर्णय लेने का आधार क्या था जबकि यह चिकित्सा पद्धति इतनी लोकप्रिय हो रही थी ? ऐसा निर्णय क्यों लिया गया जबकि कल परसों तिब्बिया कालेज में इसी आधार पर एक बहुत बड़ी हड़ताल हो चुकी है ?

†**डा० द० स० राजू :** महाबलेश्वर में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा पारित संकल्प के अनुसार श्री व्यास के सभापतित्व में एक शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा समिति नियुक्त की गई थी । उस समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य द्वितीय परिषद् ने मद्रास में विचार किया और उसको स्वीकार कर लिया। अब यह संकल्प राज्य सरकारों की स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि कम्बाइंड सिस्टम से जो डाक्टर पास हो गए हैं, उनको सरकार नौकरी देती नहीं है ? क्या यह भी सही है कि अभी डाक्टरों की और ज्यादा कमी हो गई है ? क्या कम्बाइंड कोर्स को फिर से कंटिन्यू करने का शासन विचार कर रहा है ?

†**डा० द० स० राजू :** अभी तो केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने यह आयुर्वेदिक समिति के बारे में निर्णय लिया है । भविष्य में केवल शुद्ध आयुर्वेदिक अध्ययन लागू किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नैक्स्ट क्वेश्चन ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री यशपाल सिंह :** आयुर्वेद के बारे में एक बहुत जरूरी सवाल था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह भी आपका सवाल है ।

घग्घर नदी

+

†*५३० { **श्री यशपाल सिंह**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी ०प्र० यादव :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री १२ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में घग्घर नदी की बाढ़ के कारण होने वाली क्षति की रोक थाम के लिए जो योजना विचाराधीन थी, उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):** राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई योजना में जांच के बाद परिवर्तन कर दिया गया था तथा अनुमान है कि उस पर ३२१.१४ लाख रुपया व्यय होगा । प्रविधिक रूप में स्वीकृत योजना पर काम जनवरी १९६४ में शुरू होने की आशा है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस साल इस घग्घर नदी के फ्लड से वहां की फसलों को कितना किसान हुआ है ?

†**डा० कु० ल० राव :** १९५९ से बा बढ़ रही है । औसतन क्षति लगभग आधा करोड़ रुपये की हुई है ।

श्री यशपाल सिंह : कब तक यह उम्मीद रखी जाए कि यह काम पूरा हो जाएगा और हमारी फस्लें बच जायेंगी ?

†**डा० कु० ल० राव :** हम यथा सम्भव शी घ्र काम पूरा करना चाहते हैं । केवल कठिनाई परियोजना के लिए साधन जुटाने के सम्बन्ध में हैं । इस समय हमारा विचार है कि काम तीसरी योजना के समाप्त होने से पहले पूरा हो जायेगा ।

†**श्री इकबाल सिंह :** क्या ओटों के पुराने बांध को और मजबूत बनाया जायेगा अथवा नया बांध बनाया जायेगा ?

†**डा० कु० ल० राव:** दो स्ताव हैं । एक तो 'ओटो वेयर[1]' की ऊंचाई ३ फीट बढ़ाने का है । इस पर विचार हो रहा है । ऐसा इस कारण से किया गया है कि ओटों से नहर निकाल कर उस पानी को घग्घर में डाल दिया जाये जिससे वह राजस्थान नहर में पहुंच जाये और वहां के क्षेत्रों में सिंचाई हो सके ।

†**श्री लहरी सिंह :** क्या पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में सिंचाई कार्यों के लिए पानी संभरण करने के लिए पंजाब में ही घग्घर नदी पर नियन्त्रण करने की कोई योजना पेश की है ? यदि हां, तो क्या यह योजना आगामी योजना में क्रियान्वित हो जायेगी ?

†**डा० कु० ल० राव :** यह सच है कि पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ नगर तथा सिंचाई कार्यों के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए घग्घर पर बांध बनाने की योजना तैयार की है । अब तक की गई

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Otto weir

जांच से पता लगता है कि बांध पर काफी धन व्यय होगा। इसलिए बांध के लिए वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित किया गया है। उस पर अभी भी जांच हो रही है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : बाढ़ नियंत्रण कार्यों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग करने के बजाये क्या सरकार का विचार समस्त देश के लिए एकीकृत योजना बनाने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय केवल घग्गर नदी के बारे में प्रश्न पूछिये ?

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या यह घग्गर नदी योजना अलग से बनाई जायेगी अथवा इसके आसपास की नदी घाटी योजना भी इसके साथ ही ली जायेंगी ?

†**डा० कु० ल० राव** : घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब तथा राजस्थान में से गुजरती है। 'डाइवर्जन स्कीम' उस सीमा पर है जहां यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इस समय परियोजना राजस्थान सरकार अपने योजना आवंटन में से बना रही है। हमारा यह कहना है कि व्यय पंजाब को भी वहन करना चाहिये। इस पर अभी निर्णय किया जाना है।

विदेशी मुद्रा

+

†*५३१. { **श्री महेश्वर नायक** :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री इम्बीचोबावा

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा संसाधनों की नवीनतम स्थिति क्या है और हमारी विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान क्या स्थिति रहने की आशा है?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) अप्रैल से दिसम्बर, १९६३ की अवधि में हमारे विदेशी मुद्रा के रिजर्व १३ करोड़ रुपये कम हो गये थे जब कि गत वर्ष इसी अवधि में यह ५४ करोड़ रुपये कम हो गये थे। हमारी यह तुलनात्मक स्थिति इसलिए अच्छी हो गई है क्योंकि इस वर्ष निर्यात बढ़ गया था तथा विदेशी सहायता अप्रत्यक्ष रूप में मिल जाने से भी स्थिति में कुछ सुधार आया था। यह दोनों बातें सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप हुईं जब कि सहायता देने वाले देशों की इच्छा का भी इस पर असर पड़ा क्योंकि, उन्होंने परियोजना अतिरिक्त आधार पर भी सहायता दी।

(ख) हमें आशा है कि १९६३-६४ के अन्त तक हमारे वही रिज़र्व हो जायेंगे जो वर्ष के आरंभ में थे।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की आस्तियां विदेशी बैंकों में हैं उनसे हम कितनी विदेशी मुद्रा ले सके हैं तथा क्या १९६३ में और लोगों ने अपनी आस्तियां बताई हैं तथा यदि हां, तो कितनी रकम की आस्तियां बताई गई हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस समय मेरे पास उनके आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री बूटा सिंह** : क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि विदेशों में जाने वाले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति समाप्त कर दी जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी नहीं ।

†**श्री प्रभातकार** : माननीय मंत्री ने बताया कि तुलनात्मक सुधार निर्यात बढ़ जाने तथा सहायता का उपयोग करने के कारण से हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार आयातों को और कम करने का है जिससे स्थिति और संतुलित हो जाये ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हम जितना संभव है उतना आयात पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते हैं। विकासवान अर्थव्यवस्था में देशकी आयात आवश्यकता मशीनों का आयात करके ही पूरी की जा सकती है तथा उनपर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। हम इसका प्रयत्न करते हैं कि अयात पर सभी प्रकार के नियंत्रण लगाये जायें। परन्तु आवश्यक वस्तुओं का तो निर्यात करना ही पड़ेगा ।

†**श्री हेडा** : विदेशी सहायता तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने तथा उसका प्रयोग करने से वर्तमान स्थिति कहां तक बनी है तथा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे हम और विदेशी सहायता का उपयोग कर सकें ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह सच है कि विभिन्न ऋणों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का बड़ा भाग अप्रयुक्त पड़ा है । परन्तु हम इसका प्रयत्न कर रहे हैं कि इसका और अच्छा उपयोग हो। मैं पहले उत्तर में बता चुकी हूं कि परियोजना में इसका अधिक उपयोग किया जा रहा है । इस वर्ष जब सहायता संघ की बैठक हुई थी तब हमने बताया था कि हमें परियोजना अतिरिक्त ऋण अधिक दीजिये जिससे हमारे आर्थिक विकास में कुछ सुधार हो सके। उन्होंने परियोजना अतिरिक्त ऋण देना स्वीकार कर लिया है तथा मैं समझती हूं कि हम उसका अच्छा उपयोग कर सकेंगे ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : यह बताया गया है निर्यात व्यापार बढ़ जाने से हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति सुधर गई है । मैं जानना चाहती हूं कि सरकार ने ब्रिटेन तथा अमरीका जैसे देशों के साथ संबंद्ध अपने निर्यातों को अलग करने के लिए क्या विशेष उपाय किए हैं जिससे कुछ साम्यवादी देश हमें सहायता कर सकें ।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री से पूछा जाना चाहिए ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि यदि सरकार मोटर गाड़ियों की इम्पोर्ट, घड़ियों की इम्पोर्ट और लग्जरी गुड्स की इम्पोर्ट बन्द कर दे तथा जो यहां के लोग विदेशों में जा कर व्यर्थ घूमते हैं और खर्च करते हैं, उस को बन्द कर दे तो हमारी करोड़ों रुपयों की बचत हो जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है ।

†**श्री वारियर** : क्या वित्त मंत्रालय इस वर्ष लगाये जाने वाले आयात नियंत्रणों में कुछ छूट देना चाहता है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी नहीं । सच यह है कि विदेशी मुद्रा के संबंध में हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब कि हमें सतर्कता बरतनी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक वित्त निगम

+

†*५३२. श्री केप्टन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेज :
श्री अंजतप्पा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री थेवरगोंडर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम को एक विकास बैंक के रूप में बदलने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). जी नहीं । विकास बैंक की स्थापना के बारे में तथा औद्योगिक वित्त निगम से उसके संबंध के बारे में सरकार के विचार विधेयक के रूप में सभा के समक्ष रख दिए जायेंगे ।

†श्री केप्टन : इस बैंक की पूंजी तथा अंशपूंजी क्या है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य को सुझाव दूंगा कि विधेयक में यह सभी आ जायेगा और वह प्रतिक्षा करें ।

†श्री वारियर : क्या औद्योगिक वित्त निगम को दी गई विदेशी मुद्रा गैर सरकारी क्षेत्र को दी गई विदेशी मुद्रा से कम है क्योंकि इसी कारण औद्योगिक वित्त निगम के विकास कार्यक्रम में बाधा पड़ गई है ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न का आशय नहीं समझा हूं । माननीय सदस्य सरकार द्वारा दी गई विदेशी मुद्रा का जिक्र कर रहे हैं अथवा विदेशी संगठनों द्वारा दी गई विदेशी मुद्रा ऋण का जिक्र कर रहे हैं ?

†श्री वारियर : औद्योगिक वित्त निगम के लिए सीधे अथवा बातचीत से अथवा गारंटी से सरकार को जो विदेशी मुद्रा मिली है वह क्या मांगी गई राशि से कम है तथा इस कारण काम में बाधा पड़ रही है ।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : औद्योगिक वित्त निगम के लिए विदेशी मुद्रा लेने के संबंध में केवल सरकार ही पार्टी नहीं है । औद्योगिक वित्त निगम को अपना कार्यक्रम बनाना पड़ता है क्या ऋण देने वाले लोग उसको स्वीकृति दे देते हैं। केवल सरकार ही को औद्योगिक वित्त निगम के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में ऋण नहीं मिलता है । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हमने जो कुछ किया अपनी पूरी योग्यता से किया परन्तु कुछ बातें सरकार के हाथ में नहीं होती हैं ।

†श्री काशीराम गुप्त : ऐसा विधेयक सभा के सामने कब आने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि सभा का सत्र उठने से पहले विधेयक पुरस्थापित हो जाये । मैं नहीं जानता कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या पुरस्थापित होने वाले विधेयक में औद्योगिक वित्त निगम के स साथ राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की कार्यवाही के भी उपबन्ध होंगे ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य के सुझाव का मैं आभारी हूं । मैं इसकी जांच करूंगा ।

†श्री केप्पन : इस बैंक के विशेष लाभ क्या ?

†श्री ति० त० कृष्णामचारी : माननीय सदस्यों को विधेयक में यह सब मिल जायेगा ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : इस बैंक का ढांचा क्या होगा ?

†अध्यक्ष महोदय : सभा में इसको आने दीजिए ।

दंडकारण्य की औद्योगिक क्षमता

†*५३३. +
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री ५ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसन्धान परिषद् (नेशनल कौन्सिल आफ अप्लाइड इकानामिक (रिसर्च) की, जिसने दंडकारण्य की औद्योगिक क्षमता के बारे में उक्त क्षेत्र का प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण अभी हाल में पूरा किया है, सिफारिशों की इस बीच छानबीन की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). दण्डकारण्य विकास प्राधिकार से प्रतिवेदन की सिफारिशों की जांच करने को कहा गया है । दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के विचार मिलने के बाद मामले पर और आगे विचार होगा ।

†श्री नि० रं०, लास्कर : हमें बताया गया है कि खेती न करने वाले तथा विस्थापित परिवार दण्डकारण्य में बसाये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं । कि वहाँ पर ऐसे कितने परिवार बसाये गये हैं ।

†श्री मेहरचन्द खन्ना : यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता है ।

†श्री नि० रं० लास्कर : क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक अर्थ शास्त्र अनुसन्धान परिषद् के सुझाव के अनुसार दण्डकारण्य में उपलब्ध खनिज तथा वन सामग्री पर आधारित कुछ उद्योगों को दण्डकारण्य विकास प्राधिकार स्थापित करेगा ।

†श्री मेहरचन्द खन्ना : यह ६०० करोड़ रुपये के व्यय की बड़ी रिपोर्ट है । बहुत से उद्योगों का सुझाव दिया गया है । दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को रिपोर्ट देने में पर्याप्त समय लगेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : छोटे उद्योगों की स्थापना तथा उनमें विस्थापित व्यक्तियों की नियुक्ति करने के अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि क्या विस्थापित व्यक्तियों के लिये कोई लाभदायक रोजगार ढूंढा गया है अथवा क्या उन को अभी भी दण्डकारण्य में बेरोजगारी का दान दिया जाता है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : यदि माननीय सदस्य दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में प्रश्न रखेंगे तो मैं उस का अवश्य उत्तर दूंगा । परन्तु अब प्रश्न रिपोर्ट के बारे में है ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या किसी उद्योगपति ने क्षेत्र का पूरा सर्वेक्षण किया है तथा सुझाव दिया है कि वहां पर कुछ उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिये ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : संभव है उन्होंने ऐसा कर दिया हो । मुझे कोई जानकारी नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी प्राप्त रिपोर्ट में दण्डकारण्य विकास के बहुत से पहलू आ जाते हैं और परिषद् ने बड़े लाभदायक सुझाव दिये हैं यह सुझाव दिया गया है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को निगम बना दिया जाना चाहिये । तथा इन सभी उद्योगों का भार उस को दे देना चाहिये । परन्तु जैसा कि मैंने बताया यह उद्योग बहुत दिनों में लगेंगे अर्थात १९६३ से १९७६ तक और उन पर लगभग ६४६ करोड़ रुपया व्यय होगा । यह बड़ा प्रस्ताव है जिस की सावधानी से जांच होनी है ।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उस क्षेत्र में दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले छोटे उद्योगों के अतिरिक्त क्या उन का विचार कोई बड़ा उद्योग आरम्भ करने का है ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : मुख्य प्रश्न दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के संबंध में नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री प्रश्न के इस भाग का उत्तर दे सकते हैं कि क्या वहां पर कोई बड़ा उद्योग होने जा रहा है ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : दण्डकारण्य प्राधिकार द्वारा ? नहीं अभी नहीं ।

एक कमरे वाले क्वार्टर

\+

†*५३५. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये एक कमरे वाले क्वार्टरों के निर्माण पर रोक लगाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). यह निर्णय किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरों वाले जिन में अलग अलग पाखाना तथा गुसलखाना हो बनाये जायें । लगभग ८००-दो कमरे वाले क्वार्टर नई दिल्ली पंचकुईरोड पर बनाये जा रहे हैं ।

†श्री श्रीनारायण दास: अब तक एक कमरे के कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मेहर चन्द खन्ना: मुझे मालूम नहीं है। मेरे मन्त्री बनने से पहले वे बन गये होंगे।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या अब तक बनाये गये एक कमरे के क्वार्टरों में कुछ अधिक स्थान बनाया गया है ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : इस समय ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या इन क्वार्टरों में एक कमरे में अथवा दोनों कमरों में बिजली के पंखे लगाये जायेंगे ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में छत के बिजली के पंखे नहीं लगाये जा रहे हैं परन्तु सरकार ने निर्णय किया है कि इस के लिये उन को ऋण दिया जाये तथा हम केवल टेबल के पंखे के लिये प्लग लगायें। परन्तु छत के पंखे लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि शाहजहां रोड पर जो फ्लैट बने हैं उन में से हर एक पर ४८,००० रुपया खर्च करना पड़ा है, जब कि इतने रुपये में छोटे तीन क्वार्टर तैयार हो सकते थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो बिल्कुल अलहदा है।

†श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने एक कमरे के क्वार्टरों को कम स्थान का होने के कारण अथवा प्राइवेसी न होने के कारण उचित नहीं समझा ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : जनसंख्या बढ़ जाने से तथा विकास होने से एक कमरे के क्वार्टर असामाजिक तथा ऐसे ही समझे गये। हम ने इसलिये निर्णय किया है कि छोटी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरे के क्वार्टर बनाये जाने चाहियें।

†श्री कपूरसिंह : मैं जानना चाहता था कि ऐसा स्थान की कमी के कारण किया गया अथवा प्राइवेसी न होने के कारण किया गया।

†अध्यक्ष महोदय : असामाजिक में दोनों बातों का उत्तर आ जाता है।

†श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री ने ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया। उन का इन शब्दों से क्या मतलब है।

†श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का विचार नागरिकों को रहने के लिये अधिक समान की व्यवस्था करने अथवा प्राइवेसी की व्यवस्था करने का है ?

†अध्यक्ष महोदय : इन दोनों बातों का उत्तर दिया जा चुका है।

†श्री हरि विष्णु कामत: माननीय मंत्री का असामाजिक तथा ऐसे ही शब्दों से क्या मतलब है ?

†अध्यक्ष महोदय : इन शब्दों के द्वारा माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं।

†श्री वारियर: : इस आधार पर कि अब सरकार ने अपने कर्मचारियों को दो कमरे के क्वार्टर देना स्वीकार कर लिया है मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग अब एक कमरों के क्वार्टरों में रह रहे हैं क्या उन से वर्तमान किराये का आधार मान लिया जायेगा।

†श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं प्रश्न नहीं समझा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरों के क्वार्टरों की व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया है तो क्या इस समय एक कमरे के लिये लिया जाने वाला किराया आधा कर दिया जायेगा ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मूलभूत नियम ४५-क के अधीन निर्धारित फार्मूले के आधार पर किराया निश्चित किया जाता है । मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को दिये गये क्वार्टरों से किराया सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जब सरकार ने हाल में ही लोदी हाउस होस्टल में १४ फीट × ८½ फीट के कमरे बनाये जिन में खिड़कियां, रोशनदान आदि नहीं थे तथा जिन का किराया १३० रुपये माहवार तक किया गया तथापि जिन को अभिजनता "रैबिट हैच" कहती थी, तब क्या कम आय वाले लोग अर्थात ५०० रुपये से कम वेतन पाने वाले लोग क्या आशा कर सकते हैं कि उन को उचित किरायों पर मकान मिल जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया कि किराया एक फार्मूले के आधार पर निश्चित किया जाता है और यह भी सहायता प्राप्त होता है । क्या माननीय सदस्य और कुछ कहना चाहते हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : परन्तु इन अर्ध मध्यम आय के लोगों से १३० रुपये महीने का किराया क्यों लिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से हम अन्य कर्मचारियों के बारे में नहीं पूछ सकते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह उन्हों ने "रैबिट हैच" बताये हैं ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय कितने क्वार्टर बन चुके हैं और कितने बनने हैं । और सब कर्मचारियों की तादाद को देखते हुए कितने और मकान बनाने की आवश्यकता है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां तक क्वार्टर्स का ताल्लुक है, मैं ने अभी अर्ज किया कि इस वक्त आठ सौ के करीब बना रहे हैं । जहां तक क्लास फोर एम्पलाईज का ताल्लुक है, उन की तादाद मुझे जबानी याद नहीं है, लेकिन उन में से ४० या ५० फीसदी ऐसे होंगे जिन को हम अभी तक एकोमोडेशन नहीं दे सके हैं ।

चेचक उन्मूलन योजना

*५३६. **श्री विश्व नाथ पांडेय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को चेचक उन्मूलन योजना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने और उस काम में उन की सेवाओं का उपयोग करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रशिक्षण कब से आरम्भ होगा; और

(ग) इस पर कितना धन व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) से (ग). चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावकारी बनाने के साधन के रूप में राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया था कि वे स्कूल के

†मूल अंग्रेजी में

अध्यापकों स्वास्थ्य-कर्मचारियों, ग्राम सेवकों आदि जैसे कर्मचारियों की ३ से ४ सप्ताह तक सेवायें लें ताकि वे नियमित वैक्सिनेटरों के काम में हाथ बटा सकें इस सुझाव पर राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही कीय' यह हमें मालूम नहीं है ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : देश में जो चेचक का प्रकोप है, उसके उन्मूलन के लियं क्या सरकार कोई प्रोग्राम बनाया है ?

†**डा० दा० स० राजू** : चेचक उन्मूलन का हमारा कार्यक्रम चल रहा है । हमें आशा है कि यह १९६५ के अन्त तक पूरा हो ज येगा ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : उसका गन्मूलन कब तक हो जायेगा ।

†**डा० द० स० राजू** : हमें आशा है कि इस उन्मूलन कार्यक्रम के पूरा होने के शीघ्र ब.द चेचक का देश से उन्मूलन हो जायेगा ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : राज्य सरकारों को क्या हिदायितें भेजी गई थीं तथा राज्य सरकारों ने कोई उत्तर क्यों नहीं भेजा है और उत्तर भेजने में उन्होंने इतना समय क्यों लगाया है ?

†**डा० द० स० राजू** : हिदायतें पिछले चेचक उन्मूलन सप्ताह में भेजी गई थीं ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दुनिया में ऐसे देश हैं जहां चेचक नहीं होती, यदि हां, तो वे कौन कौन से देश हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस वक्त नहीं बतला सकते कि सारी दुनिया में किन किन देशों में चेचक नहीं होती ।

श्री यशपाल सिंह : जो टीचर चेचक उन्मूलन में लगाये गये हैं, उनकी सेवाएं कितने दिन तक चेचक उन्मूलन के लिये ली जायेंगी, और जितने समय तक वे इस काम में लगे रहेंगे उतने समय तक बच्चों की पढ़ाइ का क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कहते हैं कि यदि अध्यापकों को चेचक उन्मूलन के काम में लगाया जाता है तो उनके पास बच्चों को पढ़ाने का समय शायद न हो और वह जानना चाहते हैं कि क्या इससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

†**डा० द० स० राजू** : जहां संभाव है वहां खंड स्तर पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण होने का अनुमान है ताकि वे नियमित टीका लगाने वालों के काम में हाथ बटा सकें । यही विचार था ।

पश्चिमी बंगाल को सहायता

+
†*५३७. { **श्रीमती रेणकाराय** :
श्री प्र० के० देव :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल राज्य को तोसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में जो सहायता दी गयी थी उसमें कुछ कमी हो गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो जितनी राशि देने का वचन दिया गया था उतनी राशि देकर कठिनाई दूर करने के लिये क्या कार्यवाहीं की गयी है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं। राज्य को १९६१-६२ के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता में कोई कमी नहीं हुई है। १९६२–६३ के लिये अस्थायी भुगतान कर दिया गया है तथा राज्य सरकार से कुछ दिन पहले प्राप्त ब्योरे के आधार पर अन्तिम मंजूरी शीघ्र ही दी जायगी। १९६३-६४ के लिये विकास के किसी शीर्षक के अधीन अभी केन्द्रीय सहायता की कोई अन्तिम मंजूरी नहीं दी गई है; परन्तु इस सहायता के अन्तर्गत मार्गोपाय अग्रिम धन दे दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

†श्रीमती रेणुका राय : क्या यह सच नहीं है कि १९६१–६२ में २३ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का वचन दिया गया था जिसमें से १९.१ करोड़ रुपये दिये गए थे तथा ३.९ करोड़ रुपये शेष रह गए थे ; १९६२–६३ में, २६.४ करोड़ रुपये का वचन दिया गया था जब कि दिए २३.७ करोड़ रुपये थे तथा २.७ करोड़ रुपये शेष रह गए थे—इसका अर्थ है कि दो वर्षों में ६.६ करोड़ रुपये शेष रह गए ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्या बिल्कुल ठीक तो नहीं हैं परन्तु काफी ठीक हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री कहते हैं कि वह काफी ठीक हैं। वह स्वयं ठीक आंकड़े दे दें। मंत्री महोदय से ठीक आंकड़ों की आशा रखी जाती है।

†अध्यक्ष महोदय : परन्तु किसी को उनके बारे में पूछना चाहिये। वह ठीक आंकड़े नहीं मांगती ; मेरी मुश्किल यह है कि वह जानकारी दे रही थी, मांग नहीं रही थीं।

†श्री जयपाल सिंह : परन्तु प्रश्न कर्ता ही तो उत्तर में दिलचस्पी नहीं रखता ; सारे सदन की इसमें दिलचस्पी है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की ही अनुमति दे सकता हूं।

†श्रीमती रेणुकराय : क्या मैं प्रश्न पूछ सकती हूं केन्द्र ने पश्चिम बंगाल को पिछले दो वर्षों में कितनी धन राशि का वचन दिया और कितनी दी ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने कहा, मामला अभी तय नहीं हुआ है और अभी तक पूरा हिसाब किताब भी नहीं भेजा गया है। मैंने कहा था कि वह लगभग ठीक ही हैं क्योंकि अन्त लाखों का होगा।

†श्री त्यागी : पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्र द्वारा अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है और किस सीमा तक उन्होंने अपनी किश्तों को समय पर देने में भूल की है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मझे खेद है कि आंकड़े मेरे पास नहीं हैं—विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये कुल ऋण। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे राज्यों की भूल-चक के बारे में न पूछें।

†श्री त्यागी : किसी राज्य को आगे और ऋण देते समय क्या सरकार उनकी वापिस लौटाने की क्षमता का ध्यान रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सारी योजना यह है कि जो ऋण लिये जाते हैं वे कतिपय कामों में लगाए जाते हैं और काम क्योंकि पैदा किए जाते हैं इसलिये यह पूर्वकल्पना हो सकती है कि ऋण लौटाने की क्षमता उन में है। यहां उस अर्थ में चूक का प्रश्न नहीं है जिसमें कोई गैर-सरकारी पक्ष और बैंक करता है। यह पारस्परिक समायोजन का विषय है।

†श्रीमती रेणुकाराय: मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पिछले २ १/२ वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार का काम सब से ज्यादा है जैसा कि तीसरी योजना में दिखाया गया है तथा इसे देखते हुए क्या वह इस आशय के लिये उपाय करेंग कि उन्होंने क्योंकि पूरी राशि खर्च कर दी है इसलिये कमी को पूरा किया जाए ?

†अध्यक्ष महोदय : पहले श्न में जानकारी दी गई है ; दूसरे में कार्य के लिये सुझाव दिया गया है ?

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने समकक्ष अंशदान से अधिक खर्च कर दिया है और अग्रतर सहायता या ऋण की मांग की है और यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करेगी ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी हां, केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि भारत की प्रत्येक राज्य सरकार और सहायता मांग रही है और कठिनाई यह है कि मार्गोपाय अग्रिम धन के सिवाय मैं केवल वही सहायता दे सकता हूं जो आयव्ययक में है। अन्यथा अनुपूरक मांगों के लिये मुझे इस सदन से कहना पड़ता है। मैं स्थिति को और समझाना चाहता हूं। १९६१–६२ की राशि कुछ ही दिनों में तय कर दी जाएगी ; १९६२–६३ के हिसाब में कुछ समय लगेगा क्योंकि उन्होंने सभी आंकड़े नहीं भेजे हैं। १९६३–६४ में मैं समझता हूं कि उन्हें जिस सहायता का वचन दिया गया था उसके अन्तर्गत अग्रिम धन के रूप में उन्हें लगभग १८ करोड़ रुपये दिए गए थे। अन्तिम आंकड़े तभी उपलब्ध होंगे जब वे अपना आय व्ययक तैयार करेंगे। राज्यों को यदि आवश्यकता हो तो मार्गोपाय अग्रिम धन दिया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में तथ्य यह है कि जब स्वर्गीय मुख्य मंत्री डा० बी०सी० राय जीवित थे तो उन्होंने कहा था कि वह योजना के बाहर अपने तौर पर कुछ करना चाहते हैं जिसके लिये वह केन्द्रीय सहायता नहीं मागेंगे। वह शायद अब कार्य रूप में आ गया है और वे महसूस करते हैं कि वे पूरी तरह से इसे वित्तपोषित नहीं कर सकेंगे और पूरा नहीं कर पायेंगे। इस आधार पर और सहायता की मांग की जा रही है तथा उस पर विचार हो रहा है। हम सहायता दे सकने की स्थिति में होंगे या नहीं, अभी सदन में बताना मेरे लिये संभव नहीं है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान बंगाल के मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है राज्य ने केन्द्र से जितना मांगा था उसका पचास प्रतिशत भी नहीं दिया गया है और यदि हां, तो भेद का क्या कारण है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुक्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर मेरा ध्यान विशष से नहीं गया है और मैं नहीं समझता कि उनके लिये या किसी और के लिये यह कहना ठीक है कि जितना मांगा गया था उसका केवल पचास प्रतिशत दिया गया है। यह कहना तो और भी कम ठीक है कि पचास प्रतिशत भी नहीं दिया गया है।

†श्री रामनायन् चेट्टियार : वित्त मंत्री जी ने कहा है कि राज्यों की मार्गोपाय भुगतानों के लिये सहायता दी जा रही है परन्तु दो सप्ताह पहले हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि केन्द्र ने कतिपय

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे रिजर्व बैंक से किसी सीमा तक ही उधार ले सकती हैं। क्या यह इस वक्तव्य का खंडन नहीं है कि मार्गोपाय स्थिति के लिये केन्द्र राज्यों की सहायता करेगा ?

†ति० त० कृष्णमाचारी : मुझ तो समझ में नहीं आता कि ये दो बातें परस्पर विरोधी कैसे हैं। प्राय : ऐसा होता है कि व रिजर्व बैंक से ज्यादा उधार ले लेती हैं और ऐसा होने पर केन्द्र मार्गोपाय अग्रिम धन देता है। दोंनो बातें केवल इसी तरह संबंधित हैं।

†श्री शिवाजी राव देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों द्वारा केन्द्रीय सहायता की मांग में इतनी बड़ी वृद्धि इसलिये नई है कि संविहित केन्द्रीय सहायता तथा स्वविवेकी सहायता में कोई भी अनुपात नहीं है ?

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न पर मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में निष्क्रांत सम्पत्ति

†*५३९. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कितने ही मकान, जो निष्क्रान्त सम्पत्ति है, अब भी अनधिकृत व्यक्तियों अथवा उनके किराये दारों के कब्जे में हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन अनधिकृत व्यक्तियों से इस सम्पत्ति को खाली न कराने तथा अपने कब्जे में न लेने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)) : (क) जी हां, परन्तु संख्या के अधिक होने की संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निष्कासन कार्यवाही की जाती है जो निष्क्रान्त सम्पत्ति में उसकी नीलामी का कार्यक्रम बन जाने के बाद अनधिकार प्रवेश करता है या किराया न देने में हठधर्मी करता है। अवैध कब्जाधारियों को कोई मान दिये बिना सम्पत्तियों का सामान्यत: निबटान कर दिया जाता है।

पलाई सेंट्रल बैंक

†*५३४. श्री दी० चं० शर्मा : वित्त मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) पलाई सेन्ट्रल बैंक के खातेदारों को अब तक कितना भुगतान किया गया है ; और

(ख) अब तक कितना समापन व्यय हुआ है ?

†योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकारी परिसमापन से प्राप्त जानकारी के अनुसार ३१ अक्तूबर, १९६३ तक पलाई सेंट्रल बैंक के खातेदारों को ४८६.०४ लाख

---

†मूल अंग्रेजी में

रुपये का भुगतान किया गया था (जिसमें कम्पनियों के समापन के खाते में परिहृत २२.९९ लाख रुपये सम्मिलित हैं)।

(ख) ३१ अक्तूबर, १९६३ तक १३.६६ लाख रुपये का खर्च हुआ।

आय कर की वसूली

†*५३८. **श्री याज्ञिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) करदाताओं द्वारा कर से बचने के लिये अपनायी जाने वाली चालों तथा अन्य कदाचारों के कारण अनुमानतः कितने प्रतिशत आय-कर की वसूली नहीं हो पाती है ; और

(ख) इन कर से बचने की चालों का मुकाबला करने के लिये तथा कानन के अनुसार निर्धारित आयकर की पूरी पूरी रकम वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) सरकार को खेद है कि ऐसा अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) विशेष रूप से कर अपवंचन के मामलों को निबटाने के लिये अनेक विशेष परिमंडल तथा केन्द्रीय परिमंडल बनाए गए हैं। प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति ने, जो सरकार द्वारा १९५८ में नियुक्त की गई थी, कर अपवंचन की समस्या की विस्तारपूर्वक जांच की थी। समिति ने जिन वैधानिक उपायों की सिफारिश की थी उन्हें आय-कर अधिनियम, १९६१ में समाविष्ट कर दिया गया है जो १ अप्रैल, १९६२ से प्रवर्तित हुआ है।

वित्त आयोग

†*५४०. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूसरा वित्त आयोग नियुक्त करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां।

(ख) तृतीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत आने वाली अवधि १९६५-६६ के अन्त में समाप्त होने वाली है। तदनुसार, चतुर्थ वित्त आयोग समय पर बनाना होगा ताकि १९६६-६७ के आय-व्ययक में किये जाने वाले उपबन्धों को विनियमित करने के लिये उसकी सिफारिशें उपलब्ध हो सकें।

बम्बई की विदेशी बीमा समवाय की तलाशी

†*५४१. **श्री नाथपाई** :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में प्रवर्तन निदेशालय ने एक विदेशी बीमा समवाय के कार्यालय की तलाशी ली थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस तलाशी के क्या कारण थे ;

(ग) क्या वहां पर कोई अपराधजनक चीज मिली ; और

(घ) किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** (क) से (घ) जी हां। तलाशी ली गई थी क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय को विश्वास था कि वह बीमा कम्पनी विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन कर रही है। तलाशी में कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे। मामले की जांच चल रही है और उसके पूरा होने पर जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जायेगी की जायेगी।

वैस्ट एशियन सेलिंग क्राफ्ट

†*५४२. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्रीमती शशांक मंजरी ।

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शनिवार, २३ नवम्बर, १९६३ को घड़ियों तथा सोने का तस्कर व्यापार करने के संदेह में सीमा शुल्क तथा उत्पादन शल्क कर्मचारियों ने वेस्ट एशियन सेलिंग क्राफ्ट (पालदार जहाज) पर गोली चलाई और पकड़ा ;

(ख) यदि हां, तो गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुए और/अथवा मरे ; और

(ग) तस्कर व्यापार की कितनी वस्तुयें पकड़ी गईं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) २२ नवम्बर, १९६३ को प्रातः काल एक यंत्रचालित सेलिंग क्राफ्ट, जिसका पंजीकरण डुबोई में हुआ था और जिस पर विनिषिद्ध वस्तुयें लाने-ले जाने में व्यवस्त होने का सन्देह था पर आई० एन० एस० के जल पोत 'सरायू' द्वारा गोली चलाई गई थी क्योंकि सीमा शुल्क सम्बन्धी निरीक्षण के लिये रुकने को कहे जाने पर भी वह रुका नहीं। सेलिंगक्राफ्ट को सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है।

(ख) गोलीवर्षा में दो व्यक्ति घायल हुए थे। बम्बई के एक अस्पताल में उनका इलाज किया गया था और वे २ दिसम्बर, १९६३ को छोड़े गये थे।

(ग) लगभग १० लाख रुपये की लागत की (सी० आई० एफ०) ११,७६६ घड़ियां पकड़ी गई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

केंद्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति

†*५४३. श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हेम बरूआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री वारियर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन शुल्क लगाने और उसके वसूल करने की पद्धति के संबंध में चंदा समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा यदि कोई निर्णय किया गया है तो क्या ; और

(ख) इन निर्णयों के आधार पर पद्धति में क्या मुख्य परिवर्तन किए जाने हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन

*५४४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कछवाय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यों को तेजी से करने के लिये योजना आयोग ने कुछ और सुझाव दिए हैं ;

(ख) क्या इसके लिए किए गए आवंटन में कुछ और रकम बढ़ाई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए सरकार का क्या और कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) (क) स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना आयोग की सहमति से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यों को तेजी से करने के लिये सुझाव दिये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम का पुनर्गठन किया जा चुका है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इसे तेजी से कार्यान्वित करें। कार्यक्रम इस प्रकार सुझाया गया

†मूल अंग्रेजी में]

है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजना अवधियों में चलायी गयी योजनाओं का तर्कसम्मत विस्तार किया जाय और उसमें ये बातें भी सम्मिलित हैं :—

(१) विस्तार शिक्षा, (२) सामान्य समाजिक प्रणाली के रूप में विवाहित दम्पत्तियों को गर्भरोधकों की उपलब्धि की सुविधायें, वन्ध्यीकरण सुविधाओं का विस्तार (३) प्रति गांव एक पुरुष तथा एक महिला अवैतनिक कार्यकर्त्ता की व्यवस्था (४) प्रति १०,००० जन-संख्या के पीछे एक वैतनिक महिला-कार्यकर्त्ता की व्यवस्था ; यह कार्यकर्त्ता प्रसूति और बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन दोनों प्रकार की सेवायें देगी, (५) प्रति ३०,००० जन-संख्या के पीछे एक वैतनिक पुरुष कार्यकर्त्ता की व्यवस्था, (६) ब्लाकहैड क्वार्टरों में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था करके सांख्यिकी मूल्यांकन सेवाओं को बढ़ाना, (७) प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाना, (८) जैविक तथा जनांकिकी संचार की अनुसंधान गतिविधियों का विस्तार, (९) गर्भ-रोधकों का स्वदेशी उत्पादन।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ली गई तलाशियां

†*५४५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात का अल्पदीजक तथा आयात का अधिबीजक बनाकर देश को धोखा देने के संदेह में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिन व्यापार गृहों की तलाशी ली गई थी, उनके कार्यों की छानबीन में क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**:१७ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९ के उत्तर में उल्लिखित व्यापार गृहों की तलाशियां सीमा शुल्क अथवा भू-सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ली गई थीं ; प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नहीं। इन मामलों की जांच या न्याय-निर्णयन हो रहा है।

समवाय विधि प्रशासन

†*५४६. **श्री महेश्वर नायक :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समवाय विधि विभाग के प्रशासन के लिए एक निगम निकाय स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो नई व्यवस्था के परिणामस्वरूप क्या विशेष लाभ होने की संभावना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६३, जो २६ नवम्बर, १९६३ को सदन में पुर:स्थापित किया गया था, की धारा ४

†मूल अंग्रेजी में।

में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसार एक समवाय विधि प्रशासन बोर्ड स्थापित करने का विचार है।

(ख) आशा है कि नई व्यवस्था के फलस्वरूप समवाय अधिनियम का प्रशासन अधिक अच्छा और सुगम होगा।

मैकलायड एण्ड कम्पनी

†*५४७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैकलायड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा लगाए गए १७ लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थता प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से कहा है कि वह इस जुर्माने को बांड के रूप में स्वीकार करे, नकद धन के रूप में नहीं; और

(ग) इस निर्णय के क्या कारण हैं तथा क्या समवाय को तुरंत भुगतान करने का कोई नोटिस दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री टी० ट० कृष्णमाचारी)**: (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ के खंड १२९ के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने सीमाशुल्क समाहर्ता, कलकत्ता को निदेश दिया कि जब तक फर्म द्वारा बोर्ड को की गई अपील का निर्णय नहीं होता, कम्पनी पर किये गये जुर्माने तथा अर्थ-दंड को नकदी में एकत्रित न किया जाए और उसकी बजाय वह राशि फर्म द्वारा निस्पादित बधपत्रों द्वारा ली जाय तथा वह फर्म सीमा शुल्क समाहर्ता के नाम प्राधिकरण दे दे कि वह लोहा तथा इस्पात नियंत्रक से फर्म द्वारा दी जाने वाली कोई धनराशि ले सकता है।

(ग) उपरोक्त निर्णय समवाय से प्राप्त इस अनुरोध पर किया गया था कि वह जुर्माने तथा अर्थ-दंड नकद न दे सकती। इस निर्णय को देखते हुए अर्थ-दंड के भुगतान पर जोर देने का प्रश्न तब तक नहीं उठेगा जब तक कि अपील का फैसला न हो जाए।

पश्चिमी जर्मनी से सहायता

†*५४८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री र न्द्र वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना के तीसरे वर्ष में उपयोग में लाने के लिये पश्चिमी जर्मनी से ४०,०६ करोड़ रुपयों की सहायता का करार हुआ है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह रकम किन परियोजनाओं पर व्यय होगी, और इस को विभिन्न परियोजनाओं में किस प्रकार विभाजित किया जायगा ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०९५/६३]

हैजे के सम्बन्ध में अनुसन्धान

†*५४९. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में हैजा उन्मलन संबंधी अनुसन्धान में क्या प्रगति हुई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : हैजे की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर लगातार अनुसन्धान करने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने कलकत्ता में एक हैजा अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया है ताकि अन्ततः इस रोग के नियंत्रण के लिये व्यावहारिक उपायों का विकास हो सके। हैजा के बहुत से रोगियों में उपापचयी परिवर्तनों के सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर रोग के मुख्य स्वरूप का पूर्णतः विश्लेषण किया जा चुका है। रक्त तथा टिशू इलैक्ट्रोलिट्स में असन्तुलन की मात्रा तथा तीव्रता पर नया प्रकाश डाला गया है। अत्याधिक तीव्र तथा जटिल कारणों के रूप में हैजे में एसीडोसिस के होने की पूरी पूरी जांच की गई है। इन अवलोकनों के आधार पर विभिन्न प्रक्रमों पर हैजे के इलाज की एक प्रभावी विधि तैयार की गई है। अब ऐसा विश्वास है कि हाइपरटानिक सैलीन देने की बजाय सोडियम लेक्टेट आदि के साथ हैजा सलीन मिला कर देने से अधिक लाभ होते हैं। हैजे के इलाज में हरे नारियल का पानी देने का वैज्ञानिक आधार पुष्ट कर लिया गया है।

पूर्ववर्ती अध्ययन से पता चला है कि हैजा-विरोधी टीका अधिक समय तक रक्षा नहीं करता। ऐसा विश्वास था कि इस से ६ महीने से एक वर्ष तक अलग अलग अवधियों के लिये रोकथाम होती है। हैजे के टीके की दवाई के निर्माण के लिये सब से अधिक उपयुक्त चीजें क्या हैं, इस बारे में शारीरिक अंगों के विस्तृत रासायनिक तथा प्रतिरक्षाविज्ञान संबंधी[1] अध्ययनों से मूल्यवान जानकारी मिली है ।

भारत में अब न केवल हैजे के अलग अलग प्रत्येक मामले की बल्कि समुदाय में इस के व्यापक फैलाव की भी रोकथाम, नियंत्रण तथा उपचार के लिये पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध है।

भुवनेश्वर के महालेखापाल के अधीन कर्मचारी

†१५११. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) के महालेखापाल के कार्यालय में सब श्रेणियों के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) अक्तूबर, १९६३ के अन्त तक कितने कर्मचारियों को फैमिली क्वार्टर दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Immunological

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) ६५५ ।

(ख) ४०८ ।

होम्योपथिक चिकित्सा पद्धति

†१५१२. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम्योपथिक चिकित्सा पद्धति को राजसहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस की मख्य बातें क्या हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार होम्योपैथिक संस्थाओं को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देती है :—

(१) शिक्षण सस्थाओं की स्थापना क्रमोन्नति तथा/अथवा उन में सुधार । इस प्रयोजन के लिये अनावर्ती व्यय के लिये ७५ प्रतिशत तक तथा आवर्ती व्यय के लिय ५० प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(२) अनुसंधान

(क) **औषधालय सम्बन्धी अनुसन्धान** : प्रति शय्या प्रति वर्ष २,००० रुपये केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(ख) **अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य योजना** : प्रत्येक योजना के गुण दोष के आधार पर ।

अनुदान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित होम्योपैथिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर दिये जाते हैं ।

आंखों के चश्मे बनाने वालों का पंजीयन

†१५१३. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ मार्च, १९६३ को अथवा उस के आस पास उन को, चश्मे बनाने वालों के पंजीयन, देहली तथा अन्य बड़े शहरों में प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना तथा उन के व्यवसाय तथा प्रशिक्षण पर नियंत्रण करने के हेतु एक बोर्ड की नियुक्ति के बारे में एक अभ्यावेदन भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस व्यवसाय पर नियंत्रण करने के हेतु मुख्य रूप से एक बोर्ड की स्थापना करने के प्रश्न के बारे में राज्यों के विचार मांगे गये हैं ?

भारत सरकार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता दे रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा

†१५१४. श्री कपूर सिंह :
श्रीमती शशांक मंजरी :

क्या वित्त मंत्री विदेशी मुद्रा देने के लिये सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत गर-तकनीकी पाठ्यक्रमों तथा विदेशी संस्थाओं की नवीनतम सूची सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं को छोड़ कर, विदेशी मुद्रा नियंत्रण सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये समस्त अन्य विषयों को गर-तकनीकी समझा जाता है, विदेशों में उन विषयों के अध्ययन के लिये, जो कि "प्रतिबन्धित" सूची के अन्तर्गत नहीं आते हैं, विदेशी मुद्रा मिल सकती है। इस समय जो "प्रतिबन्धित" विषय हैं, उन की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २०९६/६३।]

अक्तूबर, १९६३ से विदेश स्थित समस्त ख्यातिप्राप्त संस्थाओं में इन विषयों का अध्ययन किया जा सकता है।

मद्रास राज्य में जल सम्भरण

†१५१५. श्री थेवर्गौंडर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२, १९६२-६३ और १९६३-६४ के दौरान अब तक शुद्ध जल के संभरण के लिये मद्रास सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) क्या उस राज्य में हैजे के भारी प्रकोप को देखते हुए इस सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय जल संभरण तथा जल निस्सारण योजनाओं की क्रियान्विति के लिये मद्रास सरकार को १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में ऋण के रूप में क्रमशः १ करोड़ ११ लाख तथा ८६ हजार रुपये और १ करोड़ ३४ लाख तथा ७२ हजार रुपये दिये गये हैं। १९६३-६४ के लिये इस के प्रयोजनार्थ २ करोड़ ६५ लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत, ग्राम्य जल संभरण योजनाओं सहित समस्त राज्य आयोजना सम्बन्धी योजनाओं के लिये सद्रास सरकार को १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में क्रमशः १ करोड़ ४३ हजार रुपये तथा ८७ लाख ५२ हजार रुपये का सहायक अनुदान दिया गया है। राज्य आयोजन सम्बन्धी सब योजनाओं के लिये १९६३-६४ के लिये १ करोड़ ८० हजार रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। चूंकि राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार निधियों का आवंटन योजनाओं के मुख्य सामूहिक वर्गों के लिये किया जाता है, योजनावार नहीं, अतः ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के लिये दी गई धनराशि के पृथक आंकड़े बताना संभव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आभूषण कारखाना

†१५१६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्यात हेतु स्वर्ण आभूषणों को तैयार करने के लिये एक २२ कैरट के स्वर्ण आभूषण बनाने वाले कारखाने के चालू करने के प्रश्न पर कोई निर्णय किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : निर्यात हेतु सोने के आभूषण तैयार करने के लिये एक २२ कैरट के सोने के आभूषण बनाने वाले कारखाने को चालू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

नई दिल्ली में बालकों के लिये "सुरक्षा पार्क"

†१५१७. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की. कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने बालकों के लिये एक अति सुन्दर "सुरक्षा पार्क" बनाने का निर्णय किया है जो कि देश में अपने प्रकार का एक ही पार्क होगा; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां बनाया जायेगा तथा इस के बनाने में कितना धन खर्च होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) इरविन रोड पर एक यातायात पार्क बनाया जा रहा है । इसमें सड़कें, चौराहे, यातायात संकेतिक (ट्रैफिक सिगनल), पैट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) तथा अनेक अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था होगी । इसमें साइकिलों तथा पांव से चलने वाली कारों का भी प्रबन्ध होगा तथा बच्चों को लगभग उन्हीं वास्तविक परिस्थितियों के अन्दर यातायात नियमों का प्रशिक्षण दिया जायेगा जैसी कि उन्हें सड़कों पर पेश आती हैं ।

(ख) बच्चों के लिये प्रस्तावित "सुरक्षा पार्क" नई दिल्ली के द्वारा बंगला साहिब के सामने वाले पार्क में बनाया जायेगा । इस परियोजना में कोई वित्तीय उपलक्षणायें अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं क्योंकि इसको मेसर्स बर्मा शैल तैयार करके दान के रूप में देंगे ।

द्रवता संसाधन[1]

†१५१८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता संसाधनों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार अथवा अंतर्राष्ट्रीय मद्रा निधि द्वारा चालू वर्ष के बारे में कोई नया अध्ययन किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) गत पांच वर्षों की अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता का कोई अध्ययन किये जाने के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है । इस विषय का सरकारी तौर पर अन्तिम अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा किया गया था जो १९५८ में प्रकाशित कर दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Liquidity Resources.

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की पिछली वार्षिक बैठक में यह तय किया गया था कि यह निधि तथा औद्योगिक क्षेत्र में उन्नत इसके दस सदस्य इस वर्ष के दौरान ऐसा अध्ययन करेंगे । निधि द्वारा सूत्रपात किये गये इन अध्ययनों के साथ भारत सरकार का निकट का सम्पर्क कायम है ।

तपेदिक के रोगी

†१५१९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तपेदिक से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को अपने उपचार के लिये विभाग से १८ मास का अवकाश मिल सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अवकाश सवेतन मिलता है अथवा वेतनरहित ; और

(ग) यदि वेतनरहित मिलता है, तो क्या सरकार का इस नियम को बदलने के बारे में कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख) : तपेदिक से पीड़ित स्थायी अथवा अर्द्ध-स्थायी सरकारी कर्मचारी को ५ वर्ष तक का अवकाश मिल सकता है जो कि उसको मिल सकने वाले उपार्जित अवकाश, आधे वेतन पर अवकाश (जिसको कुछ शर्तों के अधीन उसकी इच्छा पर पूर्ण सवेतन अवकाश में बदला जा सकता है) तथा अनुपार्जित अवकाश में से मिलाकर बनाया जायेगा और शेष छुट्टी वेतनरहित असाधारण अवकाश के रूपमें मिलेगी । अस्थायी कर्मचारी उपार्जित अवकाश, आधे वेतन पर अवकाश (जिसको कुछ शर्तों के अधीन उसकी इच्छा पर पूर्ण सवेतन अवकाश में बदला जा सकता है) तथा १८ महीनें तक के वेतनरहित असाधारण अवकाश का अधिकारी है ।

(ग) अस्थायी सरकारी कर्मचारी को सामान्यतया अपनी सेवा के प्रथम ३ वर्ष के दौरान ३ महीने तक का तथा उसके बाद ६ महीने तक का असाधारण अवकाश मिल सकता है । यदि वह उसको मंजूर किये गये असाधारण अवकाश की अधिकतम अवधि के समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर लौटकर नहीं आता है, तो यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है । अत : तपेदिक से पीड़ित अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को १८ महीने तक का असाधारण अवकाश देना स्वयं में एक रियायत है चूंकि इससे उनकी सेवा में विघ्न नहीं आता है तथा उपचार के बाद वे ड्यूटी पर लौट कर आ सकते हैं । इससे उनको चिकित्सा सेवा नियमों के अधीन सुविधाएं भी प्राप्त होती रहती हैं । तपेदिक का प्रत्येक मामला एक दयनीय मामला है तथा सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सामान्य नागरिकों, जिनको इस सम्बन्ध में व्यय को पूरा करने के लिये अपने ही संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, के मामलों के मुकाबिले भिन्न प्रकार का व्यवहार करने के लिये कोई सारभूत आधार नहीं है । इन परिस्थितियों में, सरकार वर्तमान नियमों में कोई रूपभेद करना आवश्यक नहीं समझती ।

फिल्म कलाकारों द्वारा करापवंचन

१५२०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म कलाकार अनुमानत: कितनी कर-राशि का अपवंचन करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री त० त० कृष्णमाचारी) फिल्म कलाकार करों की कितनी रकम अदा नहीं करते, इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की औषधियों की चोरी

†१५२१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की औषधियों की चोरी करने तथा उन्हें बेचने सम्बन्धी एक षड्यंत्र हाल में प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो षड्यंत्रकारियों द्वारा चुराई गईं तथा बेची गईं जिन औषधियों का अब तक पता लगा है, उनका कुल मूल्य क्या है तथा पुलिस की छानबीन सम्बन्धी रिपोर्ट के अनुसार ये षडयंत्रकारी अपनी योजना को कब से चलाते आ रहे हैं ; और

(ग) प्रारम्भिक छानबीन के अनुसार इस षडयंत्र में कितने सरकारी कर्मचारियों का हाथ पाया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग) . यह संदेह हो जाने के कारण कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में जो औषधियों का भंडार है, उससे कुछ बेईमान कर्मचारी औषधियां चुराकर बाज़ार में बेच रहे हैं, विशेष पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जनरल से मामले की छानबीन करने के लिये प्रार्थना की गई थी । १२ कर्मचारियों, १ भूतपूर्व कर्मचारी तथा औषधि विक्रताओं से सम्बन्धित कुछ बाहर के व्यक्तियों के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । अग्रेतर जांच जारी है तथा विषय न्यायाधीन है ।

चुराई गई औषधियों के कुल मूल्य का पता नहीं है । स्टाक रजिस्टरों में दर्ज आंकड़ों के अनुसार, कोई हानि नहीं दिखाई गई इस संदेह के कारण कि आंकड़ों में कोईहेरफेर किया गया है, मामला पुलिस को सौंपा गया ।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

†१५२२. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने कोई लाभ अर्जित किया है ; और

(ख) क्या इसके निर्माण-कार्य में हाल में कुछ कमी आई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, हां । १९६२-६३ के दौरान राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा २२,२८,७६४ रुपये का लाभार्जन किया गया ।

(ख) वर्ष १९६१-६२ के दौरान किये गये ३१०.४१ लाख रु० के निर्माण-कार्य के मुकाबले निगम ने वर्ष १९६२-६३ के दौरान २४०. ६२ लाख रु० के मूल्य का निर्माण-कार्य किया । निगम को हाल ही में २८३९ लाख रुपये के मूल्य के और निर्माण-कार्य सौंपे गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा

†१५२३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक इलाज के लिये स्वेच्छा व्यक्त की है, उनको मामूली पट्टी आदि बांधने के कामों की भी सुविधा के० स० स्वा० सेवा की दूसरी डिसपेंसरियों में नहीं मिलती, और वह सुविधा आयुर्वेदिक डिसपेंसरियों में उपलब्ध नहीं, अतः उनको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत खोली गई आयुर्वेदिक डिसपेंसरियों में इलाज चिकित्सा मामलों तक ही सीमित है। सरजरी, प्रसव सम्बन्धी, या स्त्री रोग विज्ञान सम्बन्धी मामले उस डिसपेंसरी को नहीं भेजे जाते। अतः रोगी को, चाहे वह उस डिसपेंसरी से चिकित्सा प्राप्त करे, पट्टी मरहम आदि की दूसरी चिकित्सा, आवश्यकता पड़ने पर उसकी मूल डिस्पेंसरियों में ाप्त हो।

टिस्टा बहु-प्रयोजनीय परियोजना

†१५२४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिस्टा बहुप्रयोजनीय परियोजना की कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इसका निर्माण किसी विदेशी सहायता अथवा सहयोग के द्वारा किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) बांध परियोजना पर जांच-पड़ताल कार्य मुकम्मल हो चुका है।

(ख) इस समय विदेशी सहायता या सहयोग का कोई प्रस्ताव नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली उत्पादन

†१५२५. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री मा० प्र० यादव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री १२ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय निर्माता संघ के इस सुझाव पर विचार किया है कि बिजली उत्पादन का काम केन्द्रीय निगम द्वारा बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया पूछी गई है ; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) और (ख) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केरल, पंजाब, गुजरात, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश सरकारों ने कुछ शर्तों पर प्रस्ताव को स्वीकार किया है । तथापि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों ने इसका विरोध किया है । मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर और आसाम सरकारों के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए ।

न मांगी गई जमा राशि

†१५२६. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९६३ तक सरकार के विभिन्न बैंकों में कितनी राशि ऐसी जमा पड़ी थी, जिसको निकालने की मांग नहीं हुई थी और उस राशि के जमा होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार ने हिसाबधारियों के उत्तराधिकारियों को वह राशि देने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा २६ के अनुसार व्यापारी बैंकों में जमा खातों का ब्यौरा, जिनमें दस वर्षों में या अधिक अवधि से निकालने या जमा करने का कोई काम नहीं हुआ, प्रत्येक पत्री वर्ष की समाप्ति के पश्चात् देना पड़ता है। सितम्बर, १९६२ के अन्त में, स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों में जमा राशि, जो दस वर्षों या अधिक अवधि से न तो मांगी गई थी और न ही उसमें जमा या निकासी की गई थी १५७.४४ लाख रुपये थी । डाक घर बचत बैंक में जमा राशि, जो मार्च, १९६३ के अन्त में, जो छः वर्षों या अधिक अवधि से रुकी पड़ी थी, १२ करोड़ रुपये थी ।

(ख) चूंकि यह राशियां बहुत अधिक नहीं हैं और क्योंकि इन बैंकों को ये राशियां देने का कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं, यदि उन राशियों को न मांगा जाए, तो कोई विशिष्ट कार्रवाई करना जरूरी नहीं होगा ।

मोटर गाड़ी उद्योग

†१५२७. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक दल के विशेषज्ञों के साथ, तीसरी योजना में मोटरगाड़ी उद्योग की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ऋण के बारे में समझौता पूर्ण हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) और (ख) . अभी बातचीत चल रही है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक गाड़ियों को उत्पादकों की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा का ऋण मिल सके । चूंकि मामला अभी तय नहीं हुआ अभी कोई कोटा नहीं दिया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम

†१५२८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में कितनी जीवन बीमा पालिसियां परिपक्व हुईं ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में बीमा करवाये व्यक्तियों की मत्यु के कारण जीवन बीमा निगम के पास कितने दावे आए ?

†**वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी** :

	अवधि	परिपक्वता द्वारा दावों की संख्या
(क)	१-१-६२ से ३१-३-६३ तक	१६०११४
(ख)		मृत्यु द्वारा दावों की संख्या
	१९६० . . .	. २७१२१
	१९६१	. २९१६७
	१-१-६२ से ३१-३-६३ तक . . .	. ४०६५७

परिवार नियोजन पर प्रलेख चलचित्र

†१५२९. **श्री कर्णीसिंह जी** :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने परिवार नियोजन के सर्वोत्तम प्रलेख चित्र को २५००० रुपये का पारितोषिक दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो बिरौना को चुनने का क्या तरीका है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). भारत ने परिवार नियोजन सम्बन्धी सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिये २५,००० रुपये देने का फैसला किया है ।इस समय इस विषय की सर्वोत्तम प्रलेख चित्र को पारितोषिक देने की कोई योजना नहीं । चलचित्र अपेक्षित किस्म या प्रभाव वाली हो, इसके लिये केवल उन्हीं फिल्मों को पारितोषिक के लिये अर्ह समझा जाएगा, जो सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा बनाई गई फिल्मों के लिये राज्य पारितोषिक के योग्य हों, या इस पारितोषिक के लिये अपने प्रवेश की तिथि से बारह सप्ताह तक चलें । इस पारितोषिक के लिये प्रवेश राज्य पारितोषिकों के लिये प्रवेशों के साथ, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा, सार्वजदिक सूचना के द्वारा, आमन्त्रित किये जायेंगे । यह चुनाव सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के संकल्प संख्या ७/४/६३—एफ १ दिनांक ९ जनवरी, १९६३ के अनुसार दिया जायेगा । प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २०९७/६३]**

चांदमारी क्षेत्र

†१५३०. **श्री कर्णीसिंह जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मन्त्री २० सितम्बर, १९६३ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत की राष्ट्रीय राइफल संस्था को, दिल्ली में रिज पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्था को आवंटित की गई

†मूल अंग्रेजी में

९६.५ एकड़ भूमि पर गोली चलाने की रेंज बनाने का काम आरम्भ करने की अनुमति देने के लिये अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : रिज क्षेत्र की भूमि वहद् योजना में हरे रंग में दिखाई गई है और दिल्ली विकास प्राधिकार की निश्चित मंजूरी के बिना उस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। इस प्रश्न पर अक्तूबर १९६३ में राष्ट्रीय राइफल संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी, जब यह तय हुआ कि ऊपरी रिज सड़क का वर्तमान स्थान उचित राइफल रेंज के लिये उपयुक्त नहीं है, जिसके लिये बहुत सी संरचनाओं की आवश्यकता है ; उपयुक्त वैकल्पिक स्थान ढूंढने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है। इस बीच अस्थायी न्यूनतम रेत के थैले, बटों आदि का मूल स्थान पर निर्णय करने के लिये मंजूरी देने का प्रश्न विचाराधीन है।

मुंह का कैंसर

†१५३१. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि अनुसन्धान से पता चला है कि मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण तम्बाकू खाना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : यह दर्शाने का जोरदार प्रमाण है कि तम्बाकू का चबाना मुंह के कैंसर निकाय का एक मुख्य कारण हो सकता है। तथापि, अधिकारपूर्वक कोई निर्णय देने से पूर्व, अधिक अध्ययन करना होगा कि क्या तम्बाकू खाने की आदत भारत में मौखिक कैंसर का प्रमुख कारण है।

सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक दवाइयां

†१५३२. **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री सिद्धनजंप्पा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक एककों को अपनी शुद्ध आय में से, रक्षित धन बनाने का अधिकार दे दिया गया है ; और

(ख) क्या ये इकाइयां उन रक्षित धन का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात् निर्मित पूंजी, जिसको सन्यन्त्रों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिये पुनः प्रयोग में लगाया जाए या नवीन औद्योगिक उपक्रमों में लगाया जाए, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां, साधारणतः सरकार द्वारा मंजूर योजनाओं पर।

गांजे का पकड़ा जाना

१५३३. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के मुंगेर जिले में खगड़िया थाने के मथार गांव में ९ अक्तूबर, १९६३ को पुलिस ने ३५ बोरा अनधिकृत गांजा बरामद किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :(क) उत्पादन-शुल्क विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने ६ अक्तबर, १९६३ को मथार नामक गांव से निर्दिष्ट गांजे की २८ बोरियां बरामद की थीं, जिनमें कुल ८६५.८ किलोग्राम गांजा था।

(ख) पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है।

उत्तर प्रदेश में कर निर्धारण के मामले

†१५३४. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बालगोविन्द शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में उत्तर प्रदेश में आयकर अधिकारियों ने कितने कर निर्धारण मामलों को निपटाया और अन्तिम फैसला किया ;

(ख) कितने मामलों में करदाताओं ने आयकर अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की है और निर्णयों में शोधन हुआ है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग को ३० सितम्बर, १९६३ तक करदाताओं से कितनी राशि वसूल करनी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

समय को आगे बढ़ाना

†१५३५. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिन के समय को बचाने के लिये घण्टे को एक घण्टा आगे बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है।

रिंग रोड पम्पिंग स्टेशन, दिल्ली

†१५३६. **श्री हेडा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली दरवाजा बड़ा नाला और दिल्ली नगरपालिका निगम के रिंग रोड पम्पिंग स्टेशन कब चलने लगेंगे;

(ख) काम की पूर्णता को क्या लक्ष्य नियत किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि काम में विलम्ब हुआ है, तो कितना, तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्माण पर कुल कितनी लागत आई है और अनुमानों की तुलना में कम है या अधिक ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) दिल्ली दरवाजा, बड़े नाले और रिंग रोड पम्पिंग स्टेशन का काम पूरा हो चुका है। इसे पू ी तरह काम करने के लिये शुरू करने से पूर्व, सभारक तथा उत्सर्जन महानिदेशालय द्वारा, इसका प ीक्षण या प्रयोग करना होगा। दिसम्बर, १९६३ के अंत तक इस काम के पूरा हो जाने की संभावना ह ।

(ख) बड़ा नाला पूरा होने की लक्ष्य तिथि ३० जून, १९६१ थी और रिंग रोड पम्पिंग स्टेशन की तिथि ३१ जुलाई, १९६१ ।

(ग) विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०९८/६३**]

(घ) दिल्ली दरवाजा, बड़ा नाला परियोजना की अनुमानित लागत ७० लाख रुपये थी और अब तक ६४ लाख रुपया व्यय हो चुका है। केदारों के कुछ बिल निगम के विचाराधीन हैं। निर्माण की कुल लागत अनुमानित लागत के अन्तर्गत रहने की अपेक्षा है।

रिंग रोड पम्पिंग स्टेशन तथा राइजिंग मैनों की अनुमानित लागत ४८ लाख रुपये है और अब तक ४७.३६ लाख रुपये है। आशा है कि अ ुमानित रकम में थोड़ी वृद्धि होगी क्योंकि ठेकेदा ों के कुछ बिलों और दावों को अभी निगम द्वारा तय किया जाना है।

कथुआ नहर

†१५३७. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार, रावी नदी से कथुआ नदी में सम्भरण बढ़ाने के लिये गम्भीरतापूर्वक मांग कर रही है; और

(ख) प्रारम्भ में उक्त नहर में जल सम्भरण कितना है और क्या उसको बढ़ाया जायेगा और यदि हां, तो कहां तक ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने पंजाब सरकार से प्रार्थना की है कि वह नवीन काश्मीर नहर (कथुआ नहर) के लिये पाकिस्तान के मध्य बारी दोआब नहर व्यवस्था से लिये गये जल में से रबी में ५० क्यूसक जल दें।

(ख) पुरानी काश्मीर नहर का अधिकृत पूर्ण जल निकास खरीफ में १२० क्यूसक और रबी में शून्य था। नवीन काश्मीर नहर (कथुआ नहर) में खरीफ में ४०० क्यूसक का पूर्ण सम्भरण होता है और रबी में शून्य। खरीफ में वास्तविक सम्भरण, राज्य सरकार की मांग के अनुसार १०० से ४०० क्यूसक के बीच होता है। रबी १९६२–६३ में पंजाब सरकार ने दोनों राज्यों के बीच करार के द्वारा इस नहर

†मूल अंग्रेजी में

में १० क्यूसक तक जल दिया है । जाब सरकार ने अक्तूबर, १९६३ में उत्तर खण्ड परिषद् की ७वीं बैठक में किये गये एक निर्णय के द्वारा रबी में २० क्यूसक तक बढ़ाना स्वीकार कर लिया है ।

भारतीय फर्मों के लिए अमरीकी ऋण

†१५३८. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० ४८० के अधीन संभरित की गई अमरीकी कृषि वस्तुओं के विक्रय मूल्य की धनराशि से पांच भारतीय फर्मों को ५ करोड़ ५६ लाख रुपये का ऋण देने के लिये अमेरिका सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक को कितना-कितना ऋण मंजूर किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें यह जानकारी दी गई है ।

विवरण

फर्म का नाम जिसके लिए ऋण मंजूर किया गया है	मंजूर किये गये ऋण की राशि (रुपयों में)
यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड	२,१६,००,०००
किर्लोसकर कमिन्स लिमिटेड	१,२५,००,०००
नेपको बीवल गीयर ऑफ इंडिया लिमिटेड	४०,००,०००
मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	१,५०,००,०००
अरबोर एकर्स फार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	२५,००,०००
कुल राशि	५,५६,००,०००

रिजर्व बैंक की ऋण नीति

†१५३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक की ऋण नीति के सम्बन्ध में कोई नया निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** :(क) जी, हां ।

(ख) ३० अक्तूबर, १९६३ से, रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को दिये जाने वाले ऋणों तथा पेशगियों के सामान्य अभ्यंश को बढ़ाकर उनकी औसत परिनियत

†मूल अंग्रेजी में

संचितियों के १५० प्रतिशत के बराबर कर दिया गया है। उपयुक्त मामलों में, इस सीमा के अतिरिक्त, और भी ऋण दिया जा सकेगा। सामान्य अभ्यंश की आधी मात्रा तक ऋणों तथा पेशगियों पर ४½ प्रतिशत की बैंक दर से ब्याज लिया जायेगा और इससे अधिक, यदि कोई, ऋण और पेशगियां होंगी तो उन पर ६ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा। अंशों (शेयरों) पर पेशगी धन लेने के सम्बन्ध में जो सीमा निर्धारित की हुई थी वह हटा दी गई है।

कोलम्बो योजना परामर्शदात्री समिति

†१५४०. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना की परामर्शदात्री समिति की जो बैठक हाल ही में बैंकाक में हुई थी उसमें क्या क्या मुख्य प्रेक्षण/सिफारिशें की गई थीं; और

(ख) सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा क्या निर्णय किये गये।

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) कोलम्बो योजना की परामर्श-दात्री समिति ने जिसकी बैठक ११ से १४ नवम्बर तक बैंकाक में हुई थी, १९६२–६३ में कोलम्बो योजना के क्षेत्र में हुए आर्थिक विकास का पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, और सामने आने वाली समस्याओं का मूल्यांकन करने के पश्चात्, और बातों के सा. साथ, निम्नलिखित प्रेक्षण/सिफारिशें की थीं :—

(१) कि संसार के विकसित देशों को व्यापार पर लगे अनेक कृत्रिम प्रतिबन्धों को हटाकर विकासशील देशों को व्यापार के अवसरों का प्रसार करने में उनको सहयोग देना चाहिये;

(२) कि मंडियों में माल का विक्रय करने के अवसरों तथा उस क्षेत्र में उत्पादन सम्बन्धी नवीन सुविधाओं के बारे में जानकारी का सुधार करने की आवश्यकता है;

(३) कि, वाह्य सहायता के क्षेत्र में, परियोजना—अतिरिक्त सहायता के योगदान तथा सहायता की शर्तों को उदार बनाने के भी सम्बन्ध में निरन्तर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है;

(४) कि, प्रविधिक सहायता के क्षेत्र में, अंत:-प्रादेशिक प्रविधिक प्रशिक्षण की सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता को देखते समय, प्रविधिक सहकारी कार्यक्रमों की व्यवस्था में लचीलेपन का एक साधन रखना भी आवश्यक होगा जिससे कि जैसे जैसे विकास योजनायें आगे बढ़ें तो उनकी प्रविधिक सहायता की बदलती हुई आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके;

(५) कि एक अन्त:-प्रादेशिक प्रशिक्षण सम्बन्धी सलाहकार शीघ्र ही नियुक्त किया जाय और यह कि कोलम्बो योजना प्रदेश की सरकारों से बिना किसी बिलम्ब के स्थानीय सम्पर्क अधिकारियों को नियुक्त करने के लिये कहा जाय ; और

†मूल अंग्रेजी में

(६) कि, जन-शक्ति आयोजन के क्षेत्र में, सदस्य देश योजना प्रदेश की सरकारों को जो जन-शक्ति आयोजन सम्बन्धी सहायता दे सकते हैं वह किस प्रकार की होगी इसके बारे में देश कोलम्बो योजना ब्यूरो की प्रार्थना पर जानकारी प्रदान करें।

(ख) परामर्शदात्री समिति का मुख्य कार्य योजना प्रदेश के देशों के सामान्य आर्थिक हित के मामलों पर विचार विनिमय करना है। उन सिफारिशों पर जिन पर कि सरकार द्वारा निर्णय किये जाने की आवश्यकता है क्या कार्यवाही की जायेगी यह बात विचाराधीन है।

नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे

१५४१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नई दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में से ५३ प्रतिशत रोगग्रस्त हैं, ऐसा पीछे नई दिल्ली नगरपालिका के चिकित्सा विभाग के सर्वेक्षण से पता लगा है।

(ख) क्या दिल्ली में भी ऐसे आंकड़े इकट्ठे किए गये हैं ; और

(ग) उक्त रोगों की रोकथाम की क्या व्यवस्था हो रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां। १९६२–६३ में रजिस्टरों में नामांकित १००८१ विद्यार्थियों में से ४८२४ विद्यार्थियों का निरीक्षण किया गया जिनमें से २५६० विद्यार्थी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त पाये गये ।

(ख) जी हां। दिल्ली नगर निगम की स्कूल चिकित्सा योजना के अन्तर्गत स्कूलों में ७१ प्रतिशत बच्चे किसी न किसी रोग से ग्रस्त पाये गये हैं।

(ग) व्यवस्था इस प्रकार की गई ।

(१) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र

अल्पपोषित बच्चों को निःशुल्क दूध दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हलके-फुलके रोगों, जिन में दांतों और आंखों की खराबी सम्मिलित है का भी इलाज किया जाता है। विशेष रोग की स्थिति में उन के माता-पिता को सूचित कर दिया जाता है कि वे विशेषज्ञों द्वारा उनका इलाज करवालें ।

२. दिल्ली नगर निगम क्षेत्र

(१) स्कूल चिकित्सा योजना से सम्बद्ध नेत्र विशेषज्ञों द्वारा बच्चों की आंखों के रोगों का निदान तथा उपचार किया जाता है ।

(२) स्कूल चिकित्सा योजना से सम्बद्ध दन्त सर्जन बच्चों के दांतों के रोगों का इलाज करते हैं ।

(३) दूसरे रोगों का इलाज विभिन्न स्कूलों के उपचार केन्द्रों तथा केन्द्रीय कार्यालय के सामान्य क्लिनिक में होता है ।

(४) पोषण सम्बन्धी त्रुटियां आहार अनुपूरक देकर तथा माता-पिता को उचित एवं सही पोषण के बारे में सलाह देकर दूर की जाती हैं। कतिपय त्रुटियों की रोक-थाम के लिये स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है ऐसी स्थिति में जहां विशेष सावधानी की आवश्यकता हो बच्चों को विशेष नियुक्त द्वारा अस्पताल भेज दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिये आवास योजनायें

†१५४२. { **श्री गो० महन्त :**
श्री जसवन्त मेहता :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिये बनाई गई आवास योजनाओं पर द्वितीय योजना काल में, राज्यवार, कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी थी तथा कितनी व्यय हुई ;

(ख) निम्न-आय वर्ग के लोगों की आवास योजनाओं पर तृतीय योजना काल के प्रथम दो वर्षों में, राज्य-वार, कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी थी तथा कितनी व्यय हुई ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०९९/६३]

दिल्ली में सोने का पकड़ा जाना

१५४३. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली ३० में अक्तूबर, १९६३ को ४ लाख रु० कीमत की सोने की सिल्लियां बरामद हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इन सिल्लियों को ले जाने वाला व्यक्ति भारतीय या विदेशी था ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमचारी) :(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

बोंगांव भूमि सीमा-शुल्क कर्मचारी

†१५४४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोंगांव भूमि सीमाशुल्क कर्मचारियों (पश्चिम बंगाल) ने पेट्रापोल के कर्मचारियों के क्वार्टरों में जाने से इन्कार कर दिया है क्योंकि वे आवास योग्य नहीं हैं और उनमें नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कर्मचारी संघ के अभ्यावेदन भेजने पर भी सरकार कर्मचारियों के वेतन से मकान का किराया काट रही है ; और

(ख) यदि हां, तो पेट्रापोल में भूमि सीमा-शुल्क कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी हालतों को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) पेट्रापोल में, जो कि पश्चिम बंगाल में भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर भूमि सीमा-शुल्क का एक स्टेशन है, रहने के ४४ क्वार्टर बनाये गये हैं । क्वार्टरों की डिजाइन आदि सरकार द्वारा स्वीकृत स्तरों के अनुसार हैं । क्वार्टर रहने योग्य हैं तथा उनमें उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है जिनकी कि एक सीमावर्ती स्टेशन पर सामान्यतया आशा की जा सकती है । तीन कर्मचारी तो अब तक क्वार्टरों में चले गये हैं । अन्य जिन अधिकारियों को ये क्वार्टर दिये गये हैं वे अभी तक उनमें नहीं गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आवासिक क्वार्टरों के आवन्टन सम्बन्धी विद्यमान विभागीय नियमों के अन्तर्गत किराया वसूरल किया जा रहा है ।

(ग) कर्मचारियों की किसी भी उचित शिकायत को दूर करने का उपाय केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता करेगा ।

कांगड़ा में उत्पादन शुल्क इलाके

†१५४५. **श्री हेमराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से लेकर १९६२ तक की अवधि में कांगड़ा जिले में कितने उत्पादन-शुल्क इलाके थे ;

(ख) १९६३ में कितने उत्पादन-शुल्क इलाके हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि चाय बागान के मालिकों को हफ्तों तक चाय की निकासी के लिये गेट पास नहीं मिलते और इससे अमृतसर की मण्डी में व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो कम से कम समय में ही गेट परमिटों को देने के लिये सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमचारी)** : (क) १९५७ में सात इलाके, १९५८ से लेकर १९६१ तक छः इलाके और १९६२ में पांच इलाके ।

(ख) पांच इलाके ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चाय पर उत्पादन-शुल्क के लिये पृथक खण्ड

†१५४६. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि ह ी चाय पर उत्पादन-शुल्क लगाने के प्रयोजनों के लिये कांगड़ा (पंजाब) और मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के पृथक पृथक खण्ड बना दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) पंजाब सरकार ने यह प्रार्थना की है कि केवल कांगड़ा जिले में ही पैदा की गई चाय पर उत्पादन-शुल्क कम कर दिया जाय ।

(ख) खण्ड १ में, जिसमें कि कांगड़ा और मण्डी सम्मिलित हैं, पैदा की जाने वाली हरी चाय पर १८ नवम्बर, १९६३ से उत्पादन शुल्क १५ नए पैसे प्रति किलोग्राम से घटाकर १० नए पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आय-कर का बकाया

†१५४७. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों या कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन पर आय-कर का १० लाख रुपये से अधिक बकाया है

(ख) क्या उनमें ऐसे व्यक्ति और कम्पनियां भी हैं जिनके विरुद्ध उच्चन्यायालयों ने निर्णय दे दिये हैं परन्तु उसके बाद भी आय-कर बकाया है ; और

(ग) यदि हां, तो बकाया को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा उसे सभा की मेज़ पर रख दिया जायगा ।

बीज के लिये अफीम के डोडे

१५४८. **श्री कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में अफीम की काश्त करने वाले बीज हेतु अपने घर में कितने अफीम के डोडे रख सकते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : पोस्त के बीज रखने पर कोई पाबन्दी नहीं है। पोस्त के डोडों के संग्रह पर राज्य सरकारें अपने नियमों के अनुसार नियंत्रण रखती हैं। मालूम हुआ है कि इन नियमों के अनुसार, मध्य प्रदेश के पोस्त के लाइसेंस प्राप्त काश्तकार हर साल १ अप्रैल से ३१ जुलाई तक अपने यहां जितने डोडे चाहें रख सकते हैं या संग्रह कर सकते हैं, पर हों ये उसी फसल के, जो उन्होंने पैदा की हो।

छापेखाने

१५४९. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में केन्द्रीय सरकार के कितने छापेखाने हैं ;

(ख) उनकी राज्य-वार संख्या क्या है ; और

(ग) क्या सरकार अपने दिल्ली स्थित केन्द्रीय छोपेखानें को पंजाब ले जाने का विचार कर रही है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें अभीष्ट जानकारी दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० २१००/१९६३]**

(ग) नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेडीकल कालेज

†१५५०. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियार :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ गैर-सरकारी मेडीकल कालेजों द्वारा विद्यार्थियों से प्रति व्यक्ति शुल्क (केपीटेशन फीज़) लिये जाने की रीति की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कुरीति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी, हां।

(ख) ५ से ७ नवम्बर, १९६३ को मद्रास में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की ग्यारहवीं बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि देश में गैर-सरकारी मेडीकल कालेजों से सम्बन्धित समस्याओं की गहन जांच करने के लिये भारत सरकार द्वारा एक समिति स्थापित की जाये और वह समिति अधिक से अधिक मार्च तक अपना प्रतिवदन परिषद के विचारार्थ पेश कर दे जिससे कि अगले शिक्षा वर्ष से पर्याप्त समय पहले ही उस पर विचार किया जा सके तथा कार्यवाही का निर्णय किया जा सके। समिति की स्थापना के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है।

आसाम में सिंचाई और विद्युत् क्षमता

†१५५१. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल की शेष अवधि में अपनी सिंचाई और विद्युत क्षमता का विकास करने के हेतु आसाम राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता देने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी हां। आसाम सरकार ने, योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के समय तृतीय योजना में सम्मिलित विद्युत् योजनाओं के लिये ४५ करोड़ ३ लाख रुपये की लागत बताई है जब कि इनके लिये २७ करोड़ ५० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया था। राज्य विद्युत बोर्ड ने भी इस सम्बन्ध में अगस्त, १९६३ में एक पृथक् अभ्यावेदन दिया था।

सिंचाई योजनाओं के लिये, राज्य सरकार ने वर्ष १९६३-६४ के लिए ४७ लाख ८८ हजार रुपये की बढ़ी हुई लागत का प्रस्ताव किया है। १९६४-६५ के लिये उन्होंने ११० लाख रुपये की लागत का प्रस्ताव किया है। १९६५-६६ के लिये अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष १९६३-६४ की लिये विद्युत योजनाओं के लिये आसाम सरकार को ७ करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है। राज्य सरकार के १९६४-६५ के प्रस्तावों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

१९६३-६४ की सिंचाई योजनाओं के लिये जितनी व्यवस्था की प्रार्थना की गई थी उसे घटा कर ५ लाख रुपये की कर दिया गया है। क्योंकि विद्युत तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त सहायता की भी व्यवस्था की जानी है। १९६४-६५ के राज्य सरकार के प्रस्तावों पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। १९६५-६६ के लिये अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

सत्यापन शुल्क

†१५५२. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार के जिन सरकारी कर्मचारियों ने मकान निर्माण पेशगियों को लेने के लिये आवदन पत्र दिये थे उनको सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में विक्रय-विलेखों का सत्यापन करने के लिये दिल्ली/नई दिल्ली के सरकारी वकीलों द्वारा कुल कितना शुल्क लिया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में ऐसे मामलों में राजस्व अधिकारी, दिल्ली द्वारा कुल कितना शुल्क लिया गया है और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ग) विधि के किन उपबन्धों के अधीन यह शुल्क लिया जाता है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में मध्य आय वर्ग के लोगों के लिये आवास योजनायें

†१५५३. **श्री रा० बरूआ :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में मध्य आय वर्ग के लोगों की आवास योजनाओं के अधीन दिल्ली प्रशासन को कुल कितना रुपया दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** बत्तीस लाख रुपये

मद्रास और केरल के बीच पानी का बांटना

†१५५४. **श्री कंजरोल्कर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास और केरल के बीच पानी को बांटने के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्री द्वारा की गई चर्चाओं का क्या परिणाम निकला है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** केन्द्रीय मंत्री ने अभी तक केरल तथा मद्रास राज्यों के मंत्रियों के साथ कोई चर्चा नहीं की है। ये दोनों राज्य मंत्री इस समय सम्बन्धित अन्तर्राज्यिक नदियों के पानी को बांटने से सम्बन्धित प्रश्नों पर आपस में बातचीत कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल शोधन कारखाने में जीवन बीमा निगम का विनियोजन

†१५५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण भारत में सरका ी क्षेत्र के प्रस्तावित तेलशोधक कारखाने के कुछ अंशों (शेयरों) को खरीदने के भारत के जीवन बीमा निगम के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : यह प्रश्न अभी तक विचाराधीन बताया गया है।

विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को अनुमति

†१५५६. **श्री कपूर सिंह :**
श्रीमती शंशांक मंजरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया उन विद्यार्थियों को जिन्होंने कि विदेशी संस्थाओं में प्रवेश ले लिया है परन्तु उन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है केवल उन्हीं मामलों के विदेश जाने की अनुमति देता है जिनमें कि विदेशों में ो व्यक्ति उनका भरण-पोषण करने के लिये तैयार हैं वे या तो उनके माता पिता, बच्चे, असली ाई अथवा असली बहिनें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की विशेष सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन मामलों में भी अनुमति देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है जिसमें कि विद्यार्थियों के अन्य रिश्तेदार उनका भरण-पोषण करने के लिये तैयार हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). जब कि अध्ययन का प्रस्तावित पाठ्यक्रम अन्य किसी रूप में विदेशी मु ा के दिये जाने का पात्र नहीं हो तो माता पिता, बच्चे, असली भाई-बहनें, चाचा, चाची, स्वसुर जैसे रिश्तेदारों के अतिथ्य को इस प्रयोजन के लिये स्वीकार्य समझा जाता है।

अन्त रिश्तेदारों के कतिथ्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जाता है बशर्ते कि किसी मामले की परिस्थितियों से यह सुनिश्चित हो जाय कि विदेशों में अध्ययन की सम्पूर्ण अवधि में प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था निर्विघ्न रूप से जारी रहेगी।

बिना बारी मकान दिया जाना

†१५५७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को रहने के मकानों का बिना बारी आवंटन केवल चिकित्सा अधिकारियों की सिफारिशों पर ही मंजूर किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के पास ऐसे कुछ मामले मंजूरी के लिये पड़े हुए हैं जिनमें ऐसी सिफारिश की गई हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कब तक निर्णय करने का सरकार का विचार है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां। अभी तक सामान्यतया ऐसा ही किया जाता रहा है।

(ख) जी, हां। संख्या लगभग ६० है।

(ग) मकानों की कमी के कारण और पूर्ववर्तिता की व्यवस्था करने में अनुभव हुई कठिनाइयों के कारण, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या बीमारी के आधार पर दी जाने वाली पूर्ववर्तिता को समाप्त कर दिया जाय और महान् कठिनाइयों में ग्रस्त व्यक्तियों के मामलों को गुण-दोषों के आधार पर तदर्थ रूप में निबटाया जाय अथवा नहीं।

कोठागुडम विद्युत् परियोजना

†१५५८. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडम पर १२० मेगावाट के प्रस्तावित ताप यंत्र को ठंडा पानी संभरण करने के लिये किनरसानी नदी पर मिट्टी का बांध कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये ६ मील लम्बी नहर के निर्माण का कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) गोठागुडम विद्युत संयंत्र परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) कोठागुडम तापीय विद्युत केन्द्र के प्रथम प्रक्रम को चालू करने के लिये किनरसानी बांध का पहला चरण दिसम्बर, १९६५ तक निश्चित समय से पहले पूरा हो जायगा।

(ख) कार्य पहले से आरम्भ हो गया है। विद्युत केन्द्र को ठंडा पानी ले जाने के लिये नहर समय से काफी पहले पूरी हो जायेगी।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक परियोजना पर २४५ लाख रु० व्यय हो जाने की आशा है, इसमें १०० लाख रु० किनरसानी बांध के लिये हैं और १४५ लाख ० विद्युत स्टेशन परियोजना के लिये हैं।

कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

†१५५९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री १७ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से पूंजी निर्गमन के लिये आवेदन पत्र पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). विशाखापटनम में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये कोरोमण्डल फर्टिलाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड से पूंजी निर्गमन के निवेदन पत्र पर विचार आदि पूर्ण होने वाले हैं और आवेदन पत्र पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

विस्फोटक पदार्थ विभाग

†१५६१. **श्री कपूर सिंह :**
श्री सोलंकी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्फोटक पदार्थ विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) पिछले १० वर्षों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कितने अधिकारियों ने त्याग-पत्र दिया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) १७८ ।

(ख) प्रथम श्रेणी का एक अधिकारी और द्वितीय श्रेणी के ५ अधिकारी ।

विस्फोटक पदार्थ विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण

†१५६२. **श्री कपूर सिंह :**
श्री सोलंकी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्फोटक पदार्थ विभाग के अधिकारियों को दिये जाने वाला प्रशिक्षण किस प्रकार का है और उसका कार्य-क्षेत्र क्या है; और

(ख) विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कितना और किस प्रकार का सुरक्षा का सामान दिया जाता है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) अभी तक कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं रहा है और इस विभाग के नये भरती किये गये अधिकारी उन वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे हैं जिनके साथ उन्हें लगाया जाता है। भविष्य में भरती किये जाने वाले अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और आगरा में सर्किल अधिकारियों के लिये 'बॉम्ब हट्स' की व्यवस्था है जो सुरक्षा साधनों से सुसज्जित हैं जिससे कि भयानक बमों को दूर से ही सुरक्षा के साथ खोला और तोड़ा जा सकता है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

†१५६३. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका मंत्रालय इस बात की ओर अधिक ज़ोर दे रहा है कि

†मूल अंग्रेजी में

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में सिंचाई सम्बन्धी असंतुलन को दूर किया जाये जिससे कि कम सिंचाई वाले राज्यों को पानी की अधिक मात्रा मिल सके ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के लिये सिंचाई योजनाएं चुनने की कसौटी के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं किया गया है। चतुर्थ योजना के सिंचाई सम्बन्धी प्रस्ताव बनाते समय मंत्रालय विभिन्न राज्यों के असंतुलन पर विचार करेगी।

मोजे, बनियान आदि पर बिक्री कर

†१५६४. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या वित्त मंत्री १९ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में मोजे, बनियान आदि पर बिक्री कर समाप्त करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : वर्तमान समय के लिये यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली में मोजे, बनियान आदि पर बिक्री कर को समाप्त नहीं करना चाहिये।

पोंग बांध और सतलज और व्यास को मिलाने वाली नहर

†१५६५. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध और सतलज और व्यास को मिलाने वाली नहर के निर्माण में कुल कितनी लागत आयेगी;

(ख) वे राज्य जिनको लाभ पहुंचेगा कितनी अनुपातिक लागत सहन करेंगे;

(ग) विश्व बैंक ऋण के अतिरिक्त इसके निर्माण के लिये केन्द्र द्वारा कितनी राशि दी जायेगी; और

(घ) संबंधित लाभानुभोगी राज्य सरकारों को किस अनुपात में लाभ पहुंचेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क)

पोंग बांध	११०.७९ करोड़ रु०
व्यास सतलज को मिलाने वाली नहर	९९.६५ करोड़ रु०
कुल अनुमानित लागत	२१०.४४ करोड़ रु०

(ख) और (घ). लागत और लाभ के बांटने के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) परियोजना के निर्माण में केन्द्रीय सरकार का कोई भाग नहीं है। तथापि यह सम्बन्धित राज्य सरकारों को ऋण देती है।

†मूल अंग्रेजी में

कर्बला शरणार्थी बस्ती में जल संभरण

†१५६६. **श्री पोट्टेकाट्ट** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्बला शरणार्थी बस्ती के 'ई०' ब्लाक में, जोकि नई दिल्ली के केन्द्र में स्थित है, जल संभरण अत्यन्त अपर्याप्त है, विशेषतया दूसरी मंजिल में, और रहने वालों को नहाने और कपड़े धोने के लिये भी नीचे जाना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि निवासियों द्वारा अनेक अभ्यावेदनों के दिये जाने पर भी स्थिति ज्यूं की त्यूं है; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां । कर्बला शरणार्थी बस्ती के 'ई' ब्लाक में पानी की अपर्याप्तता के बारे में निवासियों से समाचार मिले हैं । ऐसा तथापि भीतरी पाइप लाइन की वितरण प्रणाली में दोषों के कारण है ।

(ख) स्थिति में सुधार तब ही हो सकता है जब कि वितरण की भीतरी प्रणाली को निवासियों द्वारा फिर से बिछाया जाये और जब तक यह नहीं किया जाता स्थिति नहीं बदल सकती ।

(ग) निवासियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा बुलाई गई थी । उनको स्थिति से अवगत करा दिया गया है । जिन अलग अलग कनेक्शनों के बारे में वे राजी हो गये थे, वे पाइप लाइन बिछाने के कार्य के पूर्ण होते ही दे दिये जायेंगे ।

बिहार में सिंचाई और विद्युत् योजनायें

†१६६७. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार की कितनी सिंचाई और विद्युत् योजनाएं इस समय केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिये लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) क्या उत्तर बिहार की धोनो नदी परियोजना मंजूर कर ली गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २१०१/६३]**

(ख) बिहार की राज्य सरकार से अभी तक धोनो नदी के लिये कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिकी कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाना

†१५६८. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हेम राज :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ नवम्बर, १९६३ को नई दिल्ली में हुए राज्य वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन-शुल्क लगाने के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया ।

सुनारों के लिये ऋण

†१५६९. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६३ में नई नीति की घोषणा के पश्चात् विभिन्न राज्यों में बेरोजगार सुनारों को आज तक कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में कुल कितने सुनारों को फिर से रोजगार दिया गया है और प्रत्येक राज्य में ऋण के लिये कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

(१) गुटों से अलग रहने वाले राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाये जाने का प्रयास

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : श्रीमान् मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"गुटों से अलग रहने वाले राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाये जाने के कथित प्रयास ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): श्रीलंका की प्रधान मंत्री, श्रीमती बन्दरनायक, की संयुक्त अरब गणराज्य की यात्रा की समाप्ति पर १३ अक्तूबर १९६३ को प्रकाशित एक सम्मिलित विज्ञप्ति में यह कहा गया था कि :

"इस दृढ़ धारणा और विश्वास के साथ कि गुटों से अलग रहने की नीति पर चलकर राष्ट्रों के बीच अच्छी समझ-बूझ पैदा की जा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम किया जा सकता है और अंततः बिलकुल ख़त्म किया जा सकता है, संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति और श्रीलंका की प्रधान मंत्री इस बात पर सहमत हुए हैं कि अगले वर्ष किसी समय गुटबंदी से अलग रहने वाले राष्ट्रों का एक और सम्मेलन होना चाहिए ।

२. भारत ने इस प्रकार का सम्मेलन बुलाने के इरादे का स्वागत किया है और उसमें हिस्सा लेने की रजामंदी जाहिर की है । ऐसी आशा की जाती है कि प्रस्तावित सम्मेलन से संसार के देशों में परस्पर शांति और समझ-बूझ को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी, आपस में समझौता कर लेने के तरीक़े को समर्थन मिलेगा और शीतयुद्ध के तनाव में भी कमी आएगी । भारत सरकार इस प्रस्ताव को सफलतापूर्वक अमल में लाने के लिए आवश्यक सहायता देने को तैयार रहेगी ।

३. यह तो जाहिर है कि इस प्रकार के सम्मेलन करने में बड़ी भारी तैयारी करने की ज़रूरत है और इसके लिए यह आवश्यक है कि सम्मेलन से पहलें उन देशों में परस्पर विचारों का आदान-प्रदान हो जाये जो इसमें दिलचस्पी रखते हों । विचारों का इस तरह का अनौपचारिक आदान-प्रदान आजकल हो रहा है । भारत सरकार भी संयुक्त अरब गणराज्य और श्रीलंका की सरकारों के साथ लिखा-पढ़ी कर रही है तथा इसमें दिलचस्पी लेने वाले अन्य देशों से भी विचारों का आदान-प्रदान हो रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: माननीय प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री कैनेडी की अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण तथा दुखद मत्यु को देखते हुये इस सम्मेलन की तात्कालिता आवश्यक हो गई है । इस वक्तव्य में कितनी सचाई है ? ऐसी क्या बात थी जिससे प्रधान मंत्री ने इस सम्मेलन की तात्कालिकता, विशेष रूप से इस हत्या को दष्टि में रखते हुये, पर ज़ोर दिया है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्तिमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने 'तात्कालिकता' शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया है । यदि मैंने ऐसा कहा है तो मेरा आशय केवल यह रहा होगा कि राष्ट्रपति कैनेडी की दुखद हत्या से स्वभावतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीत पर भारी प्रभाव पड़ा है, तथा तटस्थ राष्ट्रों के लिये यह वांछित होगा कि वे मिलकर राष्ट्रपति केनेडी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के विषय में अपने विचार प्रकट करें । इस संदर्भ में मेरा आशय इन को बलशाली बनाना है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या चीन इस सम्मेलन में घुसने का प्रयत्न कर रहा है ?

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : वह चीन के प्रति हमारा ष्टिकोण जानना चाहते हैं जो तटस्थ राष्ट्र बनने का प्रयत्न कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, नहीं ।

†**श्री नाथपाई** : यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : चूंकि पाकिस्तान और चीन ने गुटों से अलग रहने वाले राष्ट्रों के सम्मेलन के स्थान पर शीघ्र अफ्रीकी और एशियाई देशों के बांडूंग सम्मेलन बुलाने के लिये शिखर स्तर पर चाल चलना आरम्भ कर दिया है, उनके इन प्रयत्नों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवही करने का विचार है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य मुझ से क्या कहलवाना चाहते हैं । चीन के प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अन्य देशों का दौरा कर रहे हैं । संभवत: वे इन गुटों से अलग रहने वाले राष्ट्रों के सम्मेलन को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी दष्टि से वे इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं । न तो उनमें से कोई गत गुटों से अलग रहने वाले राष्ट्रों के सम्मेलन में शामिल हुआ और न ही कोई इस सम्मेलन में शामिल होने की शर्तें पूरी करता है । इसलिये अन्य देशों में जाने पर वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करेंगे जैसा कि एक देश स्वभावत: करता है, अपने मामले को उन देशों के सामने रखेंगे तथा अपने पक्ष में प्रचार करेंगे ।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, जब भी हमें अवसर मिलता है हम इससे लाभ उठाते हैं और इन मामलों के सम्बन्ध में अपने देश के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हैं ।

(२) पाकिस्तानियों द्वारा लाठीटिला और डूमाबारी क्षेत्रों में गोली चलाये जाने की कथित घटना

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

> "पाकिस्तानियों द्वारा लाठी टिला और डूमाबारी क्षेत्रों में कथित गोली चलाये जाने और मशीन गनों का प्रयोग, जिसके फलस्वरूप रक्षकदल के एक पहरेदार को गहरी चोटें आईं और हमारी सीमाओं पर तनाव बढ़ गया" ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : कल मैंने एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया था कि पूर्व पाकिस्तान राइफल्स ने ९ दिसम्बर और फिर १० दिसम्बर को आसाम के लोवाचेरा क्षेत्र में गोलियां चलाईं । कल रात हमें आसाम सरकार से सूचना मिली है कि पाकिस्तानी सेनाओं ने १० दिसम्बर को रात को लगभग १० बजकर १५ मिनट पर लाठिटिला/कारखानापुतनी क्षेत्र में गोली वर्षा आरम्भ कर दी । बाद में उन्होंने लाठीटिला/डूमाबारी के सभी क्षेत्र में गोलीबारी आरम्भ कर दी । हमारे सीमा रक्षक दल को आत्म-रक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी । १० दिसम्बर को रात भर रुक रुक कर गोलियां चलती रहीं । अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार गोली चलना जारी है ।

कारखानापुतनी में पाकिस्तान द्वारा गोलीवर्षा के फलस्वरूप हमारे एक कान्सटेबल की टांग में चोट आई । उसे अस्पताल पहुंचाया गया है । अभी तक किसी नागरिक के हताहत

---

†मूल अंग्रेजी में

होने का समाचार नहीं मिला है । कछार के उपायुक्त तथा हमारे सेक्टर कमांडर गोली वर्षा होने वाले क्षेत्र की ओर गये हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि लाठीटिला/डूमाबारी क्षेत्र में गोली वर्षा, ९ और १० दिसम्बर को लोबाचेरा क्षत्र में हुई गोली वर्षा की घटना की प्रतिक्रिया है । उस क्षेत्र में रुक रुक कर गोली चलना जारी है ।

लोबाचेरा क्षेत्र में गोली चलाये जाने तथा लाठीटिला/डूमाबारी क्षेत्र में हाल में पाकिस्तानियों द्वारा की गई उत्तेजनक कार्यावाहियों के सम्बन्ध में पूर्वी पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेज दिया गया है । आसाम से और रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है ।

यह भी समाचार मिला है कि हमारे १०१ कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग ने पाकिस्तान के १०१ कमान के जनरल आफिसर को लाठटिला/डूमाबारी क्षेत्र में तनाव सम्बन्धी बातचीत के लिये एक अत्यावश्यक बैठक बुलाने की जो प्रार्थना की थी उसे पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया है । हमारे सेनाध्यक्ष ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को एक तार भेजा है जिसमें आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिये एक उच्चस्तरीय बैठक करने का अनुरोध किया गया है । पाकिस्तान से इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान ने अब पूर्वी और पश्चिमी क्षे ों में युद्ध-विराम रेखा को पार करना, लगातार गोली वर्षा करना तथा भारतीय क्षेत्र को हथियाना आरम्भ कर दिया है । यदि हां, तो क्या सीमा रक्षक दल के स्थान पर सेना रख कर इनकी कार्यवाहियों को रोकने तथा उन्हें भारतीय क्षेत्र से बाहर खदेड़ने के लिये कोई ठोस कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्तिमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पूर्वी क्षेत्र में ऐसी कोई युद्ध-विराम रेखा नहीं है । यह हमारा क्षेत्र है .....

†**श्री स० मो० बनर्जी** उन्होंने पिछली बार कहा था कि वहां युद्ध विराम रेखा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : स्थानीय कमांडरों के बीच एक अस्थाई व्यवस्था की गई थी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वहां कोई युद्ध-विराम रेखा नहीं है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** जी, नहीं । प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान द्वारा ऐसी हरकतें करने पर सक्रिय कदम उठाये जाते हैं ।

जहां तक रक्षक दल के स्थान पर सैनिक बल रखने का सम्बन्ध है, यह निर्णय करना सेना ही का काम है कि कब कार्य करें तथा कब उन्हें काम करने की आवश्यकता है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या भारत पाक सीमा पर लगातार उपद्रवों को देखने से इस प्रकार का आभास मिलता है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करके बल के जोर से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात का आश्वासन दे सकती है कि भारत की एक इंच भूमि भी नहीं दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जहां तक मेरा विचार है वह कहते हैं इस प्रकार लगातार गोली चलाने से पाकिस्तान बल के जोर से भारत पर आक्रमण करना चाहता है। इसे गंभीर रूप से सोचना उचित नहीं है। सदन को विदित होगा कि लाठीटिला विवादग्रस्त क्षेत्र है। एक ो स्थान ऐसे जो इस तरह विवाद ग्रस्त नहीं है। इस प्रकार की छोटी घटनाओं से उनके द्वारा भारत पर आक्रमण करना किसी प्रकार संभव नहीं है। साधारणतः वे तनाव पैदा करना चाहते हैं।

†**श्री स्वैल** (आसाम—स्वायत्तशासी जिले) : पाकिस्तानियों के गोली का क्षेत्र बढ़ाने के समाचार के साथ यह भी समाचार मिला है क पश्चिमी पाकिस्तान के अनाहुत प्रवेश तथा हमारे दो नागरिकों को मारने का भी समाचार मिला है। क्या यह सब पाकिस्तान द्वारा हमले की भूमिका है, और यदि हां, तो सरकार इसके परिणामों का सामना करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मुझे जानकारी नहीं है कि माननीय सदस्य किन भारतीयों के मारे जाने का उल्लेख कर रहे हैं।

†**श्री स्वैल** : कश्मीर में, जम्मू से ३६ मील की दूरी पर खौर गांव में और जम्मू से ६५ मील की दूरी तर सयाल गांव में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकारी तौर पर हमें कोई समाचार नहीं मिला है। ऐसा हो सकता है, किन्तु माननीय सदस्य इससे पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले युद्ध की भूमिका का अनुमान लगा रहे हैं। पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं इसका मैं केवल अनुमान ही लगा सकता हूं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं, फिर भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान युद्ध नहीं करेगा।

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली) : जैसा प्रधान मन्त्री ने पहले भी कहा है, पाकिस्तान टेंशन बढ़ाने की कोशिश करता है और हिन्दुस्तान बराबर टेंशन घटाने की कोशिश करता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो हमले पाकिस्तान हमारे ऊपर कर रहा है उन्हें प्रधान मन्त्री कब तक टेंशन समझ कर बैठे रहेंगे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जब तक होगा। जब नहीं रहेगा तो नहीं है टेंशन।

श्री ब्रजराज सिंह : मरने के बाद भी क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कोई जी जायेगा। वह तो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं और आप तक यह समझ कर बैठे हैं कि टेंशन बढ़ा है। आप इस टेंशन को घटाने के लिये अपनी मिलीटरी नहीं भेजते तो इसका अर्थ क्या है, यह भी मैं जानना चाहता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह तो मैंने माननीय सदस्य से या हाउस से नहीं कहा कि हम मिलीटरी नहीं भेजते। मिलिटरी जिम्मेदार है और मिलिटरी ऐक्शन ले सकती है जब चाहे। उसे गौर करना होता है कि कब जाना है और कब नहीं, या कब तक पुलिस पर छोड़े और कब जाय। इसका उसे अख्त्यार है। वह वहां है, जब ठीक समझे जाये। हम उन्हें वहां रखते हैं, खास तौर से जिम्मेदारी उसे दे दी है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : क्या आप ने उसे आर्डर्स दिये हैं कि जब वह चाहे ऐक्शन ले ले।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो सारी बातें वहां हो रही हैं वह तकलीफदेह हैं, लेकिन उनको बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होता। क्या आप देखते नहीं हैं कि निकम्मी बात है कि थोड़े थोड़े दिन पर गोलियां चलें। इधर से चलती हैं, उधर से चलती हैं। यह समझना कि इधर से कुछ नहीं होता, यह भी गलत बात है। इधर से भी मुकाबला होता है। जो मुकाबला कल या परसों हुआ था उसी में पाकिस्तान की तरफ एक कैजुऐलिटी हुई। इसको समझना कि पाकिस्तान हमला कर रहा है हिन्दुस्तान पर, इन्वेड करने आरहा है, यह जरा वाकयात से दूर बात मालूम होती है।

श्री बड़े (खारगौन) : अभी मिनिस्टर साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट हुआ उसमें उन्होंने बतलाया कि लाठीटीला के ऊपर एरिया एक्स्टेंड हो रही है और आगे आगे वह हमला कर रहे हैं। क्या जब से चाइना और पाकिस्तान ने हाथ मिलाया है तब से यह हमले शुरू हो गये हैं। पहले भी थे लेकिन अब ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने डिफेन्स मिनिस्टर से विचार विनिमय करके वहां मिलिटरी भेजने के बारे में सोचा है, और क्या यह भी सोचा है कि इसमें चाइना का भी हाथ होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मिलिटरी भेजने का जवाब तो वह दो दफे दे चुके हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि यह आदत नई नहीं है पाकिस्तान की, पुरानी आदत है।

एक माननीय सदस्य : आपकी भी शान्ति की पुरानी आदत है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे उम्मीद है कि आइन्दा भी रहेगी शान्ति की आदत। लेकिन शांति की आदत के माने यह नहीं हैं कि अपने मुल्क की हिफाजत न की जाये। जोरों से की जाये लेकिन हमेशा शान्ति की आदत रहेगी, जहां तक हमारा ताल्लुक है। (**अन्तर्वाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से सब बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा (**अन्तर्वाधायें**)।

श्री जवाहरलाल नेहरू : दूसरी बात जो उन्होंने पूछी वह यह कि इसमें चीन का कोई हाथ है या नहीं। मेरे खयाल से चीन का इसमें न कोई हाथ है और न हो सकता है। मैं नहीं जानता कि खुफिया बातचीत क्या हो सकती है पाकिस्तान से, लेकिन जाहिरा इसमें उनका कोई हाथ नहीं हो सकता।

श्री कछवाय (देवास) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जैसा प्रधान मन्त्री ने कहा कि हमारी आदत शान्ति की बहुत अच्छी है उसी तरह से बार बार हमला करने की उनकी भी आदत पड़ गई है। इस सम्बन्ध में क्या प्रधान मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान के कुछ जासूस हमारी फौज में रह कर सारी सूचना पाकिस्तान को देते हैं और इसी के कारण वह बार बार हमला करता है।

अध्यक्ष महोदय : आदत से इसका क्या सम्बन्ध है।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान और चीन इन दो दरवाजों से हिन्दुस्तान का संघर्ष चल रहा है। विदेश मन्त्री की असफल नीति का यह नतीजा है कि दोनों दरवाजों में से

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

एक दरवाजे को बन्द करके एक दरवाजे से नहीं लड़ा गया । अगर उनकी नीति सफल होती और एक के साथ जम कर वह मुकाबला करते तो अपने देश की हिफाजत वह कर पाते ।

अध्यक्ष महोदय : इतना तो आप कह चुके । आपका सवाल क्या है । मैं आपको स्टेटमेंट की इजाजत नहीं दे सकता, आप सवाल कीजिए ।

श्री बागड़ी : क्या विदेश मन्त्री की अपनी असफल नीति की बिना पर बार बार जो झड़पें हिन्दुस्तान की सरहदों पर मुतवातिर होती हैं उनके सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद वे लोकसभा में उठायेंगे जिसमें कोई साफ नीति बना कर हिन्दुस्तान की सीमाओं की रक्षा की जा सके । क्या उनका कोई इस तरह का विचार है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इस वक्त पैदा नहीं होता ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये ।

श्री बागड़ी : यह विदेश नीति की असफलता के कारण है । चीन के अन्दर यह असफल हुई है...

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें । जब मैं खड़ा होऊं तो आपको बैठ जाना चाहिये । नीति का सवाल इन क्वेश्चन्स से हल नहीं हो सकता । अगर नीति में तबदीली लानी है तो किसी और मौके पर आप ऐसा कर सकते हैं ।

श्री बागड़ी : मैंने पूछा था कि इस पर बहस करने का प्रधान मन्त्री का विचार है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इसके सम्बन्ध में आप मुझ को लिखेंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि लाठीटीला और जम्मू के पास के गांव में जो छोटी छोटी दुर्घटनायें हुई हैं, क्या वे छोटी छोटी दुर्घटनायें किसी बड़े आने वाले संकट की भूमिका हैं । यदि ऐसी स्थिति है तो क्या सरकार संसद् के द्वारा देश को यह बतलायेगी कि सरकार इस बड़े संकट का सामना करने के लिये पूरी शक्ति से तैयार है ।

एक माननीय सदस्य : हां, तैयार है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अभी अभी सवालों के दौरान दो दफे यह बात उठ चुकी है और मैं इसका जवाब दे चुका हूं । जरा शब्दों का फर्क है । हमें तैयार रहना चाहिये । कोई बात हो हमें तैयार रहना चाहिये । खास तौर से अब तैयार रहना चाहिये । हमारी फौज के और हमारे जो इन्तजामात हैं उनको देखते हुए मेरा ख्याल है कि हम तैयार हैं और हमारी फौज तैयार है । लेकिन मैं फिर कहूंगा कि फौज के लिये अक्सर यह मुनासिब नहीं होता कि दौड़ी दौड़ी फिरे इधर से उधर, जहां तक एक तमंचा चल गया या एक गोली चल गई । यह तो दुश्मन का काम होता है उसको दौड़ाने का, उसके काम को रोकने का । उनकी कोशिश यही होती है, लेकिन जब इसके तय करने का सवाल उठता है तो जो वहां फौजी कमाण्डर हैं उन पर होता है कि जैसा मुनासिब समझें तय करें । इसकी इजाजत उनको दे दी गई है ।

श्री ब्रजराज सिंह : प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तमंचा चला, लेकिन अखबार में लिखा है मशीनगनों का इस्तैमाल किया जा रहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कर चुके हैं ।

श्री ब्रज राज सिंह : यह गलत स्टेटमेंट दिया गया है कि तमंचा चलाया गया, तमंचा नहीं मशीनगनें चलाई जा रही हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : प्रधान मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा है कि पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेज दिया गया है और पाकिस्तान सरकार इसे विवाद-ग्रस्त क्षेत्र मान रही है । क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान से मांग की है कि इस क्षेत्र के स्वामित्व का निर्णय करने के लिये पाकिस्तान के सर्वेक्षण निदेशकों के साथ बैठक की जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम इस क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने पर जोर दे रहे हैं । बहुत बड़े भाग में यह काम हो चुका है, विशेष रूप से यह भाग मिला कर अभी कुछ काम शेष रहता है । हम चाहते हैं कि यह विवाद शीघ्र निपट जाये ।

अमरीका के राष्ट्रपति का सन्देश

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी के निधन पर सभा की ओर से भेजे गये सहानुभूति के सन्देश के उत्तर में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी० जौन्सन से मुझे निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :

"अध्यक्ष महोदय, आपके सहानुभूति के सन्देश और स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी के प्रति भारतीय संसद् द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि की हम सबने बहुत सराहना की है । हमारे दुःख को अनुभव करके इस दुःखदायक क्षति के प्रति आपने जो सहानुभूति व्यक्त की है उससे श्रीमती कैनेडी और मुझे इन कठिन दिनों में बहुत शक्ति मिली है ।

मेरा यह प्रशासन उन उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कृत संकल्प है जिनके लिये स्वर्गीय राष्ट्रपति ने अपने आपको अर्पित कर दिया और जिनके लिये अन्त में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया । मुझे पूरी आशा है कि मेरे इन प्रयत्नों में मुझे भारत का पूर्ण समर्थन तथा सहयोग प्राप्त है ।

भवदीय,
लिंडन बी० जौन्सन ।"

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है . . .

अध्यक्ष महोदय : बगैर इत्तला दिए यह नहीं आ सकता ।

श्री राम सेवक यादव : यह महत्वपूर्ण विषय है, इसका हाल ही में पता चला था । इसी सदन के एक सदस्य श्री बी० पी० मौर्य . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर आ रहा हूं । वह मेरे पास है । मुझे इसी बात का तो अफसोस होता है कि मेम्बर साहिबान वक्त से पहले किसी चीज को एंटिसिपेट कर लेते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन अकाल के बारे में है...

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त आप यह नहीं कह सकते। मुझे बगैर इत्तला दिए यह नहीं आ सकता। आप बैठ जाएं ।

श्री बागड़ी : शुरू सेशन से मैंने यह चीज सदन के सामने रखी है...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं । अगर आपने इत्तला दे रखी है तो आपको जवाब मिल जाएगा। और जिस वक्त उसको मुनासिब समझूगा हाउस में रखूंगा। मगर यह नहीं हो सकता कि जब कोई माननीय सदस्य चाहे तो खड़ा होकर अपनी बात शुरू कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह कार्रवाई नहीं चल सकती ।

श्री बागड़ी : मेरी एक आपसे अर्ज है, उसे सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्त नहीं है। मुझे कार्रवाई चलाने दीजिए। आप मुझ से मिल लीजिए। अगर मैं मुनासिब समझूंगा तो जरूर उसे हाउस के सामने रखूंगा ।

श्री बागड़ी : यह महत्वपूर्ण बात है...

अध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण है या नहीं, इसका फैसला आपको नहीं करना है। और न यह फैसला आपको करना है कि इसे किस वक्त लिया जाए ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैं यह बात बहुत अरसे से आपके सामने रख रहा हूं...

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह काम में रुकावट नहीं डाल सकते ।

श्री बागड़ी : मैं रुकावट नहीं डाल रहा हूं, मैं तो अर्ज कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मगर आप इस तरह नहीं कर सकते। मैंने बार बार कहा है कि आप बैठ जाएं ।

श्री राम सेवक यादव : क्या श्री मौर्य के सम्बन्ध में आप कोई इत्तला दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय: मैं कह चुका हूं कि वह मामला आ रहा है। इस तरह से आप प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट न करें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ की धारा और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने

---

†मूल अंग्रेजी में

वाली दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० १८३० की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २०८८/६३]

(दो) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १८२५ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (सत्ताइसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १८२६ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (अट्ठाइसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २०८९ / ६३]

(तीन) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १७९१ ।

(ख) दिनांक २३ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी०आर०एस० १७९२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २०९० / ६३]

(चार) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री) अधिनियम, १९४० की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, दिल्ली बिक्री-कर नियम , १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ नवम्बर, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४(४५)/६३–फिन (इ) की एक ति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २०९१/६३]

रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की ओर से रिजर्व बैंक आफ डिया अधिनियम,१९३४ की धारा २८ के परन्तुक के अन्तर्गत, रिजर्व बैंक आफ इंडिया (नोट लौटाया जाना) नियम, १९३५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की रिजर्व बैंक आफ डिया अधिसूचना संख्या १ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २०९२/६३]**

श्री मौर्य की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय:** मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे सब-इन्सपेक्टर आफ पुलिस, इलाहाबाद, कैम्प, पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से, १२ दिसम्बर १९६३ की निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :—

"मैं आपको सूचित करता हूं कि श्री बी० पी० मौर्य, सदस्य लोक-सभा को १२ दिसम्बर, १९६३ को प्रातः साढ़े आठ बजे मामला संख्या ७०७ में भारत प्रतिरक्षा नियमों

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

के नियम ४१(ग) के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें इलाहाबाद स्थानान्तर करने की प्रार्थना के साथ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है।"

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने एक कालिंग अटेंशन मोशन दिया था। मेरा निवेदन है कि आज जब मैं सवेरे अखबार पढ़ रहा था तो श्री मौर्य का टेलीफोन मेरे पास आया और मुझे यह इत्तिला मिली कि उन्होंने ३० अप्रैल, सन् १९६३ को जो एक भाषण इलाहाबाद में दिया था, जिससे जनता में रोष पैदा होने की सम्भावना थी पुलिस की राय में, उसके लिये उनको डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का उपयोग विरोधियों को दबाने के लिये किया जा रहा है। इससे तो जो हमारे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के और मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है। यह बड़े महत्व का विषय है। मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा की जाए।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री को सूचित करना चाहता हूं कि लोकतन्त्रीय देशों में पुलिस संसद् से सलाह लिये बिना संसद् सदस्यों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आस्ट्रेलिया में पुलिस संसद् सदस्यों को बिना संसद् की अनुमति के नहीं पकड़ सकती है चाहे उनका अपराध कुछ भी हो। किन्तु यहां पुलिस जब चाहे संसद्-सदस्यों को गिरफ्तार कर लेती है। यह व्यक्ति विशेष के लिये ही नहीं अपितु सारी संसद् के लिये उपहासजनक बात है। हम सबने एक मत होकर भारत सुरक्षा नियमों का समर्थन राष्ट्र विरोधी तथा समाज विरोधी तत्वों को रोकने के लिये किया था। किन्तु जिस ढंग से आठ महीने पहले दिए गए भाषण के लिये विरोधी दल के सदस्य श्री मौर्य को गिरफ्तार किया गया है इससे संसद् का अपमान होता है। मुझे भी दो बार गिरफ्तार किया गया और मेरे साथ एक संसद् सदस्य होते हुए भी साधारण बन्दी की तरह दुर्व्यवहार किया गया। हमें इस बात पर रोष है कि आठ महीने पहले दिये गये भाषण के लिये भारतीय सुरक्षा नियमों के अधीन संसद सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और भविष्य में ऐसी घटनायें न होने देने के लिये कोई उपाय निकालेंगे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : महोदय, संसद् सदस्य को छः महीने से भी अधिक समय पहले भाषण देने के लिये, ऐसा समय में गिरफ्तार किया गया है जब कि संसद् का सत्र चल रहा है। यह ठीक है कि आपातकाल में भारत सुरक्षा नियमों का उपयोग होना चाहिये किन्तु इनका प्रयोग भी उचित अवसर पर उचित ढंग से ही किया जाना चाहिये। यह जो गिरफ्तारी की गई है बिलकुल अनुचित है। पहले भी त्रिपुरा में दो संसद्-सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा है। इस प्रकार की गिरफ्तारियां राजनीतिक महत्व रखती हैं। श्री मौर्य तथा त्रिपुरा के दो सदस्यों को गिरफ्तार करके उन्हें सभा के द्वारा देश की सेवा करने के अधिकार से वंचित किया गया है। इस आपातकाल के परिवर्तित वातावरण को ध्यान में रखते हुये सरकार को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिये।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : मैं श्री नाथ पाई और श्री मुकर्जी द्वारा दिये गये तर्कों का समर्थन करता हूं। इस बारे में सभा में चिन्ता होना उचित ही है। यद्यपि हम आपके इस ध्यान दिलाने वाली सूचना को अस्वीकार किये जाने वाले निर्णय को स्वीकार करते हैं फिर भी इस का इस सदन से सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

है क्योंकि इस सदन का सदस्य गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही उचित नहीं है तथा इस विषय में भारत सुरक्षा नियमों का उपयोग किया गया है। इस लिये संसद् इसके लिये नैतिक रूप से उत्तरदायी है कि भारत सुरक्षा नियमों का उचित उपयोग किया जा रहा है या नहीं। इन कारणों से मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री को सुझाव देता हूं कि उन्हें तत्काल कागजात मंगाकर देखने चाहिये और उनकी गिरफ्तारी के ठीक कारण सभा को बताने चाहिये।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री नाथ पाई, श्री हिरेन मुकर्जी और श्री कपूर सिंह ने जो विचार प्रकट किये हैं उन का मैं पूरी तौर से समर्थन करता हूं। आज सुबह हमको यह इत्तला मिली कि माननीय सदस्य श्री मौर्य को आठ महीने पहले कोई स्पीच उन्होंने दी थी, उस के लिये पुलिस ने आज सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया। यह भी अजीब बात है कि स्पीच उन्होंने आज से आठ महीने पहले दी थी, अब तक तो सरकार को उन से कोई आशंका नहीं थी लेकिन आज आठ महीने बाद जब कि लोक-सभा का सेशन चल रहा है, श्री मौर्य को ठीक आपकी नाक के नीचे से आठ बजे सुबह गिरफ्तार करके ले जाते हैं, यह कहां तक उचित है? मुझे यह भी इत्तिला मिली है कि उनकी गिरफ्तारी की इत्तिला आपको बाद में मिली। क्या ट्रेजरी बैंचेज वाले डिफेंस आफ इंडिया रूल्स पास करा कर अपोजीशन वालों को इस तरह से गिरफ्तार करके उनका मुंह बंद करना चाहते हैं और सेशन के चलते पुलिस द्वारा विरोधी सदस्यों को गिरफ्तार करवा कर इस पार्लियामेंट को कंटेम्ट में लाना चाहते हैं? मेरी आप से बिनती है कि उन के पेपर्स आप द्वारा अपने पास मंगवाये जांय और आप उस बारे में अंतिम निश्चय करें। श्री मौर्य को लोक सभा के सेशन के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना कानून के खिलाफ है, यह कन्टेम्ट आफ पार्लियामेंट है और साफ तौर से यह पार्लियामेंट की अवहेलना करना है और अध्यक्ष महोदय को इस दृष्टि से इस सवाल को देख कर अंतिम निश्चय करना चाहिये।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची—पश्चिम) : मैं श्री नाथ पाई तथा श्री मुकर्जी के इस तर्क का समर्थन नहीं करता हूं कि भारत सुरक्षा नियम केवल विरोधी दल के सदस्यों के लिये उपयोग किए जाते हैं। मुझे इस मामले के औचित्य के बारे में पता नहीं है। पता नहीं कथित भाषण दिये जाने से अब तक क्या होता रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी संसद् सदस्य को अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोका जाना चाहिये और जब कि संसद् का अधिवेशन चल रहा हो उन्हें सत्र की बैठक में आने दिया जाये।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : मैं इस सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह का विरोध करता हूं। यदि कोई ऐसा अपराध करता है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो और उसे कोई दंड दिया जाता है तो यह उचित ही है। किन्तु सभा के किसी भी सदस्य को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिये जब तक अध्यक्ष महोदय को सदस्य की गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट रूप से न बता दिये जायें चाहे कुछ विशिष्ट कारण लोक हित के लिये सदन को भले ही न बताये जायें। यदि आवश्यक हो तो अन्तिम निर्णय लेने के लिये अध्यक्ष महोदय एक प्रकार का परामर्शदाता बोर्ड बना सकते हैं।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, श्री मौर्य, हिन्दुस्तान के दलित लोगों के नेता और जो कि इस लोक सभा के एक माननीय सदस्य हैं, आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गय। ऐसी परिस्थिति के अन्दर जब कि उन के खिलाफ एलेक्शन पिटीशन चल रही है और लोक-सभा का यहां पर सैशन चल रहा हो, एक साधारण पुलिस का थानेदार इस माननीय सदन के किसी मैम्बर को बगैर आप से कोई पूछताछ किये गिरफ्तार कर ले, मैं कहूंगा कि यह हिन्दुस्तान की सब से बड़ी संसद् अर्थात् लोक-सभा का अपमान करना है, यह किसी एक व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं है। जनतंत्र को अगर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

जिंदा रखना है तो ऐसी चीजों को रोकना होगा । अगर ऐसा होने दिया गया तब तो फिर कोई भी विरोधी पक्ष का व्यक्ति सरकार की आलोचना नहीं कर सकेगा । जबकि लोक-सभा का सेशन चल रहा हो इस तरह से पुलिस एक पर्चा तैयार कर ले और लोक-सभा के किसी सदस्य को जो कि जनता का यहां प्रतिनिधित्व करता हो उस को लोक-सभा में अपना कर्त्तव्य पालन से इस तरह से वंचित कर देना और वह भी गिरफ्तारी एक उस भाषण के लिये की जाये जो कि आज से करीब ८ महीने पहले पुलिस के अनुसार उस ने कहीं पर दिया था, इस का मतलब तो यह हुआ कि सरकारी बैंचेज चाहे वह यहां की हों अथवा राज्यों की, अपने विरोधी लोगों को हर संभव तरीके से क्रश कर देना चाहती हैं। अब इस तरीके तो पंजाब के अन्दर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और....

अध्यक्ष महोदय : बस और ज्यादा नहीं ।

श्री बागड़ी : मैं निवेदन करूंगा .....

अध्यक्ष महोदय : बस निवेदन खत्म हो गया ।

श्री बागड़ी : एक बात और रहती है और वह यद्यपि मैं आप से अर्ज करूंगा कि आप फौरी तौर पर उन को अपनी छत्रछाया में लें और जब लोक-सभा का सेशन खत्म हो जाय तब बेशक पुलिस उन को गिरफ्तार कर ले लेकिन अभी उन को गिफ्रतार कर के न रक्खा जाय । इस के साथ ही मैं चाहूंगा कि उस थानेदार के खिलाफ जिस ने कि यह नाजायज कार्यवाही की है, ऐक्शन लिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): मुझे इस के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मुझे इस का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री को पुलिस या मजिस्ट्रेट ने माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के कारण बताये थे या उन्हें भी अनभिज्ञ ही रखा गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मैं ने सारी बातें ध्यान से सुनी हैं । मुझे भी सुबह श्री मौर्य का टेलीफोन आया था। जहां तक नियमों का सम्बन्ध है सदस्यों को समझना चाहिये था कि सदस्यों को इन नियमों के अन्तर्गत उन्मुक्ति, सदन में या सदन को आते समय अथवा सदन से घर जाते समय ही मिल सकती है । इस समय इन नियमों में यही व्यवस्था है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप को नियमों का पुनर्विचार करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दूसरी बात है । यदि परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो हम इस के लिये मार्गोपाय अपना लेंगे। इस पर प्राय: सभी दलों के सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। हम इस पर विचार करेंगे । यदि आवश्यक हो तो हम साथ बैठ कर इस पर विचार करेंगे । सदस्यों को यह बात समझनी चाहिये मैं इस में कुछ नहीं कर सकता था इसलिये मैंने केवल अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : हम जानते थे कि यह आप की शक्ति के बाहर था । हम चाहते थे कि आप इस में पहल करें क्योंकि इस से सभा का सम्बन्ध है । (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मैं इस में कुछ कर सकता हूं तो मैं देखूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्पष्टीकरण सम्बन्धी प्रश्न

श्री बागड़ी : (हिसार) : गृह मंत्री यहां . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बोल चुके हैं ।

श्री बागड़ी : मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं तो केवल . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप को अवसर दिया जा चुका है, और आप बोल चुके हैं ।

श्री बागड़ी : मैं निवेदन करना चाहता हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : एक बार से अधिक बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है । बार बार बहस नहीं चल सकती है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री जयपाल सिंह इस सदन में चर्चा में भाग ले रहे । उन्हों ने राज्य के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली थी उस समय पता नहीं किस ने उस समय बिहार विधान सभा में वक्तव्य दिया था कि वह सम्बन्धित काल का वेतन नहीं लेंगे । आप ने भी उन्हें एक बार जब उनकी नियुक्ति के विषय में समाचार पत्रों में समाचार आ चुके थे त्याग पत्र देने के लिये कहा था । क्या श्री जयपाल सिंह की सदस्यता उन के मंत्री नियुक्त हो जाने पर समाप्त नहीं हुई, और क्या सदस्य यह कह सकते हैं कि " मैं सचिवालय से वेतन नहीं लेता हूं किन्तु मैं इस सदन का सदस्य हूं" ? मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान के अन्तर्गत वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि एक व्यक्ति बिना विधान मंडल का सदस्य होते हुए भी उस राज्य का मंत्री बन सकता है । किन्तु वह एक साथ दो विधान मंडलों का सदस्य नहीं रह सकता है । वहां पर सदस्य नहीं है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : ज्योंहि उन्हों ने किसी राज्य के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की वे मंत्री का वेतन पाने के पात्र हो गये । क्या इस सदन के सदस्य राज्य के मंत्री के रूप में राज्य से वेतन ले सकते हैं । क्या उन्हें इस सभा के सारे विशेषाधिकार तथा परमाधिकार प्राप्त रहेंगे क्योंकि वह अभी तक विधान मंडल के सदस्य नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक वेतन लेने का सम्बन्ध है मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूं । उन्हें यहां से वेतन नहीं मिलना चाहिये ।

†**एक माननीय सदस्य** : क्या उन्हों ने वेतन लिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे मालूम नहीं है । इन प्रश्नों पर अध्ययन की आवश्यकता है । वह न होते हुए भी मंत्री बन सकते हैं । इसलिये वह इस समय दो विधान मंडलों के सदस्य नहीं हैं । इस मामले में कोई हानि नहीं है । यद्यपि मैं उन्हें बहुत चाहता हूं किन्तु जैसा में ने उस दिन भी कहा था कि एक राज्य के मंत्री को यहां आ कर सदन में उपस्थित होना शोभा नहीं देता ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय . . . .

अध्यक्ष महोदय : बहस नहीं हो सकती है ।

श्री राम सेवक यादव : बहस नहीं करना चाहता हूं । जानकारी लेना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : वह खत्म हो चुका है ।

श्री राम सेवक यादव : एक छोटी सी जानकारी लेना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, श्री जयपाल सिंह जी अब किस राजनीतिक दल के सदस्य हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से पूछने के बजाय उन से बाहर जा कर पूछ लें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : एक औचित्य प्रश्न है । जब श्री जयपाल सिंह ने इस सदन में प्रवेश किया था तो मैं ने प्रश्न उठाया था कि क्या वह इस सदन के सदस्य रह सकते हैं । आप ने कहा था हां, वह सदस्य रह सकते हैं । किन्तु उन्हें सभा की कार्यवाहीं में भाग नहीं लेना चाहिय । क्या आप ने अपना निर्णय बदल दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने अपना निर्णय नहीं बदला है । वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस का स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने वित्त मंत्री जी से वक्तव्य देने के लिये कहा है ।

ताराँकित प्रश्न संख्या ७६० के उत्तर में शुद्धि

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** तारांकित प्रश्न संख्या ७६० जो कि श्री स०मो० बनर्जी और श्री उमानाथ का था । १९ सितम्बर, १९६३ को यह प्रश्न पूछा गया था और यह मंत्री के विदेशी बैंकों के खाते के बारे में था । मैं ने यह कहा था कि केवल एक मंत्री ने अपने चालू विदेशी खाते को रक्षित बैंक को बताया है । जो कुछ कहा गया था उस का आधार रक्षित बैंक द्वारा दी गयी जानकारी थी । इस विषय पर उन से और जानकारी मांगी गयी थी । मेरे सहयोगी श्री हुमायूं कबिर ने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया कि उन्हें भी ब्रिटेन में अपना चालू खाता जारी रखने की अनुमति रक्षित बैंक ने दे रखी है । इस खाते में जो भी राशि हो वह समय पर भारत में भेज दी जायगी । जबकि बकाया १०० पौण्ड से अधिक नहीं होगा । भारत / मंत्री अपना खाता हर बरस प्रत्येक अक्तूबर को १०० पौण्ड से अधिक राशि को भारत में मंगवा लेते हैं । यह मामला रक्षित बैंक के पास भेजा गया था, उन्हों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि यह खाता जुलाई, १९५८ से चालू किया गया है । दुर्भाग्य से जब गत बार इस की छानबीन की गयी तो यह मेरी दृष्टि से फिसल गया था । मुझे इस भूल पर खेद है ।

ताराँकित प्रश्न संख्या ९९ के उत्तर में शुद्धि

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : दिल्ली वृहद् योजना के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९९ के भाग (क) और (ख) के उत्तर में १७ अगस्त, १९६३ को मैं ने इस प्रकार कहा था :—

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने १२ क्षेत्रीय योजनायें पूरी कर ली हैं और उन्हें प्रकाशन की स्वीकृति दे दी है ।

(ख) लगभग ३०९८७ एकड़ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वास्तव में उस दिन तक दिल्ली विकास प्राधिकार ने प्रकाशन के लिये सिर्फ २१ क्षेत्रीय योजनायें पूरी की थीं न कि २२। इन २१ क्षेत्रीय योजनाओं के अन्तर्गत कुल क्षेत्र १६,०७२.९८ एकड़ न कि ३०,९८७ एकड़ जैसा कि पहिले बतलाया गया था।

गन्ने के मूल्यों के बारे में वक्तव्य

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : गत सप्ताह जब खाद्य स्थिति पर विवाद हुआ तो माननीय सदस्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि गन्ने की कीमत बढ़ा कर २ रुपये मन कर दिया जाये। विशषे रूप से पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में। मैंने आश्वासन दिया था कि इस मामले में सरकार द्वारा विचार किया जायेगा और शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा। इस मामले पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि चालू वर्ष में बिहार और उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में विद्यमान असामान्य स्थिति और इस के प्रतिक्रिया स्वरूप पड़ौसी क्षेत्रों अथवा कारखानों में वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही कारखानों के क्षेत्र में उत्पादकों को, जिन पर चीनी प्राप्ति सिद्धान्त लागू होता है, उत्पादन के हित में कुछ प्रतिकरात्मक लाभ देने होंगे।

अतः सरकार ने यह निर्णय किया है कि :

(१) पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में बाकी कारखाने गन्ने का मूल्य दो रुपये प्रति मन के रूप में दे, और

(२) चीनी प्राप्ति सिद्धान्त के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में सात नये पैसे की सामान्य वृद्धि हो ताकि ९ प्रतिशत अथवा इससे कम प्राप्ति के स्तर के गन्ने का न्यूनतम मूल्य पौने दो रुपये मन हो जाये और अन्य स्तरों पर भी मूल्य में समवर्ती वृद्धि हो।

हम ने मोटे तौर पर इस वृद्धि से उपभोक्ताओं पर होने वाले प्रभाव का भी अनुमान लगाया है। इससे प्रत्येक स्थान पर एक जैसा मूल्य अर्थात् २ रुपये मन हो जायेगा। रिक्वरी सूत्र में जो सामान्य वृद्धि है, उस में कोई विशेष अन्तर नहीं आयेगा। यह कारखाने के मूल्य में सामान्यतः जुड़ जायेगी। कारखाने की जो कीमतें होंगी वे १९६१ के सितम्बर मास की नियन्त्रित कीमतों से १० से २० प्रतिशत तक अधिक होगी। अतः इतनी अधिक वृद्धि अस्थायी रूप में ही हो सकती है। अगले सीजन पर ही अब मूल्यों के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (बिजनौर) : अगर आप इस को २ रुपया मन सब जगह कर दे तो इस का बड़ा अच्छा असर होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो नोटिस दें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कृषि मंत्री जी की इस घोषणा का कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के अन्दर २ रु० प्रति मन गन्ने का भाव अब दिया जायेगा स्पष्टीकरण कराते हुए मैं जानना चाहता हुं कि यह २ रु० प्रति मन सीजन के आरम्भ से दिया जायेगा या आज जब आप घोषणा कर रहे हैं उसके पश्चात दिया जायेगा, और क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि २ रु० प्रति मन सदा के लिये कर देने से चीनी के उत्पादन और गन्ने के प्रोडक्शन पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक पहले हिस्से का सवाल है, यह आज से लागू होगा। और इसका कोई रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट हो सकता है या नहीं यह उन्होंने अभी रेज किया है। इस पर मैंने ज्यादा विचार नहीं किया है। इसमें कुछ पेच होंगे क्योंकि कुछ चीनी मिलों से पहले ही नीची कीमत पर दी जा चुकी होगी। यह तफसील की बात है और इसको हम दुबारा गौर से सोच सकते हैं। जहां तक दूसरे हिस्से का सवाल है, बड़े सोचने और गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर आये हैं कि इसे पक्का नहीं किया जा सकता और जनवरी के करीब फिर इस पर दुबारा सोच कर क्या कीमत होनी चाहिये इसका फैसला किया जायेगा।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि २ रु० प्रति मन गन्ने का दाम मिलेगा लेकिन यह नहीं तय किया कि यह रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से होगा या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो बतला दिया।

श्री रामसेवक यादव : रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट के बारे में तो कह दिया कि अभी फैसला नहीं किया गया, और वह विस्तार की बात है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी घोषणा शीघ्र हो जाय नहीं तो फिर किसानों और मिलों के बीच यह कब से लागू हो इस पर झगड़ा चलेगा और फिर गन्ने की सप्लाई और चीनी के उत्पादन के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिये तत्काल इसकी घोषणा कर दी जाये।

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस बात का एलान कर देंगे और झगड़ा करने वालों को मौका नहीं देंगे कि वे झगड़ा पैदा कर सकें।

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने यह बात साफ नहीं की है कि ७ नये पैसे की तो कीमत बढ़ेगी लेकिन मिलमालिकान जो १८ नये पैसे फेअर चार्जेज काट रहे हैं उनके मुताल्लिक काश्तकार को क्या राहत मिलेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस से इस सवाल का सम्बन्ध नहीं है।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : मैं कहना चाहता था कि गन्ने की कीमत के बारे में सरकार की अजीब नीति रही है। अभी बरेली जिले में एक मिल में तो . . .

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये। आप तो सारी पालिसी में जाने लगे।

श्री मोहन स्वरूप : एक जिले में १ रु० ८६ न० पै० एक मिल में दिया जा रहा है और २ रु० दूसरी मिल में दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरह की डिस्पैरिटीज हैं उनके बारे में सरकार सफाई क्यों नहीं करती। उसका दिमाग साफ क्यों नहीं होता।

श्री स्वर्ण सिंह : सरकार का दिमाग तो साफ है। दूसरे लोग भी जरा साफ करें। यह मैं ने स्टेटमेंट में कहा है।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि पर क्वाइंट ७ न० पै० डिलवरी पर चार्ज करने को कहा है। कभी कभी गन्ने में अक्तूबर में शुगर का परसेन्टेज कम होता है और फिर अप्रैल में कम हो जाया करता है। क्या इस पर

गवर्नमेंट या मिल वाले विचार करेंगे। दूसरी बात यह कि कोई मिल कम एक्स्ट्रैक्शन करती है शुगर परसेन्टेज कम होने की वजह से या मशीनों के पुरानी होने की वजह से। इसका असर किसान पर क्यों पड़ना चाहिये। इसके लिये किसान को क्यों दोषी बनाया जाय। इसके असर को ध्यान में रखा जाय।

श्री स्वर्ण सिंह : इसके मुताल्लिक मैंने बहस के दौरान इस बात को साफ कर दिया था कि आप्टिमम प्रोडक्शन के ऊपर एवरेज निकाला जाता है। शुरू के वक्त में रिकवरी कम होती और बाद में फिर इनवरशन की वजह से सूक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। इस वक्त तो इस हिसाब में नहीं लगाते। जब आप्टिमम रिकवरी होती है उसके ऊपर औसत निकाला जाता है।

जहां तक दूसरे सवाल का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि किसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन इसके लिए बड़ी भारी मैशिनरी आरगेनाइज करने की जरूरत होगी और लेबारेटरी वगैरह बनानी होंगी। इस पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : एक मिल में १ रुपया ७५ नया पैसा दिया जाता और दूसरी में दो रुपया दिया जाता है। एक में रिकवरी ज्यादा है और एक में कम है . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें।

'तीसरी पंचवर्षीय योजना' के मध्य कालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम ५ दिसम्बर, १९६३ को श्री बलीराम भगत द्वारा किये गये निम्न प्रस्ताव पर और आगे विचार करेंगे, अर्थात् :—

"कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर, जो कि २६ नवम्बर, १९६३ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाय।"

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि इसमें और समय बढ़ा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री राधे लाल व्यास : कल डिप्टी स्पीकर महोदय ने पांच बजे से ६ बजे तक एक घंटे का समय बढ़ा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से साढ़े पांच बजे हाउस उठ गया। मेरी यह गुजारिश है कि कुछ क्षेत्र के लोगों को बोलने का समय नहीं मिला। मेरे राज्य के तीन आनरेबिल के मेम्बर हैं जिनको बोलने का समय नहीं मिला। इसलिए मेरा निवेदन है कि आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाये। जो लोग कल हाउस उठने तक बैठे रहे थे उनको आज मौका मिलना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अब यह नहीं हो सकता ।

श्री कछवाय (देवास) : मैं कल पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अपने विचार रख रहा था । मैं यह कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ योजना का विरोधी नहीं है । योजना होनी चाहिए । हर घर में योजना बनायी जाती है । परन्तु विचार करने की बात यह है कि यह योजना किस प्रकार की हो ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमें पिछला अनुभव है कि योजना के बाद देश में कितनी बेकारी बढ़ी है । योजना से उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन अगर योजना के साथ साथ देश में बेकारी बढ़ेगी तो जनता उस उत्पादन का उपयोग कैसे कर सकेगी ।

बहुत सी मिलों के अन्दर नई नई मशीनें लगायी गयी हैं, जिनके मंगाने के लिये हमारा पैसा बाहर गया है । यह ठीक है कि इन मशीनों के द्वारा उत्पादन बढ़ा, लेकिन इन मशीनों के कारण हजारों लाखों की तादाद में मजदूर बरोजगार हो गए हैं । जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो व इन चीजों को कैसे खरीदेंगे । उनको काम मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक उनको काम नहीं मिलेगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, और जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो वे देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीद नहीं सकेंगे । इस बेकारी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये ।

सरकार को इस बात का अन्दाजा मिल चुका है कि देश में कितनी बेकारी है । इसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं । एक बार रेलवे विभाग में २०० आदमियों की जरूरत थी, सरकार ने समाचारपत्रों में छपवाया कि हमें दो सौ आदमियों की जरूरत है । उन दो सौ जगहों के लिए ९००० अर्जियां आईं । इतना ही नहीं । जब फिर रेलवे विभाग में ४०० आदमियों की जरूरत पड़ी तो उन ४०० जगहों के लिए १४,००० अर्जियां आईं । यह बेकारी का नमूना है और यह वर्ग तो पढ़ लिखों आदमियों का वर्ग है । अगर सरकार राज्यों में इस प्रकार की घोषणा कर के जांच करे तो उसको पता चले कि पढ़े लिखे लोग कितने बेकार हैं ।

इसके अलावा सरकार ने इस विषय पर विचार नहीं किया है कि किसानों में जो अनपढ़ लोग हैं उनमें कितने बेकार हैं । उनमें भी हजारों और लाखों की तादाद में लोग बेकार हैं । यह बेकारी दूर कैसे हो ? कारखानों में यह बेकारी क्यों बढ़ रही है ? शासन द्वारा नए ढंग की मशीनें खेती के लिये ला लगायी जा रही हैं और इस कारण हमारे मजदूर बेकार हो जाते हैं और वे धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि क्या करें । इनमें से अनेक लोग काम न मिलने के कारण पाइजन खाकर आत्म हत्या कर लेते हैं । स्वर्णकारों ने भी ऐसा किया था, पर सरकार उनके सही आंकड़े नहीं दे सकी कि कितने स्वर्णकारों ने आत्म हत्या की ।

देश की राजधानी दिल्ली में हम देखते हैं कि डलिया होने वाले लोग ८ या ९ हजार की संख्या में रोज फुटपाथों पर सोते हैं, उनके पास बिछाने को टाट होता है और ओढ़ने को भी टाट ही होता है । यह राजधानी और देश के लिये कितने बड़े कलंक की बात है ।

आप जो ट्रैक्टरों और मशीनों की खेती कराते हैं इस से बहुत से मजदूर बेकार हो जाते हैं । आपको देहातों में छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहिये जिन से ज्यादा लोगों को काम मिल सके । इससे देश में उत्पादन भी बढ़ेगा और बेकारी भी कम होगी ।

इसके अलावा मैं बढ़ी हुई कीमतों के बारे में बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि हमने मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी, लेकिन दूसरी ओर कीमतें इतनी बढ़ गयी हैं कि मजदूर अपनी रोजाना की जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकते। आपने एक मजदूर की तनखाह ३० रुपये से ४० रुपये कर दी, दस रुपये बढ़ा दिए, लेकिन दूसरी तरफ जिस चीज का दाम चार आना था वह चीज आज सवा रुपये और डेढ़ रुपये में मिल रही है।

एक माननीय सदस्य : गेहूं का क्या भाव है ?

श्री कछवाय : मैं ने एक रुपये का बीस सेर का गेहूं खाया है, लेकिन आज आटा सवा सेर या डढ़ सेर का मिलता है। तो एक ओर तो आप मजदूर की तनख्वाह बढ़ाते हैं लेकिन दूसरी ओर योजना को सफल करने लिए करों को इतना बढ़ा देते हैं कि जिससे महंगाई बढ़ती जाती है। सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है। सरकार तो योजना के कागजी घोड़ों पर चल रही है।

मैं उस गरीब इलाके से आता हूं जहां कि लोग पेड़ों के पत्तों पर और गोबर से निकाले हुए अन्न पर अपनी जिन्दगी बिताते हैं। इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। सरकार को निजी रूप से यह जानकारी नहीं है, केवल हम विरोधी दल के लोग उन को यह बात कहते हैं। शासन को आज इस बात की ठीक जानकारी नहीं है कि लोग देश में किस प्रकार भूखे मर रहे हैं। मेरा तो निवेदन है कि मंत्री महोदय मेरे साथ खुफिया तौर पर चल कर देखें तो उनको सही स्थिति का पता चल सकता है।

आज सरकार ने खादी ग्राम उद्योग, भारत साधु समाज, मछली पालन, मक्खी पालन, मुर्गीपालन आदि अनेक काम खोल रखे हैं जिनमें कांग्रेसी लोग राजकुमारों की तरह काम करते हैं। मैं अपनी भाषा में उनको राजकुमार ही कहता हूं। इन संस्थाओं में काम करने वाले लोग राजकुमारों का सा जीवन बिताते हैं। उन्हें पता नहीं है कि देश की हालत क्या है। इस योजना से जनता को क्या लाभ हुआ है इसका पता मंत्री महोदय को तभी लग सकता है जब कि खुफिया तौर पर नीचे के तबके की अवस्था को जा कर देखें। ऐसा करने से उनको मालूम होगा कि जनता का इस योजना के बारे में क्या विचार है और जनता इस योजना को क्या समझती है।

अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान सहकारी खेती की ओर दिलाना चाहता हूं। सहकारी खेती की योजना के कारण आज देश के किसानों में यह भावना फैली हुई है कि सरकार हमारी ज़मीन ले कर खुद उस पर खेती करेगी। लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकार जब ज़मीन ले ही लेगी तो हम क्यों दिलचस्पी के साथ उत्पादन बढ़ाये हम इतनी मेहनत के साथ क्यों काम करें, हमें करना भी क्या है क्योंकि ज़मीन तो हमारी सरकार ने ले ही लेनी है और हमें तो जीवन भर गुलाम ही बने रहना है हम सरकार के नौकर होंगे। उन के मन में इस तरह की एक धारणा बन गई है। सहकारी खेती के नाम पर और भूमि सुधार के नाम पर आप यह करने जा रहे हैं कि जिनके पास ४० बीघे के ऊपर ज़मीन होगी उस की ज़मीन सरकार ले लेगी। आप सोशलिज्म और समाजवाद का नारा बुलंद करते थकते नहीं लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास चार, आठ मकान, एक, दो या दस कारखाने हैं, काफ़ी अचल सम्पत्ति का वह मालिक बना बैठा है लेकिन उसकी वह सम्पत्ति आप छीनना नहीं चाहते। पूंजीपतियों पर आपकी विशेष कृपा रहती है। इस का मुख्य कारण यह है कि यह कांग्रेस सरकार उन्हीं पूंजीपतियों, फैक्टरीज के मालिकों और कम्पनियों के मालिकों से चन्दे आदि की शक्ल में मोटी मोटी रकमें

[श्री कछवाय]

पाती हैं और उन की सहायता वह सहयोग के आधार पर ही यह कांग्रेसी लोग बारबार संसद तथा अन्य विधान मंडलों में चुन कर आते हैं। पिछली बार स्वयं भूतपूर्व मंत्री श्री केशव देव मालवीय ने यह बात स्वीकार की थी कि उन्होंने जो १० हज़ार रुपया एक बड़ी प्राइवेट फर्म से लिया था वह उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए लिया था। यह बात अब बिलकुल साफ़ हो गई है कि इन बड़ी बड़ी कम्पनियों के द्वारा यह हमारे कांग्रेसी राजकुमार पलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें। जनका उमय समाप्त हो रहा है।

श्री कछवाय : मैं सदन का और अधिक समय न लेते हुए केवल शिक्षा के सम्बन्ध में थोड़ा सा अवश्य निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि उसके स्तर में निरन्तर ह्रास हो रहा है। उसका स्तर दिनों दिन बढ़ने के बजाय उलटे घटता ही जा रहा है।

शिक्षा का स्तर जहां गिरता जा रहा है वहां साथ ही उनमें अनुशासनहीनता भी बढ़ने लगी है साथ हो उनका चारित्रिक अधपतन भी हो रहा है। अनुशासनहीनता विद्यार्थियों में बहुत बढ़ रही है और उसके अनेकों केस आये दिन समाचारपत्रों में पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। मैं इस का एक उदाहरण देना चहाता हूं। विद्यार्थियों की कुछ मांगें थीं। उन मांगों को लेकर व प्रिंसिपल के पास गये। जब प्रिंसिपल ने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया तो विद्यार्थियों ने विरोध में उन का एक पुतला बनाया और जलूस बना कर प्रिंसिपल के घर के सामने पहुंचे और उस प्रिंसिपल के पुतले को वहां पर रख कर उन्होंने जला दिया। अब इससे स्वयं माननीय सदस्य अंदाज़ लगा सकते हैं कि विद्यार्थियों का स्टैन्डर्ड घटा है अथवा बढ़ा है। अनुशासन का उनमें नितान्त अभाव दिखाई देता है। जब प्रिंसिपल की पत्नी ने इस बारे में बाहर खड़े हुए लोगों से पूछा कि यह नारे और शोर शराबा किस लिए है तो उन्होंने बतलाया कि ताज्जुब है आपको अभी तक पता नहीं लग पाया। आप के पति महाशयस्वर्ग सिधार गये हैं, उन का हमने दाह संस्कार कर दिया है। आप अब शौक से दूसरा पति कर लें। बी० ए० पास विद्यार्थियों में शिक्षा का यह असर पड़ रहा है। वे दिन पर दिन अनुशासनहीन व उच्छृंखल होते जा रहे हैं।

विद्यार्थियों में चारित्रिक अधपतन कितना हो रहा है मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि अख़बारों में आये दिन उनमें कितनी गिरावट आ गयी है इसके समाचार छपते रहते हैं। कालिजों और विश्वविद्यालयों की ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कुंआरी छात्रा ने एक बालक को जन्म दे दिया। अभी समाचारपत्र में इस आशय की एक खबर छपी थी कि मथुरा के अन्दर एक कुमारी अध्यापिका ने एक बालक को जन्म दिया। उसने लोकलज्जा वश उस बालक को मार दिया। जिसके बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे छात्रों का चरित्र दुर्बल होता जा रहा है।

जहां तक देश के स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, मेरा कहना है कि लोगों का स्वास्थ्य ख़राब होता जा रहा है और हमारे नवयुवक और नवयुवतियों का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा है।

परिवार नियोजन के लिए ४० करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। लेकिन में कहना चाहता हूं कि इस सरकार को आयुर्वेद और यूनानी जो कि प्रचलित पुरानी देशी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके प्रति उपेक्षा की नीति अब त्याग देनी चाहिए। सरकार का ऐसा सोचना कि एलोपथिक दवाइयों और इंजैक्शनों से वे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा कर सकेंगे, यह ख़याल छोड़ देना चाहिए।

उसको आयुर्वेद को प्रोत्साहन देना चाहिए, उसमें नवीनतम अनुसंधान कराने चाहिएं और देशवासियों को सस्ता इलाज सुलभ करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया इस के लिए धन्यवाद।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सभन में, जो कार्यवाही चल रही है वह केवल २०–२२ सदस्यों की उपस्थिति में चल रही है। यह तो ठीक है कि हमने एक इस तरह की परम्परा डाल रक्खी है कि एक और ढाई बजे के बीच में कोरम का सवाल नहीं उठाया जायगा लेकिन यह भी देखने की चीज़ है कि लोक-सभा जो कि इस देश की सर्वोच्च लोकतंत्री संस्था है, उसकी कार्यवाही केवल २० या २२ सदस्यों की मौजूदगी में चलती रहे। आख़िर इस चर्चा का मतलब क्या होगा? इस बहस को कौन सुनेगा और कौन उस पर राय देगा। कांग्रेस वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी कोई परवाह नहीं रह गयी है उनको तो अपनी मीटिंग चलाने से मतलब है और चूंकि इस समय वह मीटिंग अन्यत्र इसी बिल्डिंग में चल रही है इसीलिए उन की उपस्थिति इतनी कम है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य कोरम की बात कह रहे हैं।

श्री कछवाय : इस समय हाउस में कोरम नहीं मालूम पड़ता है। ७ कांग्रेसी और १४ विरोधी दल के लोग मौजूद हैं।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा ही है तो एक से ढाई बजे तक लंच आँवर डिक्लेअर कर दिया जाय। अब इससे तो शीशे के सामने अकेले खड़ा होकर बोलना ज्यादा अच्छा होगा।

श्री काशी राम गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी मीटिंग इस प्रकार से एक बजे की जाय, यह कहां तक उचित है?

श्री रामसेवक यादव : चूंकि कोरम नहीं है इसलिए मेरा सुझाव है कि सदन को स्थगित कर दिया जाय।

श्री बृज राज सिंह : श्री रामसेवक यादव के इस सुझाव से कि सदन को स्थगित कर दिया जाय, मैं सहमत हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : घंटी बजाई जा रही है। माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठें। गणपूर्ति (कोरम) नहीं है अतः सदन का कार्य नहीं चल रहा। सदन २ बजे तक के लिए स्थगित होता है।

इसके पश्चात् लोक सभा २* बजे मध्याह्न तक के लिये स्थगित हुई

लोक सभा ३ बजे मध्याह्न पश्चात् पुनः समवेत हुई

---

* २ बजे मध्याह्न को गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गयी २–०३ तक गणपूर्ति नहीं हुई। फिर घंटी बजाई गयी फिर भी गणपूर्ति नहीं हुई सचिव ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि :

"गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य संख्या उपस्थित नहीं है। सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती जब कि गणपूर्ति न हो। अतः उपाध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है कि सभा की कार्यवाही ३ बजे आरम्भ होगी।"

†मूल अंग्रजी में

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

गणपूर्ति के बारे में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री राधेलाल व्यास ।

श्री हरिविष्णु कामत : कार्य आरम्भ करने से पूर्व मैं एक औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं । आज संसद का समद् नष्ट किया गया है । यह बिल्कुल गलत और अनुचित बात है कि संसद् के समय में दल की बैठक रखी जाय ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : यह भी एक परम्परा रही है कि भोजन के घंटे में गणपूर्ति का प्रश्न कभी भी नहीं उठाया गया है। आश्चर्य है कि आज ऐसा क्यों किया गया है।

श्री रामसेवक यादव : अभी माननीय त्यागी जी ने एक प्रश्न उठाया है। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कायदे कानून हैं, उनको परम्परायें तोड़ नहीं सकती हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि यह सवाल ही न उठे। लेकिन हालत यह थी कि हम तो चौदह थे और त्यागी जी के सहयोगी केवल सात ऐसी हालत में दीवार से बात करने से क्या फायदा हो सकता है। ऐसे वक्त यह सवाल न उठाया जाय तो कैसे काम चलेगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : वैसे यह आश्चर्य की बात थी, हमने कभी भी यह बात होते नहीं देखी कि १ से २.३० तक के समय में गणपूर्ति का प्रश्न उठा हो। मेरी समझ में श्री कामत ने भी उस प्रकार का प्रश्न उठाया था। इस तरह सदन को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। इससे तो सारा कार्यक्रम ही खराब हो जायेगा। मैं समझ नहीं सकता कि इसका क्या उचित स्पष्टीकरण दिया जा सकता है।

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** :पू र्व वक्ता ने कहा है कि हम गणपूर्ति के बारे में एक परम्परा पर चलते आये हैं। १ से २.३० म०प० तक के समय में इस प्रश्न को नहीं उठाया जाता। वैसे भी यह धारणा रही कि इतने सदस्य अनुपस्थित नहीं रहें। परन्तु अचानक ही ऐसा हो गया। हमने कभी अपने सदस्यों को अनुपस्थित रहने नहीं दिया। हम बैठक ही न बुलाते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : स्पष्टीकरण के लिए निवेदन करता हूं कि उन्होंने कुछ गलत बातें कहीं हैं। १९५३ की बात पुरानी हो गयी। १९५५ में मैंने यह प्रश्न उठाया था श्री मावलंकर ने सरकार को इस बारे में विधेयक प्रस्तुत करने का परामर्श दिया था। मुझे स बारे में ब्रिटेन के लोक सभा की प्रक्रिया की प्रतिलिपि दी गयी थी, परन्तु हमारा तो लिखित संविधान है। हमने इसके लिए संविधान में व्यवस्था कर दी। अनुच्छेद १००(४) में व्यवस्था है कि :

> "यदि सदन के अधिवेशन मैं किसी समय गणपूर्ति न हो तो सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाय।"

इस उपबन्ध को कोई भी परम्परा तोड़ नहीं सकती।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : जो कुछ माननीय संसद-कार्य मंत्री कहते हैं वह ठीक है परन्तु आखिर १ और २.३० म०प० के बीच कुछ खाने पीने के लिए भी जाना ही होता है। खाये बिना भी रहा नहीं जाता।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रथम बार कोरम के बारे में प्रश्न उठा था उस समय श्री राने मौजूद थे और जब दो बजे घंटी बजी तो अपनी पार्टी को वे सूचना दे सकते थे। इस लिये पार्लियामेंटरी अफेअर्स मिनिस्टर महोदय बहाना कर रहे हैं कि यह लोग बाहर खड़े रहे और वे अपने आदमियों को ला सकते थे। इस लिये दुबारा जो कुछ हुआ है वह साबित करता है कि वे अपनी पार्टी की मीटिंग को महत्व दे रहे थे और दुबारा कोरम बनाने का प्रयत्न नहीं किया।

श्री रामसेवक यादव : झगड़े का समय निकल जाये, तय हो जाय मामला और बिल आये इस लिये वे यह सब कर रहे थे।

श्री ब्रजराज सिंह : अभी जो हमारे मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी अफेअर्स ने कंवेंशन का जिक्र किया और कोरम का जिक्र किया उस का सिर्फ बहाना ले कर वह आप पर आरोप लगाना चाहते थे कि जो कुछ आप ने किया वह गलत किया था। मेरा निवेदन यह है कि कंवेंशन और कोरम से ज्यादा खयाल उन को रखना चाहिये डिकोरम का। यहां पर जो सात मेम्बर्स बाकी रह गये थे, मेरे ख्याल से अगर यह तमाशा न हुआ होता तो शायद उन से जवाब तलब होता कि तुम लोग पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आये। इस के बजाय उन लोगों का सहारा ले कर वे कहते हैं कि हमारे सात आदमी मौजूद थे। अब आप इस पर गौर करें कि कंवेंशन और कोरम इन दो चीजों का सहारा ले कर वे आप के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, जिस को मैं बहुत खराब समझता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हम इस को सहन नहीं करेंगे।

कुछ अन्य माननीय सदस्य : हम इस को बरदाश्त नहीं करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस घटना पर मुझे खेद है, आशा है आगे से ऐसी बात नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्याँकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में—जारी

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, इतने दिनों से जो इस प्लैन पर चर्चा चल रही है उस में सब से बड़ी अखरने वाली बात यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने प्लैनिंग कमिशन के बारे में कटु आलोचना की है। मैं समझता हूं कि प्लैनिंग कमिशन के जो सदस्य हैं वे काफी अनुभवी, योग्य, विद्वान और सेवा भावी हैं और उन्होंने देश की काफी सेवा की है, जो कि हमारे सामने हैं। उन्होंने अध्ययन कर के जो आंकड़े और जो स्थिति रक्खी है उस से उन के प्रति हम जितना भी आभार प्रकट करें वह कम है। उन की कटु आलोचना करना कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती।

हमारी राष्ट्रीय आय जो ५ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़नी चाहिये थी वह ढाई प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है। इसका क्या कारण है। हमारी राष्ट्रीय आय का ४७ प्रतिशत भाग कृषि उत्पादन से पूरा होता है। हम ने यह देखा कि हमारे कृषि उत्पादन में कमी हुई, पिछले दो सालों में उस में कोई बढ़ती नहीं हुई, और पिछले साल में तो २२ लाख टन अनाज की कम पैदावार हुई। कपास में भी कम पैदावार हुई और यही कारण है कि राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ सकी, और उस को वहीं पर रहना पड़ा। इसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी जहां ११ प्रति वर्ष बढ़ना चाहिये था वहां पहले वर्ष में वह साढ़े ६ प्रतिशत और दूसरे वर्ष में केवल ८ प्रतिशत ही बढ़ा है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सब से पहले कृषि उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये सन् १९४७ से ले कर अभी तक यानी सन् १९६३ तक काफी प्रयत्न किये गये, हमारी खेती का जो क्राप एरिया है उसमें भी लगभग ९ करोड़ एकड़ अधिक में खेती हुई है। इस के बावजूद भी जो इम्पोर्टस के फिगर्स हैं वह सन्तोषजनक नहीं हैं। सन् १९४८–४९ में ३० लाख टन अनाज बाहर से मंगाया गया जब कि सन् १९६२–६३ में उसे बढ़ा कर हम को ३८ लाख टन बाहर से मंगाना पड़ा। इसलिये यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है और जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा और ऐसे कदम नहीं उठाये जायेंगे कि हम कृषि उत्पादन को ठीक से बढ़ा सकें, तब तक मैं समझता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती।

हमारे ८२ प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं जिनमें से ७० प्रतिशत ऐसे हैं जो कि केवल कृषि पर निर्भर करते हैं। इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये बहुत जरूरी है कि जो हमारे देहात के लोग हैं, जो कृषकजन हैं, उन लोगों की स्थिति सुधरे, और यह तभी हो सकता है जब कृषि का उत्पादन बढ़े। इसके लिये काफी प्रयत्न किया गया। खाद की ओर ध्यान दिया जाता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी रसायनिक खाद पैदा करें, उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। कम्पोस्ट, ग्रीन मैन्योर की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना नहीं दिया गया है। उस का प्रचार खूब किया गया है। लेकिन मैं देहातों में देखता हूं कि कम्पोस्ट तैयार नहीं की जा सकी है। और गोबर जो होता है वह व्यर्थ फेंका जाता है या जलाने के काम में आता है। उस का कोई सदुपयोग नहीं किया जाता है।

इसी तरह से लोन काफी किसानों को दिया गया, करोड़ों रुपये कोआपरेटिव्ज के द्वारा किसानों को दिये गये लेकिन किसान सुखी नहीं है। अपेक्स बैंक, रिजर्व बैंक सवा ३ प्रतिशत ब्याज पर रुपया

देता है लेकिन किसान को हमारे यहां अन्तिम रूप से साढ़े १० प्रतिशत ब्याज तक पर जाकर रुपया मिलता है । इसमें कुछ कटौती हो जाती है और दूसरे कामों में भी उसे कुछ खर्च करना पड़ता है । इसलिये किसान आज सुखी नहीं है । इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ।

मेरा सुझाव यह भी है कि हर एक जिले में एक सौयल टेस्टिंग लेबोरेटरी कायम की जानी चाहिये और तमाम जमीन की जांच की जानी चाहिये कि किस जमीन के लिये किस खाद की जरूरत है और उसे किसानों को बतलाया जाना चाहिये ताकि सूखी खाद से ही वह अपना उत्पादन बढ़ायें ।

इसी तरह से बिजली के बारे में है । बहुत सी जगहों पर लिफ्ट इरीगेशन बिजली के द्वारा हो सकता है, कई जगहें हैं, जैसे चम्बल नदी है जिस में काफी पानी है, लेकिन किसानों को बिजली नहीं मिल रही है । इस ओर भी ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये ।

हमारा कृषि उत्पादन कम होने से कीमतें अधिक बढ़ी हैं । आपने अभी अभी अखबारों में पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सवाल उठा कि कीमतें बढ़ रही हैं। हमारे यहां गेहूं वगैरह की कीमतें बढ़ रही है । यह बड़ा पेचीदा सवाल है । इस पर कई परीक्षण किये गये । सन् १९४७ के बाद कभी कण्ट्रोल किया गया, कभी कण्ट्रोल हटा कर, कभी प्राइस फिक्सेशन करके, कभी डिकंट्रोल करके, लेकिन हम एक स्थिर नीति कायम नहीं कर सके ।मैं समझता हूं कि इतने प्रयत्न करने के बावजूद कृषि उत्पादन में तरक्की नहीं हुई । उधर कई किसानों को शिकायत रहती है कि कृषि उत्पादन की जो उचित कीमतें मिलनी चाहियें वह नहीं मिलीं हैं । इसके बारे में एक क्रान्तिकारी कदम उठाने की जरूरत है । मेरा सुझाव है कि एक अलग स्टैटुटरी बोर्ड बनाया जाना चाहिये, ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोर्ड, और उसको यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि जिस तरह से दूसरे देशों में व्हीट बोड्स हैं, कैनाडा में हैं, आस्ट्रेलिया में हैं, जापान में राइस बोर्ड हैं जहां पर मनोपोली प्रोक्योरमेंट होता है, उसी तरह से इस बोर्ड को भी अधिकार दिया जाना चाहिये कि कुछ कमोडिटीज के उत्पादन की तरफ' जैसे व्हीट को ले लें, चावल को ले लें, वह ध्यान दे, उसके लिये बीज की व्यवस्था करे, उसके लिये वह कर्ज दे और उसका सब का सब उत्पादन प्रोक्योर कर ले और उसका वितरण करे ।अगर यह व्यवस्था की जाएगी तो कीमतें ठीक रखी जा सकेंगी और उपभोक्ताओं को चीजें ठीक कीमत पर मिल सकेंगी । लेकिन अगर यह नहीं किया गया, तो मैं समझता हूं कि कीमतों का बढ़ाव चढ़ाव हमेशा होता रहेगा और लोगों की परेशानियां इसी तरह से बनी रहेंगी ।

बेरोजगारी का सवाल भी बड़ा पेचीदा है । एक करोड़ आबादी देश में प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है । इस समस्या को हल करने के लिए गवर्नमेंट जितने भी कदम उठाती है, उनकी तुलना में यह समस्या सुरसा राक्षसी की तरह अपना मुंह बढ़ाती चली जाती है और यह समस्या हल नहीं हो पा रही है । अगर आपको बेकारी को खत्म करना है तो आपको ग्रामोद्योग और कृषि की ओर ध्यान देना होगा । आप इण्डस्ट्रियलाइजेशन करके लाखों करोड़ों आदमियों को काम नहीं दे सकते । इस प्रश्न को हल करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि कृषि के प्रश्न को युद्ध स्तर पर हल करने का प्रयत्न किया जाए । इस काम के लिए एक ऐसी एजेंसी बनायी जाए जिसमें आफिशियल और नान आफिशियल दोनों हों और उनको पूरे अधिकार रहें, और यह एजेंसी राज्यों में भी काम करे और सेंटर में भी काम करे । उसके ऊपर जिम्मेवारी हो और उसके हाथ में अधिकार भी हों । अगर ऐसा बोर्ड बनाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह समस्या बहुत कुछ हल हो सकेगी ।

प्लान में कमी क्यों रही इसकी जांच होनी चाहिए । यह सही है कि जनता की यह जिम्मेदारी है कि वह प्लान को इम्पलीमेंट करे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी जनता से अधिक है । पहली योजना में, दूसरी योजना में और तीसरी योजना में भी इस बात पर जोर दिया गया है

कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव मैशिनरी ईमानदार और एफीशेंट नहीं होगी तब तक प्लान सफल नहीं हो सकती। खुशी की बात है कि श्री नन्दा का ध्यान इस ओर गया है और उन्होंने विजिलेंस कमीशन बनाने की घोषणा की है, लेकिन केवल घोषणाओं से काम नहीं होगा। इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। प्लान के सफल न होने की कुछ जिम्मेदारी अधिकारियों पर भी डाली जानी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी और उनकी लाएबिलिटी मुकर्रर की जानी चाहिए। जब तक अधिकारियों पर जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी और उनको प्लान के लिए जिम्मेवार नहीं बनाया जाएगा, तब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता।

मैं एक बात की ओर केवल इशारा करना चाहता हूं। अभी मध्य प्रदेश में मन्त्रिमण्डल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। नया मन्त्रिमण्डल आने के बाद से वहां काम में फर्क पड़ रहा है। व्यक्तियों की भी अपनी कुछ बात होती है। जब से श्री मिश्र चीफ मिनिस्टर हुए हैं तब से कुछ अधिक काम होने-लगा है। तो मैं ने यह इसलिए कहा है कि अगर मन्त्रिमण्डल यह विचार कर ले कि नहीं हमको कर-प्शन दूर करना है, एफीशेंसी को बढ़ाना है, रेडटेपिज्म को खत्म करना है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, कि यह चीज बहुत जल्दी हो सकती है। जब तक मन्त्रिमण्डल ऐसा नहीं करेगा तब तक इसमें सफलता मिलना सम्भव नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह जिम्मेदारी वह अपने ऊपर लें और इस ओर कदम बढ़ावें।

इर्रीगेशन पर काफी रुपया खर्च किया गया, लेकिन उससे पूरा लाभ नहीं हो रहा है। इसमें सरकार को तीस करोड़ का घाटा हो रहा है। जिन लोगों का कर्जा दिया गया है वे उसको वापस नहीं कर सकते, न उसका ब्याज दे सकते हैं। इतना पैसा इर्रीगेशन पर खर्च हुआ, लेकिन उससे लाभ नहीं हो रहा है। इस बारे में कानून बनाया जाना चाहिए और उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए और राज्य सरकारों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए कहा जाना चाहिए। सेंटर उन पर इसके लिए दबाव डाले और राज्यों से यह काम ठीक प्रकार से कराए।

शिक्षा के बारे में फिजिकल टारजेट तो पूरा हो गया है, लेकिन स्कूलों में बड़ा ओवर क्राउडिंग है, विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनके लिए उचित मकानों की व्यवस्था नहीं है, और टीचर प्यूपिल सम्बन्ध ठीक नहीं है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इस ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

अन्त में मैं एक शब्द स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं। डाक्टरों की संख्या काफी बढ़ायी जा रही है, उनके कालिज बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इंडीजिनस सिस्टम आफ मैडिसिन की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। अगर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करती है और केवल डाक्टरों की सहायता से यह काम करती है तो वैद्यों और हकीमों का क्या होगा। मैं समझता हूं कि इतने बड़े देश में अगर सरकार वैद्यों और हकीमों से काम नहीं लेगी तो लोगों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकेगी। अगर ये लोग योग्य नहीं हैं तो इन को ट्रेन करके योग्य बनाया जाए। ये लोग कम खर्च में लोगों को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। अगर आप ऐलोपैथी और डाक्टरों के द्वारा ही जनता को रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस बड़े देश में ऐसा नहीं कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

†**श्री ब० रा० भगत** : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सभा ने कई दिन तक इस प्रश्न पर वाद-विवाद किया है। यह योजना के लिए अच्छा है कि बार बार वाद-विवाद का समय बढ़ाने के लिए

---

†मूल अंग्रेजी में

कहा गया है क्योंकि बड़ी संख्या में सदस्य इसमें भाग लेना चाहते थे। यद्यपि दुर्भाग्यवश गणपूर्ति न होने के कारण सभा दो बार स्थगित हुई किन्तु मुझे लाभ हो गया कि इस वादविवाद को बन्द करने के समय मेरे भाषण के सुनने को लोग अधिक संख्या में उपस्थित हैं।ए क दृष्टि से इस मध्यावधि मूल्यांकन के प्रलेख पर विचार करने के मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य पूरा हो यगा है क्योंकि इस चर्चा का बहुत लाभ रहा है। मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं कि इस देश में योजना के प्रति रुचि बढ़ेगी। लोकतन्त्रात्मक योजना का सार यही है कि हमारे अधिकाधिक देशवासी न केवल विचार कार्य और कार्यान्विति की प्रक्रिया में योजना में भाग लें बल्कि हमारी नीति के विशद प्रभाव से भी अवगत हों। मैंने देखा है समाचार पत्रों में भी इस वाद-विवाद के प्रति आलोचनात्मक रुचि प्रदर्शित की गई थी। मेरे प्रस्ताव का यही प्रयोजन था और उसकी अधिकांशत: पूर्ति हो गई है। मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि योजना की २$^{1}/_{2}$ वर्ष की कार्यान्विति के वर्तमान चित्र पर विचार करना है। मूल्यांकन का प्रयोजन सीमित था कि सभा को प्रगति के बारे में बताया जाय और रचनात्मक आलोचक को प्रोत्साहन दिया जाय। जिन सदस्यों ने ऐसी आलोचना की है, मैं उनका आभारी हूं क्योंकि इस से उनकी रचनात्मक अधीरता कथित होती है। मुझे खेद है कि कुछ सदस्यों ने कुछ अन्य बातों की चिन्ता के कारण मूल्यांकन प्रलेख पर कठोर प्रहार करने का विचार किया है। इस दृष्टि से वे असंगत और लक्ष्य से दूर थे क्योंकि वादविवाद योजना के उद्देश्य, दृष्टिकोण या नीति के बारे में नहीं था दूसरी योजना की चर्चा के दौरान और तीसरी योजना की चर्चा के समय सदस्यों और अधिकांश लोगों ने इस प्रश्न का अध्ययन किया है और काफी चर्चा के बाद सभा इस बात से सहमत हुई है कि इसके उद्देश्य और विकास की नीति ठीक है। उन पर आपत्ति करने से कुछ सदस्यों के सीमित राजनैतिक हित को लाभ पहुंचेगा किन्तु इस से रचनात्मक आलोचना या योजना की कार्यान्वित के बारे में लोगों की राय को प्रोत्साहन नहीं मिलता। मैं मूलभूत प्रश्न को नहीं लेना चाहता क्योंकि इस समय ऐसा करना अनुचित होगा। इस के अलावा प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने बहुत हद तक योजना के उद्देश्यों, दृष्टिकोण और नीति की चर्चा की है। जिस सदस्य ने यह कहा कि यह योजना निराशाजनक है और ऐसा चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया कि इस अर्थ व्यवस्था में हर बात गलत है तथा निराशा तथा विषाद का वातावरण पैदा करने का प्रयत्न किया मैं उसकी इस बात से सहमत हूं कि मूलभूत स्थापनाओं के निर्माण के लिये प्रयत्न करना चाहिये तथा प्राथमिकताओं को नहीं बदलना चाहिये। मैं समझता हूं कि वे बहुविज्ञ व्यक्ति हैं, नयी आर्थिक प्रवृत्तियों को जानते हैं और विज्ञान तथा प्रौद्योगिक की समस्याओं को समझते हैं। मैं समझता हूं कि यदि हम आज के सीमित उद्देश्य को लें तो उसका यही अभिप्राय है कि मूलभूत स्थापना का निर्माण किया जाय। उन्होंने स्वयं बताया है कि ये मूलभूत स्थापनायें हैं परिवहन, संचार, बिजली और शिक्षा। यदि हम इसे स्वीकार कर लें तो उसका प्रभाव यह है कि विकास की नीति के अन्तर्गत जो हमने इस योजना में अपनाई है मूल स्थापनाओं का निर्माण होगा। फिर उन्होंने यह कहा कि कृषि पर बल देना चाहिये। २०वीं शताब्दी में अर्थ-शास्त्र का सत्र होने के नाते वे जानते हैं कि कृषि का विकास उद्योग के सुदृढ़ आधार के बिना नहीं हो सकता क्योंकि कृषि के लिये इस्पात, सीमेंट और उर्वरकों की आवश्यकता होगी। अत: इस दृष्टि से हमें कृषि पर अधिक बल देना चाहिये अथवा मलभूत स्थापनाओं पर। यह स्वीकार करना होगा कि योजना विकास की नीति ठीक है।

मैं उनकी और अन्य जिन सदस्यों ने निराशा पूर्ण चित्र खींचा है उनकी बात का खंडन करता हूं। कुछ राजनैतिक लाभ की खातिर वे अधिक अंधकार पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था की इस स्थिति में यह स्मरण रखना चाहिये गत बजट अधिवेशन में ही सभा ने प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय की अनुमति दी थी और अन्य अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धि की अनुमति दी थी

[श्री ब० रा० भगत]

संयोगवश उसका कारण यह था कि शुरू अवधि में कृषि उत्पादन कम हुआ था। उससे मूल्य बढ़ गया। यह चित्र प्रस्तुत करना कि इन सब कारणों से मूल्य बढ़ जाने के फल स्वरूप उपभोग कुछ नियंत्रित हो गया है यह ठीक नहीं है क्योंकि गत अधिवेशन में हमने कहा था कि कराधान की नीति उपभोग को कम करने की है ताकि निर्यात बढ़े और मूल्य कम हों। अनिवार्यता सीमित काल के लिये इस परिस्थिति में उपभोग अवश्य कम हो जाता है। यहां माननीय सदस्य ने कह दिया कि सरकार ने जान बूझकर उपभोग को सीमित किया है और जन समुदाय की मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और मूल उद्योगों के निर्माण सम्बन्धी विचारधारा की खातिर उनका बलिदान किया जा रहा है। यह कथन और कुछ भी हो किन्तु राजनैतिक ईमानदारी का द्योतक नहीं है।

एक ओर तो इस वस्तु स्थिति से सहमत होकर प्रतिरक्षा और विकास के लक्ष्यों का साथ साथ ध्यान रखना है, स्थिति का औचित्य ठहराया जा सकता है और इन ढाई वर्षों में हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उनका विश्लेषण हम ने किया है और वे योजना की कार्यन्विति में असफलता के कारण सरकार की आलोचना कर सकते हैं। किन्तु यह कहना कि हमने जान बूझ कर उपभोग को सीमित किया है ताकि राजनैतिक या विचार धारा सम्बन्धी हितों को लाभ हो, ठीक नहीं है। न तथ्यों के आधार पर और न ही योजना की नीति और उद्देश्यों के आधार पर यह ठीक है। इस अवसर पर मैं यही बताना चाहता था।

दूसरी ओर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा, जिस पर मुझे हर्ष है, कि हम ऐसे बहुत से थोड़े सदस्यों के साथ विवाद क्यों कर रहे हैं जिनका योजना में विश्वास नहीं या जो योजना की नीति और उद्देश्यों पर ही आपत्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि वह विचार तो बहुत ही कम लोगों का है और मैं उनसे सहमत हूं। वास्तव में सरकार को योजना की कार्यान्विति से सम्बन्धित आलोचना का उत्तर देना चाहिये कि अधिक बड़ी और अधिक अच्छी योजना होनी चाहिये और अधिक लाभ कमाने वालों तथा धन के संग्रह के प्रति सावधान रहना चाहिये। हमारी स्थिति सुदृढ़ है किन्तु मुनाफों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कतिपय कम्पनियों के आंकड़े बताये हैं जिन्होंने १५ से २५ प्रतिशत तक लाभांश घोषित किये हैं। ऐसे मामले बहुत कम हैं और वे सच हो सकते हैं और किसी वर्ष विशेष के सम्बन्ध में सत्य हो सकते हैं। यह संभव है कि कुछ कम्पनियों की पूंजी कम हो परन्तु लाभांश अधिक हों। किन्तु मैं समझता हूं कि अति लाभ कर के कारण इस वर्ष या अगले वर्ष यह बात सच नहीं होगी क्योंकि जिन कम्पनियों ने अधिक लाभांश घोषत किए हैं उन पर हमने कर लगा दिए हैं। माननीय सदस्य यह चित्र प्रस्तुत करना चाहते थे कि एक ओर हम समाजवाद की स्थापना कर रहे हैं और दूसरी ओर अधिक मुनाफे की अनुमति दे रहे हैं। यह बात सच नहीं। हमने मिश्रित अर्थ व्यवस्था को स्वीकार करके गैर-सरकारी उद्योग का काम निर्धारित कर दिया है और यह उचित है कि वे उचित सीमा में काम करें इसका स्वत: यह अभिप्राय है कि उन्हें यह नीति स्वीकार करनी चाहिये कि उन्हें उचित मुनाफा कमाना चाहिये और सुविधाओं का विचार करना चाहिये और यह स्वीकार करना चाहिये कि जो समवाय अधिक अच्छी प्रकार संगठित होगा। और अधिक कुशल होगा वह दूसरे अकुशल समवायों की तुलना में अधिक मुनाफा कमायेगा। मैं समझता हूं कि सरकार इस लिए अधिक लाभ कमाने की अनुमति नहीं दे रही कि एकाधिकार की स्थिति पैदा हो। उचित मुनाफा काफी है। मैं समझता हूं कि इस सभा को अधिकार है और इसे जनता की राय का समर्थन भी प्राप्त है कि यदि ऐसे मुनाफे और समाज विरोध की पृवृत्तियां हों तो उन्हें नग्न कर दें और ऐसा किया भी गया है। निश्चय ही सरकार और इस सभा की वैधानिक शक्तियां ऐसी हैं जिन के द्वारा उन प्रवृत्तियों को दबाया जा सकता है।

जहां तक आर्थिक शक्ति के संग्रह का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने कहा कि सभा वित्त मंत्री के भाषण से उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे देश में कहीं धन के संग्रह का पता नहीं है और वे काल्पनिक शत्रु का मुकाबिला कर रहे हैं। यह नाथपाई ने कहा था किन्तु इस बार उन्होंने अपनी चतुराई का प्रयोग गलत जगह पर किया है। उन्होंने यह आभास दिया है कि सरकार और कांग्रेस धन के संग्रह को प्रोत्साहन दे रहा है। वित्त मंत्री का कथन इस प्रकार था :—

> "यदि धन का संग्रह है तो उसे हथियाया जा सकता है और उसका अच्छा प्रयोग किया जा सकता है, उन से ऐसा करने का अनु ोध किया जा सकता है और विधान द्वारा हो सकता है ....."

यह प्रसंगवश कहा गया था। वे शक्ति संग्रह का समर्थन नहीं कर रहे थे। वास्तव में हम ने जो नीति अपनाई है, विशेषत: प्रभावशाली सरकारी उद्योग का जो नीति अपनाई है व ह धन के संग्रह को निर्मूल करती है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। वे कहते हैं कि हम देश में दोहरे धन के संग्रह से भयभीत हैं और यद्यपि समिति नियुक्त की गई है किन्तु हम प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं कर रहे। बार बार यह कहा गया है कि समिति कार्यशील है। क्योंकि उन्होंने देखा कि यह मामला जटिल है और अनेक प्रकार के आंकड़ों और गणना की आवश्यकता है। यह उनकी राय है। इस लिये वे अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके क्योंकि वे किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। दो दिन हुएश्री महालनोबिस आए हैं। मैं उनसे लिा था। अब वे अपना सारा समय इस में लगाने वाले हैं। कह नहीं सकता कि वे कब प्रतिवेदन देंगे। किन्तु, सरकार वचनबद्ध है कि सभा को प्रतिवेदन दिखाया जायेगा। सरकार कुछ भी छिपायेगी नहीं। इस प्रकार की समिति के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। समिति को सभा की चिन्ता का पता है और वे यथा सम्भव शीघ्र प्रतिवेदन देंगे। उनके सामने कई कठिनाइयां हैं।

हम आर्थिक संग्रह को रोकने के लिए कई प्रकार से प्रयत्न करते रहे हैं। सभा यह अनुभव करेगी कि स्थिति ऐसी है कि एक दिन में इसका हल नहीं निकल सकता। हम ने कई प्रकार से प्रयत्न किये हैं। वित्तीय और अन्य उपायों के अलावा योजना में स्वीकार की गई नीति यह है कि हमें सरकारी क्षेत्र का अधिकाधिक निर्माण करना है। कुछ वर्षों बाद सरकारी उद्योग क्षेत्र का स्वरूप प्रभावी होगा और हमें छोटे पैमाने के उद्योग और सहकारी क्षेत्र का विकास करना है। अत: अर्थ-व्यवस्था का आधार निम्न वर्ग के अधिकाधिक लोगों को बनाना है। कृषि का क्षेत्र एक बड़ा गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र है। अर्थ-व्यवस्था का जो चित्र हमारे समक्ष है उसमें सरकारी उद्योग और छोट पैमाने का क्षेत्र प्रभावी होगा और कुछ वर्षों बाद हम इस नीति का बहुत जोर शोर से पालन करेंगे और तब कभी अनुचित संग्रह नहीं होगा और देश में हम जिस आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं उसके लिए खतरा पैदा नहीं होगा।

प्रादेशिक असंतुलन का प्रश्न उठाया गया था और कुछ सदस्यों ने विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुए क्षेत्रों का प्रश्न उठाया था। उत्तर प्रदेश के एक सदस्य ने बड़ भावात्मक के साथ कहा था कि उनके ज़िले को इन क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया। तीसरी योजना बनाते समय इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया गया था। अनिवार्यत: बड़े संगठन और अधिक विकसित प्रदेश तेज़ी से प्रगति करते हैं और पिछड़े क्षेत्र

[श्री ब० रा० भगत]

पिछड़ जाते हैं। इसके लिए एक विशेष दल नियुक्त किया गया है और उसने उत्तर प्रदेश के चार ज़िलों को चुना है। यह कार्यक्रम प्रयोगात्मक अध्ययन के रूप में है और उन ज़िलों में पिछड़ापन पैदा करने और विकास में बाधा उपस्थित करने वाली बातों का अध्ययन किया जायेगा। यह अध्ययन करना है कि पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था में गतिशीलता कैसे पैदा की जा सकती है वहां अधिक नगर बना कर या मूल स्थापनाओं का निर्माण करके अन्य अनेक प्रकार के अध्ययन किये जा रहे हैं। शीघ्र ही दल का प्रतिवेदन मिल जायेगा और हमें एक नमूना मिल जायेगा और माननीय सदस्य का ज़िला तथा पुट्टोकोट्टई को भी शामिल किया जायेगा। वहां के सदस्य ने भावावेश में यहां तक कहा था कि जनव्यापी आंदोलदन किया जायेगा। मैं समझता हूं कि ये खतरे व्यर्थ हैं। नमूना मिल जाने पर अगली योजना के दो वर्षों में हम कुछ कर सकेंगे।

कृषि के बारे में कुछ बातें कही गई थीं। मैं इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने इस विषय पर कहा था। एक मूलभूत आलोचना सिंचाई क्षमता के अप्रयुक्त रहने के बारे में की गई है। पूर्व वक्ता और अन्य अनेक सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार का काम तेज़ी से नहीं किया गया। कृषकों को प्रोत्साहन देने का भी प्रश्न है। चर्चा से यही महत्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं।

यह सच है कि विगतकाल में सिंचाई क्षमता का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया गया किन्तु इस प्रयोग के सुधार के लिए जोरदार कार्यवाही की गई है और दो या तीन वर्ष में सुधार हुआ है। अब ८० प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया जाने लगा है। किन्तु इसमें मुख्य कठिनाई नालियों की है जो पानी लेने वाले किसानों का उत्तरदायित्व है। अब अनेक राज्यों ने विधान बनाये हैं कि पंचायतें उनका निर्माण करें और लाभान्वित होने वालों से खर्च वसूल करें। कुछ मामलों में नहरों के मुहानों पर प्रयोग नहीं किया गया। विचार है कि सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जाये। वर्तमान सिंचाई क्षमता कम हो गई है विशेषतः दक्षिण में जहां सुविधाओं का ठीक संधारण नहीं किया जाता। पुरानी नहरों और तालाबों में रेत इकट्ठी हो गई है और इस कारण उनकी क्षमता कम हो गई है। अब इस विषय की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है वे इन सुविधाओं के लिए विशेष निधियां रखें।

यह भी निश्चय किया गया है कि सिंचाई परियोजना आरम्भ करने से पूर्व उसके प्रयोग की पद्धति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाये। जिस परियोजना की उपभोग पद्धति धीमी होगी उसे हाथ में नहीं लिया जायेगा।

भूमि सुधार का कार्य विभिन्न राज्यों में असंतोषजनक है। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कहने के लिए समाजवादी या प्रगतिवादी होना आवश्यक नहीं कि जहां किसान को भूमि पट्टा प्राप्त हो और उसका हित भूमि में हो वहां भूमि सुधार के बिना उत्पादन नहीं बढ़ सकता। पश्चिम के देशों में भी यह स्वीकार किया गया है और फोर्ड फाउंडेशन का भी यही मत है जिस पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसका विशेष पक्षपातपूर्ण रुख है। भूमि में किसान का हित पैदा किये बिना

उत्पादन नहीं बढ़ सकता। इस विषय पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार किया गया था जहां यह चिन्ता प्रकट की गई थी कि विभिन्न राज्यों ने भूमि सुधार कार्यक्रम आरम्भ नहीं किये और उसका कृषि उत्पादन पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। अतः जहां विधान बन चुका है वहां भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने और जहां कोई विधान नहीं वहां विधान बनाने के लिए गृह मंत्री के सभापतित्व में एक समिति बनाई गई है। वह समिति तीन या छः मास बाद बैठक किया करेगी और प्रत्येक राज्य की प्रगति का पुर्नविलोकन करेगी। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण प्रश्न का ध्यान रखा गया है।

कृषकों को प्रोत्साहन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा प्रधान मंत्री ने कहा यह बहुत कठिन उद्योग है। जब तक किसान को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जब तक उसे सुविधाएं नहीं दी जातीं उसे अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। उसे खेती के नये तरीके और नये विचार भी सिखाने हैं। सब से बड़ा प्रोत्साहन तो मूल्य है जो उसे प्राप्त होता है। ऋण, सिंचाई और अधिक अच्छे बीज की सुविधाओं के अतिरिक्त उसे श्रम का फल भी मिलना चाहिये। सस्दयों ने गन्ने के नये मूल्य के बारे में उत्साहपूर्वक सुना होगा जो कृषि तथा खाद्य मंत्री ने घोषित किया है अतः सरकारी परिस्थिति के प्रति सचेत है। चावल, गेहूं, ज्वार, कपास की मुख्य फसलों को समय-समय मूल्य समर्थन दिया जाता है। समाहार मूल्य का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार इसके प्रति सचेत है।

उद्योग क्षेत्र की आलोचना को तीन भागों में बांटा जा सकता है, जैसे औद्योगिक नीति सम्बन्धी, गलत योजना सम्बन्धी, लक्ष्यों में कमी सम्बन्धी और स्थापित क्षमता के कम प्रयोग सम्बन्धी आलोचनाएं। पहले औद्योगिक नीति को लीजिये। दूसरी ओर यह कहा जाता है कि औद्योगिक नीति प्रतिबंधात्मक है और उससे निर्बाध उपक्रम को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यह भी कहा जाता है कि औद्योगिक नीति का ह्रास किया जा रहा है। ये दो विपरीत आलोचनाएं हैं। सच तो यह है कि औद्योगिक नीति का अनुसरण उस भावना के साथ किया जा रहा है जिसके साथ उसे बनाया गया था। सभा ने जैसा कहा यह नीति परिवर्तनशील होगी। स्थिति और आर्थिक गतिशीलता ऐसी है कि यह अपरिवर्तनीय नहीं हो सकती। अतः सहकारी उद्योग क्षेत्र का निर्माण करना है। उत्पादन के हित में और राष्ट्रीय हित में उदाहरनतः उर्वरकों के सम्बन्ध में उस नीति का अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि उत्पादन की आवश्यकता इतनी अधिक थी। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि औद्योगिक नीति में कुछ ह्रास हुआ है।

इसके बाद मैं दोषपूर्ण आयोजन के प्र न का विवेचन करता हूं। केरल के एक माननीय सदस्य ने यह आलोचना की है कि एक ओर तो अंतिम अनुमानों को जरूरत से ज्यादा पूरा किया जा रहा है तो दूसरी ओर भौतिक लक्ष्यों में काफी कमी है। हमने परीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि कुछ त्रुटिपूर्ण आयोजन हुआ है परन्तु उसका मुख्य कारण यह है कि तीसरी योजना के आरम्भ में हमारी तकनीकी जानकारी, डिज़ाइन बनाने के संगठन और अन्य बातें पूरी तरह विकसित नहीं और फलस्वरूप हम विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं की लागत और आकार का सही अनुमान नहीं लगा सके। इसलिए हमारे सामने यह परिस्थिति पैदा हो गयी थी कि अनुमान बिलकुल ठीक न होने के कारण या तो उन परियोजनाओं को शामिल ही न किया जाय या उन्हें तब शामिल किया जाय जब कि विस्तृत अनुमान बाद में तैयार हो जाते।

[श्री ब० रू० भगत]

हमने बाद वाला रास्ता अपनाया और नतीजा यह हुआ कि कई मामलों में न केवल परियोजना का आकार बढ़ गया बल्कि उनकी लागत भी बढ़ गयी।

हमारी दूसरी कठिनाई यह रही कि कुछ परियोजनाओं के मामले में तकनीकी जानकारी और अनुभव की कमी के कारण गर्भावस्था की अवधि अपर्याप्त प्रतीत हुई और नतीजा यह हुआ कि अनुमान बढ़ गये और परिणाम बहुत बाद में, योजना की अवधि के बाद सामने आये। इस सबका नतीजा यह हुआ है कि लाभ तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त नहीं किये जा सकेंगे बल्कि चौथी योजना के पहले और दूसरे वर्ष में प्राप्त किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में हम ऐसी कार्यवाही करेंगे कि भविष्य में ऐसा न हो। अभी से हम उन योजनाओं की एक सूची बनायेंगे जिनको आरम्भ किया जा सकता है और जिनमें अगली योजना के पहले दो वर्षों में उत्पादन आरम्भ हो जायगा। जहां तक वर्तमान परियोजनाओं का सम्बन्ध है, प्रक्रियात्मक तथा अन्य विलम्ब कम करने का हम प्रयत्न करेंगे। इस संपूर्ण प्रश्न की छानबीन करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है और जब उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तब उसे शीघ्र कार्यान्वित किया जायगा ताकि लाइसेंस देने या दूसरे मामलों में प्रक्रियात्मक विलम्ब दूर हो जाये। इस तरह अगले चार पांच वर्षों में हम इस ओर ध्यान देंगे कि अधिक अच्छी क्रियान्विति, तकनीकी जानकारी और समय से पहले की जाने वाली कार्यवाही के परिणामस्वरूप ये कठिनाइयां दूर हो जायें।

मैं समझता हूं कि सभा को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि बिजली, परिवहन तथा अन्य कुछ प्रमुख क्षेत्रों में लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हुई है। हमने उन चीजों की सूची दी है जिनके संबंध में लक्ष्य पूरे हो जायेंगे या उससे भी कुछ अधिक प्राप्ति होगी। कुछ क्षेत्रों में कमियां भी हैं और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह कमियां काफ़ी हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि किस दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार किया जाता है। इसके लिए दो दृष्टिकोण हैं। जैसे सीमेन्ट के मामले में लक्ष्य १३० लाख टन से १२० लाख टन कर दिया गया है लेकिन पांच या छ साल की अवधि को ध्यान में रखते हुए उत्पादन बढ़ा है। इसी तरह उर्वरक के मामले में कमी काफी है अर्थात् ८ लाख टन की बजाय हम ५ लाख टन से ज्यादा उत्पादन नहीं कर पायेंगे लेकिन नाइट्रोजनस उर्वरक की खपत दो साल में दुगुनी हो गयी ह और फास्फेट उर्वरक की खपत तिगुनी हो गयी है।

सभा को मालूम होगा कि कच्चा माल और पुर्जों की कमी के कारण कुछ उद्योगों में पूरी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सके हैं यद्यपि कुछ क्षेत्रों में जैसे सीमेन्ट में ९० प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। स संबंध में भी काफी सुधार हुआ है।

अब मैं सभा को आयात स्थानापन्ना के प्रश्न के बारे में बताना चाहता हूं। कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल कपास ह। हमें यह देखना है कि उद्योग के लिए आवश्यक कपास हम पैदा कर सकते हैं या उसको स्थानापन्न करना होगी। इस पर विचार करने के लिए हमने एक समिति नियुक्त की लेकिन वह संकट के कारण कार्य नहीं कर सकी। योजना आयोग का एक कार्यकारी दल आयात स्थानापन्नता के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए स्थापित किया जायेगा जिससे उन चीजों, औद्योगिक पुर्जों और कच्चे माल की सूची बनायी जा सके जिनका या तो उत्पादन करना होगा या आदान करना होगा। तभी आयात स्थानापन्नता की समस्या हल होगी।

आगे लड़कियों की शिक्षा, परिवार नियोजन, ग्रामीण निर्माणकार्यक्रम, औद्योगिक बस्तियों आदि के बारे में भी कुछ बातें उठायी गयी हैं। प्रधान मंत्री ने उनमें से कुछ विषयों का विवेचन

किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम और औद्योगिक बस्तियों के मामलों में कुछ प्रगति नहीं हुई है। लेकिन ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए हर कोशिश की जा रही है और की जायेगी।

आयोजन की तकनीक के बारे में काफी आलोचना की गई है। मैं मानता हूं कि औद्योगिक तथा अन्य विषयों के बारे में आयोजन त्रुटिपूर्ण रहा है। परन्तु यह इस कारण हुआ कि हम अभी तनी निपुणता प्राप्त नहीं कर सके हैं जिससे कि इन समस्याओं का हल निकाल सकते। ऐसा प्रशासनक त्रुटि के कारण नहीं हुआ जैसे-जैसे आयोजन आगे बढ़ेगा यह और भी जटिल होता जायेगा। योजना आयोग तथा अन्य विभागों के कार्यकरण के बारे में जो रचनात्मक आलोचनायें की गई हैं उनसे योजना आयोग पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस समय यह अपने कार्यकरण के मूल्यांकन करने में लगा हुआ है। यह आयोजना की जटिलता तथा अर्थ व्यवस्था की गतिशीलता को ध्यान में रख कर कोई अच्छा तरीका निकालेगा अब हम इस अवस्था में पहुंच गये हैं। जब कि हमें इस सभा, योजना आयोग तथा जनसाधारण के सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। चौथी योजना के सम्बन्ध में हम संसद सदस्यों तथा अन्य संगबित निकायों से परामर्श करेंगे। उदाहरण के लिये अप्रल, १९६४ में चतुर्थ योजना का प्रारम्भिक मेमोरेंडम तैयार हो जायेगा। अगस्त-सितम्बर में हम विभिन्न निकायों, राज्य सरकारों आदि से इसके बारे में चर्चा करेंगे तथा जनवरी-फरवरी, १९६५ में योजना का प्रारूप तैयार हो जायेगा। हर अवस्था में संसद् सदस्यों से परामर्श किया जायेगा तथा उनकी प्रतिक्रियायें जानी जायेंगी ताकि वे योजना के बनाने में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। अक्तूबर-नवम्बर, १९६५ में राज्य सरकारों से उनकी योजनाओं के बारे में परामर्श करके जनवरी-फरवरी, १९६६ में चतुर्थ योजना का अन्तिम प्रतिवेदन तयार हो जायेगा। इसको सभा में चर्चा के पश्चात् स्वीकार कर लिया जायेगा। हमारा विचार है कि चतुर्थ योजना के बनाने में न केवल संसद् का ही परामर्श लिया जाये अपितू इसको अधिक से अधिक प्रचार दिया जाये और पहले अनुभवों के कारण जो दोष पाये गये हैं उन्हें दूर किया जाये। अब भी हम इस बारे में अग्रिम कार्यवाही कर रहे हैं और यह बहुत आवश्यक है। कोई परियोजना व्यवाहर्य है या नहीं यह जानने के लिये विभिन्न स्तरों पर अनेक अध्ययन किये जा रहे हैं।

मैं सदस्यों का उनके द्वारा दिये गये सुझावों के लिये आभारी हूं। चर्चा से यह सपष्ट हो गया है कि योजना की सफलता पर ही हमारा भविष्य निर्भर है।

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्रशुल्क आयोग की कुछ सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को लागू करने के लिये भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है। वे सिफारिशें इस प्रकार हैं: (क) रेशम उत्पादन, ऐंटिमोनी, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स स्टील रिइनफार्स्ड तथा एल्यूमिनियम के कंडक्टरों, बिजली की मोटरों, सूती कपड़ा उत्पादन की मशीनों, बिजली तथा वितरण-ट्रांसफार्मरों, पिस्टन एसेम्बली तथा ऑटोमोबाइल पावर प्लग के बारे में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाईशाह]

३१ दिसम्बर, १९६३ के बाद तक संरक्षण जारी रखना तथा (ख) इंजीनियर स्टील फाइलों, बाइसिकलों तथा डीजल फ्यूल ईजेक्शन इक्विपमेंट पर १ जनवरी, १९६४ से संरक्षण समाप्त करना।

प्रशुल्क आयोग द्वारा १९५४ में की गई सिफारिशों के आधार पर रंग उद्योग, जिसे ३१ दिसम्बर १९६४ तक संरक्षण प्राप्त है का मूल्यांकन किया गया। जहां तक इस उद्योग का सम्बन्ध है, वर्तमान यथा मूल्य शुल्क या आयात शुल्क या सीमा शुल्क या वर्तमान संरक्षण अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इन सब उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रतियां माननीय सदस्यों को भेज दी गई हैं तथा उन पर सरकार के संकल्प सभा पटल पर रख दिये गये हैं, तथा प्रत्येक उद्योग के बारे में टिप्पण माननीय सदस्यों को भेज दिये गये हैं। अतः मैं प्रत्येक उद्योग के विस्तार में नहीं जाऊंगा। संरक्षण के जारी रखने या समाप्त करने सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर यहां पर पहले ही अनेक बार विचार विमर्श हो चुका है।

सबसे पहले मैं प्रशुल्क आयोग के कार्यों का सभा में संक्षेप में वर्णन करूंगा। इस बारे में मैं विशेषकर स्वदेशी उद्योगों को दिये गये संरक्षण की ओर निदेश करूंगा। प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१, के उपबन्धों के अधीन जनवरी, १९५२ में एक स्थायी प्रशुल्क आयोग बनाया गया। इस आयोग के मुख्य कृत्य इस प्रकार हैं: (१) देश में शिशु उद्योगों को सामान्य रूप से प्रशुल्क तथा सीमा-शुल्क का संरक्षण देने सम्बन्धी मामलों पर सरकार द्वारा भेजे गये निदेशों का निपटारा करना, (२) संरक्षण के कार्यकरण के बारे में स्वतः जांच करना, (३) उद्योगों की प्रगति पर निरन्तर नजर रखना, तथा (४) विभिन्न रक्षित अथवा अरक्षित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के मामलों में सरकार से प्राप्त निर्देशों का निपटारा करना।

गत तीन वर्षों में, आयोग ने कर्त्तव्यों के पालन में संरक्षण जारी रखने सम्बन्धी २६ तथा वस्तुओं के, जिसमें कुछ संरक्षण प्राप्त वस्तुएं, भी सम्मिलित हैं, मूल्य ढांचे सम्बन्धी १२ जांचें पूरी कीं। जिन वस्तुओं के मूल्यों के बारे में जांचें की गईं उनमें से महत्वपूर्ण कच्ची रबड़, सीमेंट, ऊनी धागों तथा कपड़ा, गन्ने का मूल्य सम्बन्धन सूत्र (नगर केन प्राइस-लिंकिंग फार्मूला), इस्पात तथा कच्चा लोहा, सूती धागा तथा सूती कपड़ा हैं।

संरक्षण शुल्क नियत करने के लिये सामान्य सिद्धान्तों को लागू करने के बारे में आयोग को काफी स्वविवेक प्राप्त है।

उद्योगों को दिये गये संरक्षण के अन्य उद्योगों तथा मूल्यों पर हुए प्रभावों पर आयोग तथा सरकार द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जाती है। आयोग संरक्षित उद्योगों की प्रगति की देखरेख करता है। संरक्षित उद्योगों ने सराहनीय प्रगति की है।

१ जनवरी, १९६० को संरक्षण-प्राप्त उद्योगों की संख्या २८ थी। प्रशुल्क आयोग की सिफारिश पर ६ उद्योगों पर से संरक्षण हटा दिया गया तथा कुछ उद्योगों के कुछ भागों पर से संरक्षण पूर्णतया हटा दिया गया। संरक्षण तभी हटाया जाता है जब संरक्षित उद्योग पर्याप्त प्रगति कर लेता है तथा वह बिना संरक्षण के संतोषजनक रूप से कार्य करने की स्थिति में हो जाता है। १ जनवरी, १९६३ को संरक्षित उद्योगों की संख्या २२ थी जिनमें से ११ को ३१ दिसम्बर, १९६३ तक संरक्षण प्राप्त है। घरेलू उत्पादन में वृद्धि के फल-

स्वरूप ही संरक्षण प्राप्त अधिकांश वस्तुओं की संभरण स्थिति में सुधार हुआ है। कुछ वस्तुओं को छोड़ कर, देश की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये अन्य संरक्षण-प्राप्त वस्तुओं का निर्यात नहीं करना पड़ा। हम कई महत्वपूर्ण संरक्षण प्राप्त वस्तुओं के संभरण के बारे में पहले से ही आत्म निर्भर हो गये हैं।

प्रशुल्क आयोग संरक्षित उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की किस्म पर कड़ी निगरानी रखता है। निर्माताओं ने भी इस बारे में अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता दिखाई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी मंडियों में भी इन वस्तुओं की बड़ी मांग है। चालू वर्ष में, हमने किस्म में सुधार करने तथा यह देखने के लिये कि वस्तुएं निर्धारित मानकों के अनुसार बनाई जायें, विभिन्न उपाय किये हैं। संरक्षित वस्तुओं के निर्माता यह प्रयत्न करते रहे हैं कि उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हों। निर्माताओं द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों पर आयोग द्वारा कड़ी निगरानी रखे जाने के कारण निर्माता अनुचित लाभ नहीं कमा सकते।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश समवायों द्वारा अपने लाभों को वापस उसी उद्योग में लगाया गया है। किसी शिशु उद्योग के सम्बन्ध में संरक्षण शुल्क निश्चित करते समय उपभोक्ताओं तथा सम्बन्धित उद्योगों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। उपभोक्ताओं का भार कम करने के बारे में आयोग उत्सुक रहता है और यह इस बात से स्पष्ट है कि गत तीन वर्षों में ६ उद्योगों पर से संरक्षण हटा दिया गया है। कम से कम अवधि के लिये संरक्षण देने का हमारा प्रयास रहता है तथा उपभोक्ताओं के हितों को सर्वाधिक महत्ता दी जाती है।

यह एक ऐसा विधेयक है जिससे यह सभा अच्छी तरह अवगत है तथा यह प्रत्येक वर्ष सभा के समक्ष उपस्थित किया जाता है। क्योंकि सरकार को विभिन्न उद्योगों के बारे में प्रतिवेदनों को सभा में पेश करने के अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। इस वर्ष प्रशुल्क आयोग बधाई का पात्र है क्योंकि उसने एक वर्ष के अन्दर बहुत अधिक जानकारी प्रदान करने वाले तथा १४ महत्वपूर्ण उद्योगों तथा मूल्यों के बारे में सिफारिशें देने वाले प्रतिवेदन तैयार किये हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को सभा के समर्थन के लिये प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस विधेयक के लिये एक घंटे का समय दिया गया है। अतः प्रत्येक माननीय सदस्य ६ अथवा ७ मिनट ही लें।

†**कुछ माननीय सदस्य** : इस विधेयक के लिये समय बढ़ाया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : समय आध घंटा और बढ़ा दिया जायेगा।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों से सहमत हूं परन्तु एक या दो बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

एल्यूमिनियम उद्योग को संरक्षण जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इन उद्योगों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। उनमें से एक इंडियन एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। यह समवाय कनाडा के एक सार्थ के सहयोग से कार्य कर रहा है। इस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

समवाय का शुद्ध लाभ १५.९० लाख रुपये है। इसको १५ प्रतिशत लाभ हुआ है। मैं समझता हुं कि यह लाभ काफी है। यह नहीं है कि मैं विदेशी पूंजी के भारतीय उद्योगों में लगाये जाने के पक्ष में नहीं हूं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि विदेशी विनियोजक प्रशुल्क संरक्षण का अनुचित लाभ उठायें। इसकी जांच की जानी चाहिये।

दूसरा एल्यमिनियम समवाय इंडियन केबल कम्पनी है। इसने भी बहुत मुनाफा दिखाया है। अर्थात्, १५६.८५ लाख रुपये। जब यह समवाय इतना लाभ कमा रहा है तो उसको संरक्षण जारी रखने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। अतः इस बारे में जांच की जानी चाहिये। हमें केवल विदेशी विनियोजकों के हितों को ही नहीं देखना चाहिये। उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये क्योंकि इस संरक्षण का भार उन्हीं पर पड़ता है। उनको अधिक कर देने पड़ते हैं।

कपड़ा मशीनरी उद्योग के बारे में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। प्रशुल्क आयोग को मशीनों के निम्न स्तर के होने तथा जल्दी खराब होने के बारे में शिकायतें मिली हैं। इस उद्योग को गत बारह वर्षों से संरक्षण प्राप्त है परन्तु फिर भी इस प्रकार की शिकायतें दूर नहीं की गई हैं। इस उद्योग की एक यह भी शिकायत है जैसाकि "**कामर्स**" पत्रिका में दिया हुआ है कि इस उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकताओं का अभी तक कोई व्यावहारिक अनुमान नहीं लगाया गया है। अतः प्रशुल्क आयोग को इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये थी।

बारह वर्ष के संरक्षण के पश्चात् भी आज यह उद्योग यह नहीं जानता की इसकी नये कच्चे माल की क्या आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में न तो उद्योग ने ही, न ही उनकी संघ ने, न ही सरकार ने और न ही किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अनुमान लगाया है। उनका विचार है कि सरकार उनको संरक्षण देती रहेगी और वे पलते रहेंगे।

उसी पत्रिका में कहा गया है कि कपड़ा बनाने वाली देसी मशीनों के बारे में और भी शिकायतें हैं, उदाहरणार्थ, विदेशी मशीनों की तुलना में ऊंचे मूल्य, मशीनें देने में अधिक समय लेना, क्रयादेशों का पूर्णरूप से पालन न करना, फालतू पुर्जों की कमी आदि।

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए]

साइकिल उद्योग का भी यही हाल है। विदेशी साइकिल १०० रु० की आकर पड़ती है जबकि इसके विरुद्ध देसी साइकिल बाजार में लगभग २०० रु० की बिकती है। इसका क्या कारण है? स्पष्टतया वे अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं। उनकी एक चाल है। वे बाहर से आये हुए पुर्जों को बाजार में ऊंचे मूल्यों पर बेच देते हैं और देश में इनके निर्माण का यत्न नहीं करते। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है और माननीय मंत्री को इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। क्योंकि साइकिल ज्यादातर निचली और बीच की श्रणी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है इसलिये इसके मूल्यों को बढ़ने से रोकना चाहिये।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : इस विधेयक द्वारा ८ उद्योगों के लिये संरक्षण जारी रखने का विचार है और ३ उद्योगों के बारे में प्रथम जनवरी, १९६४ से संरक्षण समाप्त करने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे बीन चीजों, अर्थात्, ए० सी० एस० आर०, पिस्टन एसेम्बली और आटोमोबाइल स्पार्क प्लग्स के सम्बन्ध में कुछ कहना है। जहां तक पहली चीज का सम्बन्ध है, हमारी वर्तमान क्षमता बढ़ गई है और यह मांग की पूर्ति के लिये पर्याप्त है। वास्तव में हमने आयात बन्द कर दिया है। हमें फिर भी कच्चे माल की किस्म के सम्बन्ध में बड़ी सावधानी बर्तने की आवश्यकता है। इसके लिये अपेक्षित कच्चे माल की शुद्धता बहुत उच्चकोटि की चाहिये। परन्तु प्रतिवेदन से पता चलता है कि १९६४ तक देसी उत्पादन इस उद्योग की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। यह हर्ष की बात है कि इस उद्योग के लिये सहयोग प्रबन्ध एक कैनेडियन कम्पनी के साथ किये गये हैं। इस उद्योग में कैनेडा विश्व में सबसे बढ़ चढ़ कर है।

†**श्री सोलंकी** (कैरा) : मन्त्री महोदय का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखा जाता है, परन्तु उपभोक्ताओं को आज भी बहुत ऊंचे मूल्य देने पड़ते हैं। अनेक ऐसे उद्योग हैं जो आत्म-निर्भर हैं और जिन पर से प्रशुल्क संरक्षण हटा देना चाहिये। उदाहरणार्थ बिजली की मोटरों और आटो मोबाइल्स पर से संरक्षण हटा लेना चाहिये। एम्बसेडर कारों की बिक्री में बहुत चोर बाजारी हो रही है, इस पर से संरक्षण हटा देना चाहिये। चोर बाजारी के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं।

अन्त में, उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखना चाहिये। उद्योगों को अच्छी किस्म का माल बनाना चाहिये और सन्तोषजनक मूल्य लेने चाहियें। यदि उद्योग आत्म निर्भर हैं तो उन्हें प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना चाहिए और कम लागत पर अच्छी वस्तुएं बनानी चाहियें। इस प्रकार ही प्रशुल्क आयोग देश के उद्योगों की सेवा कर सकता है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : रेशम उत्पादन में बहुत सी वस्तुएं शामिल हैं। जापान आज करोड़ों रुपये के मूल्य के विभिन्न प्रकार के शहतूत के बीज और बालवृक्ष निर्यात करता है। जापान ने यह उद्योग इटली और फ्रांस से काफी बाद आरम्भ किया था। मुझे आश्चर्य है कि इतने वर्षों के संरक्षण के पश्चात् भी यह उद्योग आज विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला नहीं कर सकता।

रेशम उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु रेशम का धागा है। रेशम उत्पादन को दो भागों में बांटा जा सकता है शहतूत का रेशम और अन्य रेशम जिसका निर्यात बढ़ता जा रहा है और मुझे विश्वास है कि यह उद्योग शीघ्र बढ़ेगा। परन्तु केवल बोर्डों अथवा कुछ संस्थाओं के स्थापित करने का यह मतलब नहीं है कि इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं की ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है और इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

रेशम के धागे के बारे में हमने कुछ नहीं किया है। इसके निर्यात और देश में उपभोग की काफी गुंजाइश है। रेशमी कपड़ा जो हम बनाते हैं वह सारा देसी धागे से नहीं बनता है। हम जापान से धागा आयात करते हैं। हमें इसमें आत्म निर्भर होना चाहिये। परन्तु उद्योग की वर्तमान स्थिति से पता चलता है कि यदि हम इसको संरक्षण नहीं देते तो यह बरबाद हो जायेगा।

दूसरे, सुरमे को संरक्षण दिया जा रहा है। गत वर्ष प्रतिवेदन पर बोलते समय मैंने कहा था कि सुरमा हमारे देश में मौजूद है और मेरे राज्य में अनेक स्थानों पर पाया जाता है। परन्तु खेद की बात है कि इसके पता लगाने और परिष्करण के लिये कोई यत्न नहीं किये गये हैं। मैंने जम्मू और काश्मीर में कई स्थानों पर इसके ढेले पाये हैं। इसके लिये हमें भूमि की खुदाई करके अधिक खोज करने की आवश्यकता नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्यामलाल शर्राफ]

अल्यूमीनियम का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके लिये केन्द्र और राज्यों को मिल कर यत्न करने चाहियें। इसको संरक्षण देना जरूरी है परन्तु हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का यत्न करना चाहिये। हमें एक चीज की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि संरक्षण की आड़ में मुनाफाखोरी न हो और कीमतें बढ़ने न पायें।

श्री बड़े (खारगोन) : यह जो टैरिफ बिल सामने आया है इसमें कुछ इण्डस्ट्रीज़ को शासन प्रोटेक्शन देना चाहता है। इस प्रकार प्रोटेक्शन देकर और टरिफ को ऊंचा करके बेबी इंडस्ट्रीज का पालन किया जाता है, और जैसे जैसे वह उद्योग बढ़ता जाता है वैसे वैसे टैरिफ को नीचा कर दिया जाता है। अगर कोई इण्डस्ट्री प्रोटेक्शन देने पर भी नहीं पनपती है तो टैरिफ कमीशन टैरिफ वाला को निकाल देता है।

हमने देखा है कि जिन इण्डस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिया जाता है उनमें बड़ा धोखा रहता है और वह यह है कि...

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमन, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। सभा में गण पूर्ति नहीं है।

†**सभापति महोदय** : घंटी बजाई जा रही है—अब गणपूर्ति है।

श्री बड़े : कंज्यूमर के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। उपभोक्ता दो तरह पिसता है, एक तो उसे देश में बने माल का दाम ज्यादा देना पड़ता है और दूसरे उसको टैक्स देने पड़ते हैं ताकि उस उद्योग को प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो इस चीज पर ध्यान रख कर किसी उद्योग को प्रोटेक्शन देना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान काटन टैक्सटाइल मैशिनरी के बारे में दिलाना चाहता हूं। इस उद्योग में ७०९.१७ लाख तो इंडियन कैपीटल है और ६७.५६ लाख फारिन कैपीटल है। इसको सन् १९४९ से प्रोटक्शन मिला हुआ है और इसको आगे सन् १९६६ तक प्रोटेक्शन देने की सिफारिश टैरिफ कमीशन ने की है। लेकिन इसके बारे में स्वयं टैरिफ कमीशन यह कहती है (पेज ११ पर) :

> "विदेशी सार्थों के सहयोग से घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन की किस्म में काफी सुधार किया है। तथापि उत्पादक विदेशों के प्रोद्योगिक विकास को नहीं अपना सके हैं। उपभोक्ताओं को देसी मशीनों के बारे में अनेक शिकायतें हैं।"

खुद रिफ कमीशन यह कहती है कि यह माल रद्दी होता है और कीमत भी ज्यादा देनी पड़ती है। कारखानेदार बाहर के माल को ज्यादा पसन्द करते हैं। इस उद्योग को सन् १९४९ से प्रोटेक्शन मिला हुआ है लेकिन इसके माल में सुधार नहीं हुआ है।

और जो लाइसेंस आपने इश्यू किए हैं उनके बारे में कहा गया है :

> "तकुए बनाने के लिये दिये गये ४ लाइसेंसों में से ३ ने पहले से ही कार्य आरम्भ कर दिया है। चौथा लाइसेंस-प्राप्त कर्ता १९६३ के अन्त तक कार्य आरम्भ कर देगा।"

वे लाइसेंस कब दिए गए थे यह मन्त्री जी हाउस को बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरा कहना है कि इस उद्योग को आप सन् १९६६ तक प्रोटेक्शन दे रहे हैं लेकिन इसके माल को कारखानेदार पसन्द नहीं करते। वे बाहर के स्पिंडिल पसन्द करते हैं क्योंकि देशी जल्दी खराब हो जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा मुझे कहना है आटोमोबाइल स्पार्किंग प्लग्स के बारे में । रिपोर्ट में पेज ११ पर दिया गया है कि इस उद्योग में नान इंडियन कैपीटल १२९·३० लाख है और इंडियन कैपीटल १०६·२० लाख है । इसको फिर प्रोटेक्शन दे दिया गया हैं । यह प्रोटेक्शन सन् १९६५ तक दिया गया है । इसके वास्ते मेरा कहना है कि कैपीटल पर जो गेन होता है वह फारिन कम्पनी ले जाती है ।

†सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें ।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९६३/२२ अग्रहायण, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९६३

(२१ अग्रहायण, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२२४३—६५
	तारांकित प्रश्न संख्या	
५२५	केन्द्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद् . . .	२२४३–४४
५२६	काठमांडू–त्रिशूली सड़क . . .	२२४४–४५
५२७	विश्व बैंक से सहायता	२२४५—४८
५२८	बर्ड एण्ड कम्पनी	२२४८—५२
५२९	आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के स्नातक .	२२५२—५४
५३०	घघ्घर नदी	२२५४–५५
५३१	विदेशी मुद्रा	२२५५–५६
५३२	औद्योगिक वित्त निगम	२२५७–५८
५३३	दंडकारण्य की औद्योगिक क्षमता . . .	२२४८–५९
५३५	एक कमरे वाले क्वार्टर	२२५९—६१
५३६	चेचक उन्मूलन योजना	२२६१–६२
५३७	पश्चिम बंगाल को सहायता	२२६२–६५
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२२६५—७१
	तारांकित प्रश्न संख्या	
५३९	दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्ति . .	२२६५
५३४	पलाई सेंट्रल बैंक . . .	२२६५–६६
५३८	आय-कर की वसूली . . .	२२६६
५४०	वित्त आयोग	२२६६
५४१	बम्बई की विदेशी बीमा समवाय की तलाशी . .	२२६६–६७
५४२	वैस्ट एशियन सेलिंग . . .	२२६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित

प्रश्न संख्या

५४३ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति . . २२६८

५४४ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन . . . २२६८–६९

५४५ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ली गई तलाशियां . . २२६९

५४६ समवाय विधि प्रशासन २२६९–७०

५४७ मैकलायड एण्ड कम्पनी २२७०

५४८ पश्चिमी जर्मनी से सहायता . २२७०–७१

५४९ हैजे के सम्बन्ध में अनुसन्धान २२७१

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१५११ भुवनेश्वर के महालेखापाल के अधीन कर्मचारी . २२७१—२२८६

१५१२ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति . . . २२७१–७२

१५१३ आंखों के चश्मे बनाने वालों का पंजीयन . . २२७२

१५१४ विदेशों में अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा २२७३

१५१५ मद्रास राज्य में जल सम्भरण २२७३

१५१६ आभूषण कारखाना २२७४

१५१७ नई दिल्ली में बालकों के लिये "सुरक्षा पार्क" २२७४

१५१८ द्रवता संसाधन २२७४–७५

१५१९ तपेदिक के रोगी २२७५

१५२० फिल्म कलाकारों द्वारा करापवंचन . . . २२७५–७६

१५२१ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की औषधियों की चोरी . २२७६

१५२२ राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम . . . २२७६

१५२३ केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा २२७७

१५२४ टिस्टा बहुप्रयोजनीय परियोजना २२७७

१५२५ बिजली उत्पादन . २२७७–७८

१५२६ न मांगी गई जमा राशि . . २२७८

१५२७ मोटर गाड़ी उद्योग २२७८

१५२८ जीवन बीमा निगम २२७९

१५२९ परिवार नियोजन पर प्रलेख चलचित्र . . . २२७९

१५३० चांदमारी क्षेत्र . . . २२७९–८०

१५३१ मुंह का कैंसर २२८०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५३२	सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक दवाइयां	२२८०
१५३३	गांजे का पकड़ा जाना	२२८०–८१
१५३४	उत्तर प्रदेश में कर निर्धारण के मामले	२२८१
१५३५	समय को आगे बढ़ाना	२२८१
१५३६	रिंग रोड पम्पिग स्टेशन, दिल्ली	२२८१–८२
१५३७	कथुआ नहर	२२८२–८३
१५३८	भारतीय फर्मों के लिये अमरीकी ऋण	२२८३
१५३९	रिजर्व बैंक की ऋण नीति	२२८३–८४
१५४०	कोलम्बो योजना परामर्श समिति	२२८४–८५
१५४१	नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे	२२८५
१५४२	निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिये आवास योजनायें	२२८६
१५४३	दिल्ली में सोने का पकड़ा जाना	२२८६
१५४४	बों गांव भूमि सीमा-शुल्क कर्मचारी	२२८६–८७
१५४५	कांगड़ा में उत्पादन-शुल्क इलाके	२२८७
१५४६	चाय पर उत्पादन-शुल्क के लिये पृथक खण्ड	२२८७
१५४७	आय-कर का बकाया	२२८८
१५४८	बीज के लिये अफीम के डोडे	२२८८
१५४९	छापेखाने	२८८८
१५५०	मेडीकल कालिज	२२८९
१५५१	आसाम में सिंचाई और विद्युत् क्षमता	२२८९–९०
१५५२	सत्यापन शुल्क	२०९०
१५५३	दिल्ली में मध्य आय वर्ग के लोगों के लिये आवास योजनायें	२२९०
१५५४	मद्रास और केरल के बीच पानी का बांटना	२२९०
१५५५	तेल शोधन कारखाने में जीवन बीमा निगम का विनियोजन	२२९१
१५५६	विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को अनुमति	२२९१
१५५७	बिना बारी मकान दिया जाना	२२९१–९२
१५५८	कोठागुडम विद्युत् परियोजना	२२९२
१५५९	कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	२२९२–९३
१५६१	विस्फोटक पदार्थ विभाग	२२९३
१५६२	विस्फोटक पदार्थ विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण	२२९३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५६३ चतुर्थ पंच वर्षीय योजना . २२९३–९४

१५६४ मोजे बनियान आदि पर बिक्री कर . . २२९४

१५६५ पोंग बांध और सतलज और व्यास को मिलाने वाली नहर . २२९४

१५६६ कर्बला शरणार्थी बस्ती में जल सम्भरण . २२९५

१५६७ बिहार में सिंचाई और विद्युत् योजनायें . २२९५

१५६८ बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाना २२९६

१५६९ सुनारों के लिये ऋण . . २२९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २२९६

(एक) श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने गुटों से अलग रहने वाले राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाये जाने के कथित प्रयास की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(दो) श्री स० मो० बनर्जी ने पाकिस्तानियों द्वारा लाठीटीला और डूमाबारी क्षेत्रों में कथित गोली चलाये जाने और मशीन गनों के प्रयोग की ओर, जिसके फलस्वरूप रक्षक दल के एक पहरेदार को गहरी चोटें आईं और हमारी सीमाओं पर तनाव बढ़ गया प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस सम्बन्ध एक वक्तव्य दिया।

अमरीका के राष्ट्रपति का संदेश २३०३–०४

अध्यक्ष महोदय ने सभा को बताया कि स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी के निधन पर सभा की ओर से भेजे गये सहानुभूति के सन्देश के उत्तर में अमरीका के राष्ट्रपति लिंडन बी० जौन्सन से उन्हें निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :—

> "आपके सहानुभूति के सन्देश और स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी के प्रति भारतीय संसद् द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि की हम सबने बहुत सराहना की है। हमारे दुःख को अनुभव करके इस दुःखदायक क्षति के प्रति आपने जो सहानुभूति व्यक्त की है उससे श्रीमती कैनेडी और मुझे इन कठिन दिनों में बहुत शक्ति मिली है।
>
> मेरा यह प्रशासन उन उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कृतसंकल्प है जिन के लिये स्वर्गीय राष्ट्रपति ने अपने आपको अर्पित कर दिया था और जिनके लिये अन्त में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। मुझे पूरी आशा है कि मेरे इन प्रयत्नों में मुझे भारत का पूर्ण समर्थन तथा सहयोग प्राप्त है।"

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३०४–०५

(१) एक सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८३० की एक प्रति ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८२५ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (सत्ताईसवां संशोधन) १९६३ ।

(ख) दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८२६ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (अट्ठाईसवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(तीन) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७९१ ।

(ख) दिनांक २३ नवम्बर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७९२ ।

(चार) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम, १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, दिल्ली बिक्री-कर नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ नवम्बर, १९६३ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४(४५)/६३—फिन(इ) की एक प्रति ।

(२) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, १९३४ की धारा २८ के परन्तुक के अन्तर्गत, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (नोट लौटाया जाना) नियम, १९३५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३० नवम्बर, १९६३ को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिसूचना संख्या १ की एक प्रति ।

सदस्य की गिरफ्तारी . . . . . २३०५—०८

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें सब-इन्स्पेक्टर आफ पुलिस, इलाहाबाद, कैम्प, पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली से यह सूचना प्राप्त हुई है कि श्री बी० पी० मौर्य, सदस्य लोक सभा को १२ दिसम्बर, १९६३ को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है ।

विषय पृष्ठ

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . . . . . २३१०—१३

(१) वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने विदेशी बैंकों में मंत्रियों के लेखे के बारे में सर्वश्री एस० एम० बनर्जी और उमानाथ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६० के १९ सितम्बर, १९६३ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य दिया ।

(२) स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) ने दिल्ली की वृहद् योजना (मास्टर प्लान) के बारे में श्री नवल प्रभाकर के तारांकित प्रश्न संख्या ९९ के १७ अगस्त, १९६३ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य दिया ।

(३) खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने गन्ने के मूल्य के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . . २३१३—२९

५ दिसम्बर, १९६३ को प्रस्तुत तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही ।

लोक सभा १—१८ म० प० बजे गणपूर्ति के अभाव में २ म० प० बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई । २.०६ म० प० बजे सचिव ने घोषणा की कि चूंकि गणपूर्ति नहीं है इसलिये उपाध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि लोक-सभा की बैठक ३ म० प० बजे होगी । तदनुसार ३ म० प० बजे सभा पुनः समवेत हुई ।

श्री ब० रा० भगत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . २३२९—३५

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९६३ / २२ अग्रहायण, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि २३३५

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक पर और समवाय (संशोधन) विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, चर्चा तथा इनका पारित किया जाना ।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।

GMGIPND—LS III—1862 (Ai) LS—1-2-64—160.